



भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
का
राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर
31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
प्रतिवेदन



लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

राजस्थान सरकार
वर्ष 2022 का प्रतिवेदन संख्या 9
सामान्य प्रयोजन वित्तीय प्रतिवेदन

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
का
राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर प्रतिवेदन

31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए

राजस्थान सरकार

वर्ष 2022 का प्रतिवेदन संख्या 9

सामान्य प्रयोजन वित्तीय प्रतिवेदन

विषय सूची

अध्याय	विषय-वस्तु	अनुच्छेद	पृष्ठ संख्या
	प्रस्तावना		v
	कार्यकारी सारांश		vii
अध्याय-I	राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का वित्तीय निष्पादन		
	परिचय	1.1 से 1.5	1
	राजकीय उपक्रमों में निवेश	1.6 से 1.21	6
	राजकीय उपक्रमों में निवेश पर प्रतिफल	1.22 से 1.27	17
	राजकीय उपक्रमों की संचालन क्षमता	1.28 से 1.30	24
अध्याय-II	सीएजी की निरीक्षण भूमिका		
	राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की लेखापरीक्षा	2.1 से 2.2	33
	राजकीय उपक्रमों द्वारा लेखाओं का प्रस्तुतिकरण	2.3 से 2.4	34
	सांविधिक निगमों की पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का प्रस्तुतिकरण	2.5	36
	सीएजी का निरीक्षण-लेखों की लेखापरीक्षा एवं पूरक लेखापरीक्षा	2.6 से 2.8	37
	सीएजी की निरीक्षण भूमिका के परिणाम	2.9 से 2.12	38
	लेखांकन मानकों/इंड एस के प्रावधानों की अनुपालना नहीं करना	2.13	45
	प्रबंधन पत्र	2.14	46
अध्याय-III	निगमित अभिशासन		
	परिचय	3.1 से 3.4	49
	निदेशक मंडल की संरचना	3.5 से 3.7	50
	स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति एवं कार्यप्रणाली	3.8 से 3.12	54
	निदेशक मंडल की बैठक	3.13	59
	लेखापरीक्षा समिति एवं बोर्ड की अन्य समितियां	3.14 से 3.19	61
	व्हिसल ब्लोअर तंत्र (डबल्यूबीएम)	3.20	66
	आंतरिक लेखापरीक्षा ढांचा	3.21 से 3.23	67
अध्याय-IV	सरकारी कंपनियों में भारतीय लेखा मानकों का कार्यान्वयन		
	परिचय	4.1	71
	इंड-एस का कार्यान्वयन	4.2	71
	लेखापरीक्षा के उद्देश्य	4.3	72

लेखापरीक्षा का क्षेत्र	4.4	72
लेखापरीक्षा कार्यविधि	4.5	73
इंड-एएस को प्रथम बार अपनाए जाने की समीक्षा	4.6	74
इंड-एएस के कार्यान्वयन का चयनित प्रमुख क्षेत्रों पर प्रभाव	4.7	76
कर पश्चात लाभ (पीएटी) पर प्रभाव	4.8	76
कर पश्चात लाभ में वृद्धि/कमी में योगदान देने वाले कारक	4.9	77
परिचालनों से राजस्व पर प्रभाव	4.10	80
परिचालनों से राजस्व में वृद्धि/कमी हेतु उत्तरदायी कारक	4.11	81
कुल परिसंपत्तियों के मूल्य पर प्रभाव	4.12	81
कुल परिसंपत्तियों के मूल्य में वृद्धि/कमी हेतु उत्तरदायी कारक	4.13	82
निवल मूल्य पर इंड एएस के कार्यान्वयन का प्रभाव	4.14	84
निवल मूल्य में वृद्धि/कमी हेतु उत्तरदायी कारक	4.15	86

अनुबंध

अनुबंध संख्या.	विषय-वस्तु	पृष्ठ संख्या
1.1	राजकीय उपक्रमों के नवीनतम लेखों, जिनको 30 नवम्बर 2021 को अन्तिम रूप दिया जा चुका था, के अनुसार संक्षिप्त वित्तीय स्थिति एवं कार्यकारी परिणाम	91
1.2	राज्य सरकार द्वारा राजकीय उपक्रमों, जिनके लेखे बकाया है, में बकाया अवधि के दौरान किये गये निवेश को दर्शाने वाला विवरण-पत्र	96
1.3	31 मार्च 2021 को राजस्थान सरकार के वित्त लेखों एवं राजकीय उपक्रमों के अभिलेखों में पूँजी, ऋण एवं गारंटी के शेषों के अंतर को दर्शाने वाला विवरण पत्र	98
1.4	2000-01 से 2020-21 तक की अवधि हेतु राज्य सरकार द्वारा किए गये निवेश एवं निवेशित कोषों के वर्तमान मूल्य के विवरणों को वर्षवार दर्शाने वाला विवरण-पत्र	100

2.1	राजकीय उपक्रमों के नाम, जिनमें सांविधिक लेखापरीक्षकों ने एएस/इंड एएस की अनुपालना नहीं किए जाने को प्रतिवेदित किया, को दर्शानेवाला विवरण पत्र	103
2.2	राजकीय उपक्रमों के नाम, जिनके वित्तीय विवरणों पर प्रतिवेदन अवधि के दौरान सीएजी की टिप्पणियां जारी की गई थी, को दर्शाने वाला विवरण पत्र	104
2.3	राजकीय उपक्रमों के नाम, जिन्हें प्रबंधन पत्र जारी किये गये थे, को दर्शाने वाला विवरण-पत्र	105
3.1	स्वतंत्र निदेशक/महिला निदेशक/लेखापरीक्षा समिति/एनआरसी/केएमपी की आवश्यकता एवं राजकीय उपक्रमों द्वारा आयोजित बोर्ड की बैठक/लेखापरीक्षा समिति की बैठक को दर्शाने वाला विवरण पत्र	106
3.2	आंतरिक लेखापरीक्षा ढांचा	109
4.1	31 मार्च 2021 को लागू भारतीय लेखा मानकों (इंड एएस) की विस्तृत सूची को दर्शाने वाला विवरण-पत्र	111
4.2	सरकारी कंपनियां, जिन्होंने भारतीय लेखा मानकों (इंड एएस) को अपनाया, लेखापरीक्षा में समीक्षा हेतु चयनित एवं इंड-एएस को प्रथम बार अपनाए जाने पर विकल्पों/रियायतों को प्राप्त किए जाने की कंपनी वार स्थिति।	113
संक्षेप की शब्दावली		117

प्रस्तावना

यह प्रतिवेदन राजस्थान राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (राजकीय उपक्रमों) के वित्तीय निष्पादन का समग्र चित्रण प्रस्तुत करता है जैसा कि 31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए सरकारी कंपनियों एवं सांविधिक निगमों के लेखापरीक्षा परिणामों में परिलक्षित हुआ। प्रतिवेदन समय-समय पर यथा संशोधित भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19ए के अंतर्गत राजस्थान सरकार को प्रस्तुत किये जाने हेतु तैयार किया गया है।

2. सरकारी कम्पनियों के लेखों की लेखापरीक्षा कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 139 एवं 143 के प्रावधानों के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (सीएजी) द्वारा की जाती है। अधिनियम 2013 की धारा 2 (45) के अनुसार, सरकारी कम्पनी से आशय ऐसी कम्पनी से है जिसमें प्रदत्त अंश पूंजी का कम से कम 51 प्रतिशत भाग केन्द्र सरकार, अथवा किसी राज्य सरकार अथवा सरकारों, अथवा आंशिक रूप से केन्द्र सरकार एवं आंशिक रूप से एक अथवा अधिक राज्य सरकारों के द्वारा धारित हो तथा इसमें ऐसी सरकारी कम्पनी की सहायक कम्पनी सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त, केन्द्र सरकार द्वारा या किसी राज्य सरकार अथवा सरकारों द्वारा या आंशिक रूप से केन्द्र सरकार द्वारा एवं आंशिक रूप से एक या अधिक राज्य सरकारों द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से धारित या नियंत्रित अन्य कम्पनी¹ को सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कम्पनियों के रूप में संदर्भित किया जाता है। सीएजी द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक (सनदी लेखाकार) ऐसी कंपनियों के लेखों को प्रमाणित करते हैं, जोकि सीएजी द्वारा अनुपूरक लेखापरीक्षा के अधीन हैं। सीएजी सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन पर अपनी टिप्पणी प्रदान करते हैं अथवा उसे पूरक करते हैं। कंपनी अधिनियम, 2013 सीएजी को कंपनियों के लेखों की लेखापरीक्षा करने के संबंध में दिशा निर्देश प्रदान करने का अधिकार देता है। सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा व्यवस्था उनके संबंधित अधिनियमों के अन्तर्गत निर्धारित की गई है जिनके माध्यम से इन निगमों की स्थापना की गई है।

3. यह प्रतिवेदन राजस्थान राज्य में 38 सरकारी कम्पनियों, सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य चार कंपनियों एवं तीन सांविधिक निगमों को सम्मिलित करते हुए 45 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (राजकीय उपक्रमों) के निष्पादन से संबंधित है जिनकी लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के अधीन है।

4. सीएजी एक निगम, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के एकमात्र लेखापरीक्षक है। सीएजी को विधान के अंतर्गत नियुक्त सनदी लेखाकारों द्वारा लेखापरीक्षा करने के पश्चात,

1 कारपोरेट मामलों का मंत्रालय-कंपनी (कठिनाइयों को दूर करना) सातवां आदेश, 2014 दिनांक 4 सितम्बर 2014।

राजस्थान राज्य भंडार व्यवस्था निगम एवं राजस्थान वित्त निगम के संबंध में अनुपूरक लेखापरीक्षा करने का अधिकार है।

5. इस प्रतिवेदन में समीक्षित राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (राजकीय उपक्रमों) के लेखे वर्ष 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21 (यथा प्राप्त) से संबंधित है। राजकीय उपक्रमों के संबंध में जहाँ किसी विशिष्ट वर्ष हेतु लेखे 30 नवम्बर 2021 से पूर्व प्राप्त नहीं हुए थे, के संबंध में अंतिम लेखापरीक्षित लेखो से आंकड़े लिये गये हैं।

6. इस प्रतिवेदन में 'सरकारी कंपनियों/निगमों अथवा राजकीय उपक्रमों' के समस्त संदर्भों को 'राज्य सरकार के कंपनियों/निगमों' को उल्लेखित करने हेतु किया जा सकता है।

कार्यकारी सांराश

कार्यकारी सारांश

इस प्रतिवेदन के बारे में

यह प्रतिवेदन राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (राजकीय उपक्रमों) की वित्तीय स्थिति एवं निष्पादन को प्रस्तुत करता है। राजकीय उपक्रमों की वित्तीय स्थिति एवं निष्पादन के अलावा, प्रतिवेदन में अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं यथा सीएजी की निरीक्षण भूमिका, राजकीय उपक्रमों में निगमित अभिशासन एवं सरकारी कंपनियों में भारतीय लेखाकन मानकों (इंड एएस) का कार्यान्वयन को भी समाहित किया गया है।

लेखापरीक्षा विस्तार

2020-21 के दौरान, सीएजी के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अंतर्गत राजस्थान राज्य में सभी 45 राजकीय उपक्रमों (38 सरकारी कंपनियों, सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य चार कंपनियों एवं तीन सांविधिक निगमों) की वित्तीय स्थिति एवं निष्पादन का विश्लेषण किया गया। साथ ही, इन राजकीय उपक्रमों में निगमित अभिशासन के सिद्धान्तों की अनुपालना की समीक्षा जवाबदेही, व्यवसाय में पारदर्शिता एवं हितधारकों का विश्वास बढ़ाने का आंकलन करने हेतु की गई थी। 10 सरकारी कंपनियों (एक सरकारी कंपनी को सम्मिलित करते हुए, जिसने स्वेच्छा से इंड एएस अपनाया) में इंड एएस को अपनाए जाने के प्रभाव का भी आंकलन किया गया था।

हमने क्या पाया है एवं हम क्या अनुशंसा करते हैं

राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का वित्तीय निष्पादन

वर्ष 2020-21 के दौरान, 41 राजकीय उपक्रमों (सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य चार कंपनियों को छोड़कर) में कुल निवेश (₹ 1,61,988.60 करोड़) में वर्ष 2019-20 की तुलना में ₹ 4,400.01 करोड़ की वृद्धि हुई। कुल निवेश का प्रमुख हिस्सा ऊर्जा क्षेत्र के राजकीय उपक्रमों से संबंधित है, क्योंकि 31 मार्च 2021 तक कुल निवेश का 92.51 प्रतिशत (₹ 1,49,853.29 करोड़) ऊर्जा क्षेत्र के राजकीय उपक्रमों में निवेशित था।

2020-21 के दौरान, 41 राजकीय उपक्रमों की पूँजी निवेश में ₹ 403.49 करोड़ की शुद्ध वृद्धि दर्ज की गई। राज्य सरकार ने समस्त पूँजी ऊर्जा क्षेत्र के राजकीय उपक्रमों में अंशों के निर्गमन के माध्यम से निवेश की थी।

31 मार्च 2021 तक, सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य चार कंपनियों में कुल पूँजी निवेश ₹ 600.01 करोड़ था जिसे राज्य सरकार एवं नगर निगमों द्वारा समान रूप से निवेश किया गया था।

41 राजकीय उपक्रमों में से, दो राजकीय उपक्रमों² एवं चार राजकीय उपक्रमों³ ने 2020-21 के दौरान उनके ऋणों, जो कि क्रमशः बैंकों/वित्तीय संस्थानों एवं राजस्थान सरकार से उधार लिए गये थे, के भुगतान में चूक की।

वर्ष 2020-21 के दौरान, 41 राजकीय उपक्रमों में से 25 राजकीय उपक्रमों ने लाभ अर्जित किया, जबकि 13 राजकीय उपक्रमों ने हानि वहन की। शेष तीन राजकीय उपक्रमों की लाभ/हानि वर्ष के दौरान शून्य/नगण्य थी। 2020-21 में लाभ अर्जित करने वाले राजकीय उपक्रमों द्वारा अर्जित लाभ (₹ 1,232.32 करोड़) में 2019-20 में लाभ अर्जित करने वाले राजकीय उपक्रमों द्वारा अर्जित लाभ (₹ 3,843.10 करोड़) की तुलना में सारभूत गिरावट हुई। साथ ही, हानि वहन करने वाले राजकीय उपक्रमों द्वारा वहन की गई हानियों में (₹ 4,046.23 करोड़) में हानि वहन करने वाले राजकीय उपक्रमों द्वारा 2019-20 में वहन की गई हानियों (₹ 489.54 करोड़) की तुलना में सारभूत रूप से वृद्धि हुई। लाभ में गिरावट एवं हानि में वृद्धि मुख्य रूप से उज्जवल डिस्कॉम्स एश्योरेंस योजना के तहत राज्य डिस्कॉम्स को मिलने वाली सब्सिडी बंद किए जाने के कारण थी।

इन 41 राजकीय उपक्रमों के अंतिम रूप दिए गये नवीनतम लेखों के अनुसार, राजकीय उपक्रमों के पूँजी निवेश (₹ 51,787.33 करोड़) के समक्ष भारी संचित हानियां (₹ 97,441.97 करोड़) की परिणति नकारात्मक निवल मूल्य (₹ 45,714.26 करोड़⁴) के रूप में हुई। साथ ही, 15 राजकीय उपक्रमों का निवल मूल्य पूर्णतः क्षरण हो गया था क्योंकि इन राजकीय उपक्रमों का पूँजी निवेश एवं संचित हानियां क्रमशः ₹ 33,754.35 करोड़ एवं ₹ 96,491.58 करोड़ था।

32 राजकीय उपक्रमों⁵ में राज्य सरकार के निवेश का वर्तमान मूल्य (पीवी) सब्सिडी रहित एवं उदय के अन्तर्गत प्राप्त सब्सिडी सहित क्रमशः ₹ 99,385.89 करोड़ एवं ₹ 1,58,362.98 करोड़ था, जबकि आरओआरआर क्रमशः 2.52 प्रतिशत तथा 1.58 प्रतिशत परिकलित की गई।

सीएजी की निरीक्षण भूमिका

42 सरकारी कंपनियों (सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य चार कंपनियों सहित) में से 30 नवम्बर 2021 को या उससे पूर्व 25 सरकारी कंपनियों के वर्ष 2020-21 के वित्तीय विवरण प्राप्त हुए थे जबकि 17 सरकारी कंपनियों के वित्तीय विवरण विभिन्न कारणों से बकाया थे। इन 25

2 राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड एवं गिरल लिग्नाईट ऊर्जा लिमिटेड।

3 राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड, जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड, राजस्थान राज्य हाथकरघा विकास निगम लिमिटेड एवं राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड।

4 ₹ 59.62 करोड़ का आस्थगित व्यय घटाने के पश्चात।

5 राजकीय उपक्रम, जिनमें राज्य सरकार ने पूँजी, ऋण एवं अनुदान/सब्सिडी के रूप में निधियां निवेश की थी।

सरकारी कंपनियों में से, 18 सरकारी कंपनियों के वित्तीय विवरणों की पूरक लेखापरीक्षा की गई थी।

इसके अतिरिक्त, एक सांविधिक निगम के वित्तीय विवरण भी प्राप्त हुए थे एवं इनकी भी पूरक लेखापरीक्षा की गई थी।

पूरक लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप, दो सरकारी कंपनियों⁶ (सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य एक कंपनी सहित) ने अपने वर्ष 2019-20 के वित्तीय विवरण वार्षिक साधारण सभा में इन्हें प्रस्तुत करने से पूर्व, संशोधित किये थे।

पूरक लेखापरीक्षा के दौरान वित्तीय प्रतिवेदनों अथवा प्रतिवेदन प्रक्रिया में अनियमिततायें एवं कमियाँ, जो महत्वपूर्ण प्रकृति की नहीं थी, के संबंध में 17 राजकीय उपक्रमों के प्रबंधन को सुधारात्मक कार्यवाही करने हेतु प्रबंधन पत्र द्वारा सूचित किया गया था।

निगमित अभिशासन

निगमित अभिशासन की समीक्षा में राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम लिमिटेड जो परिसमापन के अधीन है के अतिरिक्त विभिन्न मंत्रालयों के प्रशासनिक नियंत्रण वाली सभी सरकारी कंपनियों को सम्मिलित किया गया है। निगमित अभिशासन के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों की अनुपालना यद्यपि आवश्यक थी परन्तु कुछ सरकारी कंपनियों द्वारा अनुपालना नहीं की गई। वर्ष के दौरान निर्धारित दिशानिर्देशों से निम्नलिखित महत्वपूर्ण विचलन पाये गये थे:

- दो सरकारी कंपनियों में स्वतंत्र निदेशकों का प्रतिनिधित्व आवश्यक संख्या से कम था जबकि 18 सरकारी कंपनियों के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक नहीं थे।
- एक सरकारी कंपनी⁷ में सम्पूर्ण वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान महिला निदेशक नहीं थी जबकि दो सरकारी कंपनियों⁸ में पूर्व महिला निदेशको का कार्यकाल समाप्त होने के बाद नई महिला निदेशक की नियुक्ति नहीं की थी।
- मात्र 63 प्रतिशत बोर्ड बैठकों में स्वतंत्र निदेशकों की उपस्थिति 100 प्रतिशत थी। साथ ही, एक सरकारी कंपनी के स्वतंत्र निदेशकों द्वारा बोर्ड की बैठकों में भाग न लेकर हितधारकों की ओर से उनको सौंपी गयी भूमिका को महत्व नहीं दिया था। जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के स्वतंत्र निदेशक साधारण सभा में उपस्थित नहीं हुए थे। पांच सरकारी कंपनियों के स्वतंत्र निदेशकों ने 2020-21 के दौरान पृथक से बैठकें नहीं कीं थी।

6 राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम लिमिटेड एवं कोटा स्मार्ट सिटी लिमिटेड।

7 राजस्थान राज्य गैस लिमिटेड।

8 उदयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड एवं राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड।

- 18 सरकारी कंपनियों बीओडी की चार बैठकें आयोजित करने में विफल रहे जबकि छः सरकारी कंपनियों ने वर्ष 2020 के दौरान बीओडी की मात्र एक बैठक आयोजित की। साथ ही, 15 सरकारी कंपनियों में बीओडी की निरन्तर दो बैठकों के मध्य समयान्तराल निर्धारित समय सीमा के समक्ष 127 दिवस एवं 385 दिवसों के मध्य रहा।
- दो सरकारी कंपनियों⁹ ने लेखापरीक्षा समिति का गठन नहीं किया था। साथ ही, 19 सरकारी कंपनियों की लेखापरीक्षा समितियों में स्वतंत्र निदेशक बहुमत में नहीं पाए गये थे।

राजकीय उपक्रमों में भारतीय लेखा मानकों का कार्यान्वयन

कारपोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार ने अब तक लागू सामान्यतः स्वीकृत भारतीय लेखा सिद्धांतों (आईजीएपी) को वैश्विक मानकों अर्थात् अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रतिवेदन मानकों (आईएफआरएस) के साथ अभिसरण करते हुए भारतीय लेखा मानकों (इंड एस) को अधिसूचित किया (फरवरी 2015)। इंड एस को कंपनियों की निर्धारित श्रेणी को चरणबद्ध तरीके से 1 अप्रैल 2016 से एवं इंड एस के कार्यान्वयन हेतु निर्दिष्ट प्रशस्त मार्ग के अनुसार अपनाया जाना अनिवार्य है।

इंड एस को अपनाए जाने के परिणामस्वरूप वित्तीय प्रतिवेदन ढांचे में बदलाव हुआ। चयनित 10 सरकारी कंपनियों के लेखापरीक्षा विश्लेषण ने इंगित किया कि सरकारी कंपनियों द्वारा इंड एस को अपनाए जाने ने कर पश्चात लाभ, राजस्व, कुल परिसंपत्तियां एवं निवल मूल्य प्रभावित हुआ। यह प्रभाव चयनित सभी 10 सरकारी कंपनियों के वित्तीय विवरणों पर देखा गया।

इंड एस को अपनाए जाने का कर पश्चात लाभ (₹ 199.62 करोड़), राजस्व (₹ 94.99 करोड़), कुल परिसंपत्तियों (₹ 569.68 करोड़) एवं निवल मूल्य (₹ 434.64 करोड़) पर नकारात्मक संचयी प्रभाव पड़ा, जैसा कि सरकारी कंपनियों के वित्तीय विवरणों में दर्शाया गया। इंड एस को अपनाए जाने के संचयी प्रभाव में दो सरकारी कंपनियों (राजस्थान राज्य गैस लिमिटेड एवं राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड) की कुल परिसंपत्तियों पर प्रभाव शामिल नहीं था क्योंकि इन कंपनियों ने अपने इंड एस अनुपालन वित्तीय विवरणों में प्रभाव का ब्यौरा नहीं दिया था।

किए गए प्रमुख परिवर्तन परिसंपत्तियों/देनदारियों का ऐतिहासिक लागत मूल्यांकन के स्थान पर उचित मूल्यांकन, राजस्व पहचान की पद्धति में बदलाव, आस्थगित कर का लेखांकन, वित्तीय परिसंपत्तियों की क्षति, पूर्व अवधि की मदों का समायोजन, अमूर्त परिसंपत्ति का परिशोधन,

⁹ राजस्थान राज्य हाथकरघा विकास निगम लिमिटेड एवं कोटा स्मार्ट सिटी लिमिटेड।

प्रगति पर पूंजीगत कार्य में समायोजन, प्रस्तावित लाभांश को रद्द करने एवं कलपुर्जों व प्रमुख निरीक्षण के लिए मूल्यहास के समायोजन से संबंधित थे।

अनुशांसा

राजस्थान सरकार कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों की अनुपालना सुनिश्चित करे जिससे कि राजकीय उपक्रमों में निगमित प्रशासन के उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके।

अध्याय-I

राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों
का वित्तीय निष्पादन

राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का वित्तीय निष्पादन

यह अध्याय राजस्थान सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (राजकीय उपक्रमों) में सरकार द्वारा पूँजी एवं ऋण के रूप में निवेश, राजकीय उपक्रमों के वित्तीय निष्पादन को इंगित करने वाले अनुपातों एवं निवेश पर प्रतिफल के संबंध में वित्तीय निष्पादन को प्रस्तुत करता है। विश्लेषण से प्रकट हुआ कि कुल निवेश का बड़ा हिस्सा (92.51 प्रतिशत) ऊर्जा क्षेत्र के राजकीय उपक्रमों से संबंधित है। उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना के अन्तर्गत राज्य डिस्कॉम्स को सब्सिडी बंद होने के कारण राजकीय उपक्रमों की लाभप्रदता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा एवं 15 राजकीय उपक्रमों की निवल संपत्ति पूर्ण रूप से क्षरण हो गई क्योंकि उनकी संचित हानियां उनके पूँजी निवेश से अधिक हो गई थी।

परिचय

1.1 यह प्रतिवेदन राजस्थान सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (राजकीय उपक्रमों) के वर्ष 2020-21 के लिए वित्तीय निष्पादन को प्रस्तुत करता है। राजकीय उपक्रमों में कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत गठित सरकारी कंपनियों (सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियों सहित) एवं संसद/राज्य विधायिका द्वारा अधिनियमित विधानों के अंतर्गत स्थापित सांविधिक निगमों को सम्मिलित किया गया है।

सरकारी कंपनी

• एक कंपनी जिसमें प्रदत्त अंश पूँजी का न्यूनतम 51 प्रतिशत केंद्र सरकार द्वारा अथवा एक या एक से अधिक राज्य सरकार द्वारा अथवा आंशिक रूप से केंद्र सरकार द्वारा एवं आंशिक रूप से एक अथवा एक से अधिक राज्य सरकार द्वारा धारित किया जाता है, एवं इसमें वह कंपनी भी सम्मिलित है, जो कि सरकारी कंपनी की सहायक कंपनी है। {जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(45) के अंतर्गत परिभाषित किया गया है}

सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियां

• किसी अन्य कंपनी का स्वामित्व अथवा नियंत्रण प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से, केंद्र सरकार अथवा किसी राज्य सरकार अथवा सरकारों द्वारा, अथवा आंशिक रूप से केंद्र सरकार द्वारा एवं आंशिक रूप से एक या एक से अधिक राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। {जैसा कि कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित (4 सितंबर 2014) कंपनियों की (कठिनाइयों को दूर करना) सातवां आदेश, 2014 द्वारा परिभाषित किया गया है।}

सांविधिक निगम

• संसद/राज्य विधायिका द्वारा अधिनियमित विधान के अंतर्गत स्थापित निगम।

प्रतिवेदन में दर्शाए गए राजकीय उपक्रमों के वित्तीय निष्पादन को उनके वित्तीय विवरणों के साथ-साथ राजकीय उपक्रमों से प्राप्त सूचना के आधार पर लिया गया है। राजकीय उपक्रमों के वित्तीय विवरणों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) द्वारा की गई वर्ष 2020-21 (या पूर्व वर्षों के जिन्हे चालू वर्ष के दौरान अंतिम रूप दिया गया) के एकमात्र लेखापरीक्षा/पूरक लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप लेखों में संशोधन के साथ-साथ जारी की गई महत्वपूर्ण टिप्पणियों¹⁰ के प्रभाव को भी इस प्रतिवेदन के **अध्याय-II** में सम्मिलित किया गया है।

प्रतिवेदन में निगमित अभिशासन पर कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों की अनुपालना एवं राजकीय उपक्रमों में भारतीय लेखा मानकों (इंड एएस) के कार्यान्वयन की समग्र स्थिति भी क्रमशः **अध्याय-III** एवं **अध्याय-IV** में दर्शायी गई है।

अधिदेश

1.2 सरकारी कंपनियों एवं सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कम्पनियों की लेखापरीक्षा सीएजी द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) से 143 (7) सपठित सीएजी (कर्तव्य, शक्ति, एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19 एवं उसके अन्तर्गत बनाये गये विनियमों के प्रावधानों के अधीन की जाती है। कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत सीएजी सनदी लेखाकारों को कंपनियों के लिए सांविधिक लेखापरीक्षकों के रूप में नियुक्त करता है एवं लेखों की लेखापरीक्षा किस प्रकार से की जानी है इस संबंध में दिशानिर्देश प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त, सीएजी के पास पूरक लेखापरीक्षा कराने का अधिकार है।

सांविधिक निगमों को शासित करने वाले विधान के अंतर्गत सीएजी को उनके लेखों की लेखापरीक्षा या तो एकमात्र लेखापरीक्षक के रूप में अथवा विधानों के अंतर्गत नियुक्त सनदी लेखाकारों द्वारा लेखापरीक्षा करने के पश्चात पूरक लेखापरीक्षा करने की आवश्यकता होती है।

सरकार एवं विधानमंडल की भूमिका

1.3 राज्य सरकार अपने प्रशासनिक विभागों के माध्यम से राजकीय उपक्रमों के कामकाज पर नियंत्रण करती है। इन राजकीय उपक्रमों के मुख्य कार्यकारी एवं बोर्ड के निदेशकों की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है।

राज्य विधानमंडल राजकीय उपक्रमों में सरकारी निवेश के लेखांकन एवं उपयोग की निगरानी भी करता है। इसके लिए सरकारी कंपनियों के संबंध में कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 394/395 के अन्तर्गत सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन एवं सीएजी की टिप्पणियों के साथ-साथ वार्षिक प्रतिवेदन तथा अथवा सांविधिक निगमों के संबंध में, जैसा कि संबंधित अधिनियमों में निर्धारित किया गया है, पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को राज्य विधानमंडल के

10 1 जनवरी 2021 से 30 नवंबर 2021 तक अंतिम रूप दिए गए/जारी किए गए प्रमाण पत्रों के आधार पर।

समक्ष रखे जाते हैं। सीएजी के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सीएजी का (कर्तव्यों, शक्तियों एवं सेवा की शर्तों) अधिनियम, 1971 की धारा 19ए के अन्तर्गत की सरकार को प्रस्तुत किए जाते हैं।

प्रतिवेदन में सम्मिलित राजकीय उपक्रमों की प्रकृति

1.4 वर्ष 2020-21 के प्रारंभ में, लेखापरीक्षा हेतु सीएजी के कार्यक्षेत्र में 45 राजकीय उपक्रम विद्यमान थे। वर्ष 2020-21 के दौरान, एक नई निगमित (फरवरी 2021) सरकारी कंपनी यथा सांगोद ट्रांसमिशन सर्विस लिमिटेड¹¹ (एसटीएसएल) लेखापरीक्षा हेतु सीएजी के कार्यक्षेत्र में आई। कंपनी अधिनियम, 2013 की

वर्ष 2020-21 में सीएजी के कार्यक्षेत्र में लेखापरीक्षा के लिए राजकीय उपक्रम

सरकारी कंपनियाँ	38
सांविधिक निगम	03
सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियाँ	04
कुल राजकीय उपक्रम	45

धारा 2 (41) में प्रावधान है कि एक कंपनी, जिसे एक वर्ष के 1 जनवरी को या उसके बाद निगमित किया गया है, के संबंध में वित्तीय वर्ष का अर्थ है आगामी वर्ष के 31 मार्च को समाप्त होने वाली अवधि। इसलिए, एसटीएसएल के प्रथम वित्तीय विवरण 31 मार्च 2022 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए तैयार किए जाने हैं एवं तत्पश्चात लेखापरीक्षा की जानी है। परिणामस्वरूप, वर्ष 2020-21 के दौरान लेखापरीक्षा हेतु सीएजी के कार्य-क्षेत्र में राजकीय उपक्रमों की संख्या 45 थी, जिसमें 38 सरकारी कंपनियाँ, तीन सांविधिक निगम¹² एवं सरकार द्वारा नियंत्रित चार अन्य कंपनियाँ¹³ सम्मिलित थी, जैसा कि अनुबंध 1.1 में दर्शाया गया है।

कोई भी कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं थी। साथ ही, सरकारी कंपनियों में सम्मिलित तीन अकार्यरत कंपनियाँ¹⁴ वह हैं, जिन्होंने गत नौ से 21 वर्षों से अपने संचालनों को बंद कर दिया था। इन अकार्यरत कंपनियों के निवेश एवं परिसमापन की स्थिति पर अनुच्छेद 1.21 में चर्चा की गई है।

गतिविधियों की प्रकृति के आधार पर, इन 41 राजकीय उपक्रमों (सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य चार कंपनियों के अतिरिक्त) को आठ क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है। इन राजकीय उपक्रमों का क्षेत्रवार टर्नओवर एवं टर्नओवर का राजस्थान के जीएसडीपी के सम्मुख अंश तालिका 1.1 में

11 राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड (आरआरवीपीएनएल) की एक सहायक कंपनी

12 राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम (आरएसआरटीसी), राजस्थान राज्य भंडार व्यवस्था निगम (आरएसडब्ल्यूसी) एवं राजस्थान वित्त निगम (आरएफसी)।

13 अजमेर स्मार्ट सिटी लिमिटेड (एएससीएल), जयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड (जेएससीएल), कोटा स्मार्ट सिटी लिमिटेड (केएससीएल) एवं उदयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड (यूएससीएल)।

14 राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम लिमिटेड (आरएसआईसीएल), राजस्थान नागरिक उड्डयन निगम लिमिटेड (आरसीएसीएल) एवं राजस्थान जल विकास निगम लिमिटेड (आरजेवीएनएल)

दर्शाया गया है:

तालिका 1.1: 2020-21 के दौरान, राजकीय उपक्रमों का क्षेत्रवार टर्नओवर का राजस्थान के जीएसडीपी के सम्मुख अंश

क्रम संख्या	क्षेत्र का नाम	राजकीय उपक्रमों की संख्या	वर्ष के लिए टर्नओवर (₹ करोड़ में)	जीएसडीपी में टर्नओवर का अंश
1.	पॉवर एवं ऊर्जा	15	72166.24	7.12
2	उद्योग एवं व्यापार	6	3078.43	0.30
3	वित्त	3	6978.59	0.69
4	कृषि, स्वाद्य एवं संबधित उद्योग	4	963.18	0.09
5	संस्कृति एवं पर्यटन	2	62.80	0.01
6	परिवहन	2	1688.95	0.17
7	शहरी विकास	2	73.54	0.01
8	अन्य	7	1974.71	0.19
	कुल	41	86986.44	8.58

स्रोत: राजकीय उपक्रमों के नवीनतम वित्तीय विवरणों के आधार पर संकलित सूचना।

जैसा कि उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है, वर्ष 2020-21 के लिए, इन 41 राजकीय उपक्रमों का टर्नओवर (₹ 86,986.44 करोड़), वर्ष के लिए राजस्थान के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) (₹ 10,13,323 करोड़) का 8.58 प्रतिशत था। जीएसडीपी में टर्नओवर का सबसे अधिक अंश ऊर्जा एवं पॉवर क्षेत्र से था, जिसका योगदान 7.12 प्रतिशत था।

2020-21 के दौरान सरकार द्वारा नियंत्रित चार अन्य कंपनियों का टर्नओवर शून्य था।

राजकीय उपक्रमों के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा

1.5 सीएजी, अपने अधिदेश के अनुसार, सभी 42 कंपनियों (अर्थात् 38 सरकारी कंपनियाँ एवं सरकार द्वारा नियंत्रित चार अन्य कंपनियाँ) के वार्षिक लेखों की पूरक लेखा परीक्षा करते हैं। तीन सांविधिक निगमों के संबंध में, सीएजी राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम (आरएसआरटीसी) के एकमात्र लेखापरीक्षक है जबकि राजस्थान राज्य भंडार व्यवस्था निगम (आरएसडब्ल्यूसी) एवं राजस्थान वित्त निगम (आरएफसी) के संबंध में संबंधित विधानों के अन्तर्गत नियुक्त सनदी लेखाकारों द्वारा लेखापरीक्षा की जाती है एवं तत्पश्चात, सीएजी द्वारा पूरक लेखापरीक्षा की जाती है।

राजकीय उपक्रमों के 30 नवंबर, 2021¹⁵ तक प्राप्त नवीनतम अंतिम रूप दिए गये वित्तीय विवरणों के आधार पर, इस प्रतिवेदन में इन 45 राजकीय उपक्रमों के वित्तीय निष्पादन को

15 2020-21 के वार्षिक लेखों के प्रस्तुतीकरण के लिए बढ़ाई गई नियत तिथि।

सम्मिलित किया गया है। राजकीय उपक्रमों की प्रकृति एवं वित्तीय विवरणों की स्थिति तालिका 1.2 में इंगित की गई है:

तालिका 1.2: प्रतिवेदन में सम्मिलित राजकीय उपक्रमों की प्रकृति

राजकीय उपक्रमों की प्रकृति	कुल संख्या	राजकीय उपक्रमों की संख्या जिनके लेखे प्रतिवेदन अवधि ¹⁶ के दौरान प्राप्त हुये				राजकीय उपक्रमों की संख्या जिनके लेखे 30 नवम्बर 2021 तक बकाया (कुल बकाया लेखे) थे।
		2020-21 के लिये लेखे	2019-20 के लिये लेखे	2018-19 के लेखे	कुल	
सरकारी कंपनियां	38	25	5	2 ¹⁷	32	13 (30)
सांविधिक निगम	3	1	1	-	2	2 (2)
कुल	41	26	6	2	34	15 (32)
सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियां	4	-	-	-	-	4 (5)
कुल	45	26	6	2	34	19 (37)

स्रोत: 30 नवंबर 2021 तक प्राप्त लेखों के आधार पर संकलित सूचना।

कंपनी-वार लेखों की बकाया स्थिति को अनुच्छेद 1.2 में दर्शाया गया है।

इस प्रतिवेदन में सम्मिलित राजकीय उपक्रमों के वित्तीय निष्पादन का सारांश (सरकारी कंपनियां एवं सांविधिक निगम)	
राजकीय उपक्रमों की कुल संख्या	41 ¹⁸
राजकीय उपक्रम सम्मिलित	41
प्रदत्त पूँजी (41 राजकीय उपक्रम)	₹ 51,787.33 करोड़
दीर्घावधि ऋण (41 राजकीय उपक्रम)	₹ 1,10,201.27 करोड़
शुद्ध लाभ (25 राजकीय उपक्रम)	₹ 1,232.32 करोड़
शुद्ध हानि (13 राजकीय उपक्रम)	₹ 4,046.23 करोड़
शून्य लाभ/हानि (3 राजकीय उपक्रम) ¹⁹	
घोषित लाभांश/भुगतान (7 राजकीय उपक्रम)	₹ 66.08 करोड़
कुल परिसम्पत्तियां (41 राजकीय उपक्रम)	₹ 2,15,779.56 करोड़

16 जनवरी 2021 से नवंबर 2021 तक।

17 राजस्थान शहरी पेयजल सीवरेज एवं ढांचागत लिमिटेड के वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 के वित्तीय विवरण।

18 सांगोद ट्रांसमिशन सर्विस लिमिटेड को छोड़कर जो 2021-22 से ऑडिट के लिए देय था।

19 छबड़ा ऊर्जा लिमिटेड, धौलपुर गैस ऊर्जा लिमिटेड एवं राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड।

निवल मूल्य (41 राजकीय उपक्रम)	(-) ₹ 45,714.26 करोड़
सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियां	
राजकीय उपक्रमों की कुल संख्या	4
राजकीय उपक्रम सम्मिलित	4
प्रदत्त पूँजी	₹ 600.01 करोड़
दीर्घावधि ऋण	शून्य
शुद्ध लाभ (एक राजकीय उपक्रम)	₹ 0.05 करोड़
शुद्ध हानि (एक राजकीय उपक्रम)	₹ 0.02 करोड़
शून्य लाभ/हानि (2 राजकीय उपक्रम) ²⁰	
घोषित लाभांश/भुगतान	शून्य
कुल परिसंपत्ति (4 राजकीय उपक्रम)	₹ 1363.28 करोड़
निवल मूल्य (4 राजकीय उपक्रम)	₹ 621.21 करोड़

स्रोत: 30 नवंबर 2021 तक प्राप्त खातों एवं राजकीय उपक्रमों द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर संकलित सूचना।

राजकीय उपक्रमों में निवेश

1.6 राजकीय उपक्रमों में निवेश में पूँजी एवं दीर्घावधि ऋण सम्मिलित है। राज्य सरकार राजकीय उपक्रमों को वार्षिक बजट के माध्यम से अनुदान एवं सब्सिडी के रूप में भी वित्तीय सहायता प्रदान करती है। 45 राजकीय उपक्रमों में से, 41 सरकारी कंपनियों एवं सांविधिक निगम (सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियों को छोड़कर) के निवेश पर चर्चा अनुच्छेद 1.7 से 1.17 में की गई है।

निष्पादित कार्यों/सम्मिलित गतिविधियों के आधार पर, इन राजकीय उपक्रमों को आठ क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है। 31 मार्च 2021 को इन राजकीय उपक्रमों में क्षेत्रवार निवेश को तालिका 1.3 में दर्शाया गया है:

तालिका 1.3 राजकीय उपक्रमों में अंशपूँजी निवेश एवं ऋण

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	क्षेत्र का नाम	राजकीय उपक्रमों की संख्या	पूँजी	दीर्घावधि ऋण	कुल
1.	पॉवर एवं ऊर्जा	15	48394.41	101458.88	149853.29
2	उद्योग एवं व्यापार	6	521.49	1774.42	2295.91

20 अजमेर स्मार्ट सिटी लिमिटेड एवं कोटा स्मार्ट सिटी लिमिटेड।

3	वित्त	3	272.39	0.31	272.70
4	कृषि, स्वास्थ्य एवं संबधित उद्योग	4	71.45	300.99	372.44
5	संस्कृति एवं पर्यटन	2	24.11	77.20	101.31
6	परिवहन	2	643.45	909.52	1552.97
7	शहरी विकास	2	1742.71	2723.95	4466.66
8	अन्य	7	117.32	2956.00	3073.32
	कुल	41	51787.33	110201.27	161988.60

स्रोत: राजकीय उपक्रमों द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर संकलित।

साथ ही, सरकार द्वारा नियंत्रित चार अन्य कंपनियों के निवेश पर चर्चा अनुच्छेद 1.18 में की गई है।

सरकारी कंपनियों एवं सांविधिक निगमों में हिस्सेदारी

1.7 31 मार्च 2021 को समाप्त तीन वर्षों की अवधि हेतु 41 सरकारी कंपनियों एवं सांविधिक निगमों में पूँजी एवं ऋण के रूप में निवेश की राशि तालिका 1.4 में दी गई है:

तालिका 1.4 राजकीय उपक्रमों में अंशपूँजी निवेश एवं ऋण

(₹ करोड़ में)

निवेश का स्रोत	31 मार्च 2019 ²¹			31 मार्च 2020			31 मार्च 2021		
	पूँजी	दीर्घावधि ऋण	कुल	पूँजी	दीर्घावधि ऋण	कुल	पूँजी	दीर्घावधि ऋण	कुल
राज्य सरकार	48435.56	20499.93	68935.49	50531.10	7618.37	58149.47	50934.59	7631.07	58565.66
राजकीय उपक्रम	613.13	0.43	613.56	613.13	13.43	626.56	613.13	0.43	613.56
केन्द्र सरकार	31.02	0	31.02	31.02	0.00	31.02	31.02	0.00	31.02
अन्य ²²	208.59	91292.43	91501.45	208.59	98572.95	98781.54	208.59	102569.77	102778.36
कुल	49288.30	111792.79	161081.52	51383.84	106204.75	157588.59	51787.33	110201.27	161988.60
कुल निवेश में राज्य सरकार का हिस्सा (% में)	98.27	18.34	42.80	98.34	7.17	36.90	98.35	6.92	36.15

स्रोत: राजकीय उपक्रमों से प्राप्त सूचना के आधार पर संकलित।

इन राजकीय उपक्रमों में कुल निवेश में 2019-20 में कुल निवेश की तुलना में 2020-21 के दौरान ₹ 4,400.01 करोड़ की वृद्धि हुई। इसमें राज्य सरकार द्वारा ₹ 403.49 करोड़ की अंशपूँजी का निवेश और वर्ष के दौरान लंबी अवधि के ऋणों में ₹ 3,996.52 करोड़ की वृद्धि शामिल है।


21 वर्ष 2019-20 के दौरान बंद हुई दो कंपनियों के आंकड़े वर्ष 2018-19 के आंकड़ों में सम्मिलित नहीं हैं।

22 केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम, बैंक, वित्तीय संस्थान, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड आदि शामिल हैं।

31 मार्च 2021 को कुल निवेश का 92.51 प्रतिशत (₹ 1,49,853.29 करोड़) ऊर्जा क्षेत्र के राजकीय उपक्रमों में निवेशित था।

2018-19 से 2020-21 की अवधि के अन्त में इन राजकीय उपक्रमों में कुल निवेश के स्रोतों का वर्ष-वार वर्गीकरण चार्ट 1.1 में दर्शाया गया है।

चार्ट 1.1: राजकीय उपक्रमों में 2018-19 से 2020-21 के दौरान कुल निवेश के स्रोत




स्रोत: राजकीय उपक्रमों से प्राप्त सूचना के आधार पर संकलित।

पूँजी में निवेश

1.8 31 मार्च 2021 को समाप्त तीन वर्षों की अवधि के दौरान, इन 41 राजकीय उपक्रमों में राज्य सरकार द्वारा पूँजी के रूप में ₹ 6,321.33 करोड़ की राशि का निवेश किया गया था। इन राजकीय उपक्रमों में 2018-19 से 2020-21 के दौरान राज्य सरकार द्वारा निवेश की गई पूँजी का वर्षवार विवरण चार्ट 1.2 में दर्शाया गया है।

चार्ट 1.2: राज्य सरकार द्वारा 2018-21 के दौरान 41 राजकीय उपक्रमों में पूँजी निवेश



स्रोत: राजकीय उपक्रमों से प्राप्त सूचना के आधार पर संकलित।

2020-21 के दौरान राजकीय उपक्रमों में पूँजी निवेश 2018-19 एवं 2019-20 की तुलना में बहुत कम था। गत वर्षों में पूँजी निवेश अधिक था क्योंकि राज्य सरकार ने 2018-19 में ₹ 3000 करोड़ एवं 2019-20 में ₹ 905.50 करोड़ के तीन राज्य डिस्कॉम्स²³ के ऋणों को उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) के तहत पूँजी में परिवर्तित किया था। 2020-21 के दौरान ऐसा कोई रूपांतरण नहीं हुआ क्योंकि उदय केवल 2019-20 तक प्रभावी था।

वर्ष 2020-21 के दौरान, पूँजी पूर्णतया ऊर्जा क्षेत्र के राजकीय उपक्रमों में शेयरों के निर्गम के माध्यम से निवेश की गयी थी।

2020-21 के दौरान ऊर्जा क्षेत्र के राजकीय उपक्रमों में निवेशित पूँजी को तालिका 1.5 में दर्शाया गया है:

तालिका 1.5: वर्ष 2020-21 के दौरान पूँजी निवेश

राजकीय उपक्रमों का नाम	राशि (₹ करोड़ में)
जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (जेवीवीएनएल)	114.92
जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड(जेडीवीवीएनएल)	148.97
अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (एवीवीएनएल)	106.32
राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (आरआरवीयूएनएल)	33.28
कुल	403.49

स्रोत: राजकीय उपक्रमों से प्राप्त सूचना के आधार पर संकलित।


सरकारी कंपनियों एवं निगमों को दिया गया ऋण

1.9 31 मार्च 2021 को राजकीय उपक्रमों (सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियों के अतिरिक्त) में समस्त स्रोतों से कुल बकाया दीर्घावधि ऋण ₹ 1,10,201.27 करोड़ था। 2020-21 के दौरान, राजकीय उपक्रमों के दीर्घावधि ऋणों में ₹ 3996.52 करोड़ की वृद्धि दर्ज की गई। 31 मार्च 2021 को राजकीय उपक्रमों के कुल ऋणों में, राज्य सरकार से ऋण ₹ 7631.07 करोड़ (6.92 प्रतिशत) था।

राजकीय उपक्रमों में बकाया दीर्घावधि ऋणों का वर्षवार विवरण चार्ट 1.3 में दर्शाया गया है।

23 जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (जेवीवीएनएल), जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (जेडीवीवीएनएल) एवं अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (एवीवीएनएल)।

चार्ट 1.3: राजकीय उपक्रमों में बकाया दीर्घावधि ऋण



यह देखा जा सकता है कि गत तीन वर्षों के दौरान अन्य द्वारा दिए गये दीर्घावधि ऋणों की बकाया शेष राशि में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई थी जबकि राज्य सरकार के ऋणों में इस अवधि के दौरान महत्वपूर्ण कमी आयी थी।

ऋणों का विश्लेषण

1.10 राजकीय उपक्रमों, जिन पर 2018-19 से 2020-21 के दौरान ऋण दायित्व थे, राज्य सरकार, बैंको एवं अन्य वित्तीय संस्थाओं (एफआईजे) के ऋणों का दायित्व निर्वहन करने की राजकीय उपक्रमों की क्षमता के आंकलन करने हेतु विश्लेषण किया गया था। इसका आंकलन ब्याज व्याप्ति अनुपात, एवं कुल परिसंपत्तियों का दीर्घकालिक ऋण से अनुपात के माध्यम से किया गया है। साथ ही, राज्य सरकार के ऋणों पर बकाया ब्याज का आयु-वार विश्लेषण का भी आंकलन किया गया है।

ब्याज व्याप्ति अनुपात

1.11 ब्याज व्याप्ति अनुपात का उपयोग किसी कम्पनी के बकाया ऋण पर ब्याज का भुगतान करने की क्षमता का निर्धारण करने के लिए किया जाता है एवं इसकी गणना कम्पनी के ब्याज एवं करों से पूर्व के लाभ (ईबीआईटी) को उसी अवधि के ब्याज व्यय से विभाजित करके की जाती है। यह अनुपात जितना कम होगा, कम्पनी की ऋण पर ब्याज का भुगतान करने की क्षमता उतनी ही कम होगी। एक से कम का ब्याज व्याप्ति अनुपात दर्शाता है कि कम्पनी ब्याज पर अपने व्ययों को पूरा करने के लिए पर्याप्त राजस्व का अर्जन नहीं कर रही थी। 2018-19 से 2020-21 की अवधि के दौरान 29 राजकीय उपक्रमों, जिन पर बकाया ऋण था, के ब्याज व्याप्ति अनुपात का विवरण तालिका 1.6 में दिया गया है:

तालिका 1.6: ब्याज व्याप्ति अनुपात

वर्ष	राजकीय उपक्रमों ²⁴ की संख्या जिनमें सरकार, बैंक एवं अन्य वित्तीय संस्थानों से ऋण का भार था	ब्याज (₹ करोड़ में)	ब्याज एवं करों से पूर्व के लाभ (ईबीआईटी) (₹ करोड़ में)	राजकीय उपक्रमों की संख्या जिनका ब्याज व्याप्ति अनुपात एक से अधिक था	राजकीय उपक्रमों की संख्या जिनका ब्याज व्याप्ति अनुपात एक से कम था
2018-19	28	13287.91	16021.81	18	10 ²⁵
2019-20	28	14534.03	18191.58	18	10 ²⁶
2020-21	29	15199.60	12716.54	17	12 ²⁷

स्रोत: राजकीय उपक्रमों के नवीनतम अंतिम रूप दिए गए लेखों के आधार पर संकलित।

एक से अधिक ब्याज व्याप्ति अनुपात वाले राजकीय उपक्रमों की संख्या 2018-19 में 18 से घटकर 2020-21 में 17 हो गई थी।

ब्याज शुल्क का शोधन एवं मूलधन का पुर्नभुगतान

1.12 29 राजकीय उपक्रमों, जिन पर 2020-21 के दौरान ऋणों का दायित्व था, में से छः राजकीय उपक्रमों ने उनके नवीनतम अंतिम रूप खातों पर सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन के अनुसार अपने ऋणों (मूलधन/ब्याज प्रभार) के शोधन में चूक की थी, जैसा कि तालिका 1.7 में दर्शाया गया है:

तालिका 1.7: राजकीय उपक्रम, जिन्होंने मूलधन के पुर्नभुगतान एवं ब्याज प्रभार के शोधन में चूक की (₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	राजकीय उपक्रम का नाम	ऋण का स्रोत	चूक की राशि
1	राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड	बैंक/वित्तीय	5303.43
2	गिरल लिग्नाइट ऊर्जा लिमिटेड	संस्था	39.74
3	राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड	राजस्थान	0.75
4	जयपुर मेट्रो रेल निगम लिमिटेड	सरकार	163.65
5	राजस्थान राज्य हथकरघा विकास निगम लिमिटेड		3.52
6	राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड		20.00

स्रोत: सांविधिक लेखापरीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर संकलित।

- 24 राजकीय उपक्रम, जो नवीनतम अंतिम रूप दिए गये वित्तीय विवरणों में वित्तीय लागत (अल्प कालिक ऋणों के साथ-साथ दीर्घकालिक ऋणों से संबंधित) रक्वते थे।
- 25 जीएलपीएल, बाड़मेर टीपीसीएल, आरआरवीपीएनएल, आरएसआईसीएल, जेएमआरसीएल, आरएसएचसीएल, आरटीडीसीएल, बीएलएमसीएल, आरएसआरटीसी एवं आरएसएसीआईएल।
- 26 जीएलपीएल, बाड़मेर टीपीसीएल, बांसवाड़ा टीपीसीएल, आरएसएचडीसीएल, जेएमआरसीएल, आरएसएचसीएल, आरटीडीसीएल, आरएफसी, आरएसआरटीसी एवं आरएसएसीआईएल।
- 27 आरएसएचडीसीएल, जेएमआरसी, जेवीवीएनएल, आरआरवीयूएनएल, जेडीवीवीएनएल, बाड़मेर टीपीसीएल, बांसवाड़ा टीपीसीएल, जीएलपीएल, आरएसएचसीएल, आरटीडीसीएल, आरएसआरटीसी, आरएसएआईसीएल।

छ: चूककर्ता राजकीय उपक्रमों में से, आरआरवीयूएनएल ने बैंकों/वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त ऋण की सारभूत राशि के लिए चूक की। यह पाया गया कि 31 मार्च 2021 को, आरआरवीयूएनएल की कुल चालू संपत्ति (₹ 29964.80 करोड़) का 86.21 प्रतिशत (₹ 25831.67 करोड़) तीन राज्य डिस्कॉम²⁸ से वसूली योग्य विद्युत बकाया से संबंधित था। ये वसूली योग्य विद्युत बकाया वर्ष 2020-21 के परिचालन राजस्व (यथा विद्युत के विक्रय से राजस्व) का 1.67 गुना था। परिणामस्वरूप, राजकीय उपक्रम को तरलता की कमी का सामना करना पड़ा एवं इसलिए, समय पर अपने ऋणों का भुगतान नहीं कर सका।


तरलता विश्लेषण

1.13 चालू अनुपात एक तरलता अनुपात है जो एक कंपनी की अल्पकालिक दायित्वों या उन देय राशियों का भुगतान करने की क्षमता को मापता है जो एक वर्ष की अवधि के भीतर देय हैं। यह कंपनी की सभी चालू परिसंपत्तियों की तुलना उसके चालू दायित्वों से करता है। यह कंपनी की अल्पकालिक ऋण शोधन क्षमता का एक उपयोगी माप है। एक से कम चालू अनुपात इंगित करता है कि कंपनी के अल्पकालिक दायित्व उसकी अल्पकालिक परिसंपत्तियों से अधिक हैं एवं यह अपनी उपलब्ध चालू परिसंपत्तियों के साथ इस तरह के बकाया का भुगतान करने में सक्षम नहीं है। एक से अधिक चालू अनुपात इंगित करता है कि कंपनी के पास अपने अल्पकालिक दायित्वों को पूरा करने के लिए पर्याप्त अल्पकालिक संपत्ति है। चालू अनुपात का सूत्र नीचे दिया गया है:

$$\text{चालू अनुपात} = \frac{\text{चालू संपत्तियां}}{\text{चालू दायित्व}}$$

पिछले तीन वर्षों की अवधि 2018-19 से 2020-21 के अंत में 41 राजकीय उपक्रमों के चालू अनुपात का क्षेत्रवार विवरण चार्ट 1.4 में दर्शाया गया है।

चार्ट 1.4: 2018-19 से 2020-21 के दौरान राजकीय उपक्रमों में क्षेत्रवार चालू अनुपात



स्रोत: राजकीय उपक्रमों से प्राप्त सूचना के आधार पर संकलित।

यह देखा जा सकता है कि आठ क्षेत्रों में से, 2018-20 के दौरान पांच क्षेत्रों एवं 2020-21 के दौरान चार क्षेत्रों का चालू अनुपात एक से कम था। इसने इंगित किया कि ये क्षेत्र लगातार वित्तीय संकट में हैं, विशेषतया तरलता के मामले में। 2018-20 के दौरान दो क्षेत्रों एवं 2020-21 के दौरान तीन क्षेत्रों का चालू अनुपात एक से अधिक था। साथ ही, एक क्षेत्र यथा उद्योग एवं व्यापार का चालू अनुपात एक से सारभूत रूप से अधिक था जो दर्शाता है कि इस क्षेत्र ने आवश्यकता से अधिक तरलता बनाए रखी।

राज्य सरकार के ऋणों पर बकाया ब्याज का आयु-वार विश्लेषण

1.14 31 मार्च 2021 को राज्य सरकार द्वारा प्रदान किये गये दीर्घावधि ऋणों पर चार राजकीय उपक्रमों के समक्ष ₹ 167.20 करोड़ की ब्याज राशि बकाया थी। राज्य सरकार के ऋणों पर बकाया ब्याज का आयु-वार विश्लेषण तालिका 1.8 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.8: राज्य सरकार के ऋणों पर बकाया ब्याज

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	राजकीय उपक्रम का नाम	राज्य सरकार के ऋणों पर बकाया ब्याज	1 वर्ष से कम के लिये बकाया ब्याज	1 वर्ष से 3 वर्षों के लिये बकाया ब्याज	3 वर्षों से अधिक के लिये बकाया ब्याज
1	जयपुर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	163.65	26.60	79.79	57.26

2	राजस्थान स्टेट होटल्स कॉरपोरेशन लिमिटेड ²⁹	0.79	0.04	0.12	0.63
3	राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड ³⁰	0.50	0.00	0.00	0.50
4	राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड	2.26	2.26	0.00	0.00
	कुल	167.20	28.90	79.91	58.39

स्रोत: राजकीय उपक्रमों द्वारा प्रदान की गई सूचना।

यह देखा जा सकता है कि बकाया ब्याज का प्रमुख हिस्सा जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड से संबंधित था। साथ ही, इस राजकीय उपक्रम पर बकाया ब्याज लगातार एकत्रित हो रहा था क्योंकि राज्य सरकार के ऋण पर उपाजित ब्याज के पेटे कोई भुगतान नहीं किया जा रहा था।

ऋण देयताओं को पूर्ण करने के लिए परिसम्पत्तियों की पर्याप्तता

1.15 कुल परिसंपत्तियों से दीर्घावधि ऋण का अनुपात यह निर्धारित करने के लिए उपयोग की जाने वाली विधियों में से एक है कि क्या कोई कंपनी शोधक्षम रह सकती है। शोधक्षम माने जाने के लिए, किसी इकाई की परिसंपत्तियों का मूल्य उसके दीर्घावधि ऋण/कर्ज के योग से अधिक होना चाहिए। कुल 29 राजकीय उपक्रमों, जिन पर ऋण देनदारी थी, में से 22 राजकीय उपक्रमों में 31 मार्च 2021 को बकाया दीर्घावधि ऋण थे। इन 22 राजकीय उपक्रमों में कुल परिसंपत्तियों के मूल्य से दीर्घावधि ऋणों की व्याप्ति तालिका 1.9 में दी गई है।

तालिका 1.9: कुल परिसंपत्तियों से दीर्घावधि ऋणों की व्याप्ति

(₹ करोड़ में)

राजकीय उपक्रम के प्रकार	धनात्मक व्याप्ति				ऋणात्मक व्याप्ति			
	राजकीय उपक्रम की संख्या	दीर्घावधि ऋण	कुल परिसंपत्तियाँ	ऋणों से परिसंपत्तियों का प्रतिशत	राजकीय उपक्रम की संख्या	दीर्घकालीन ऋण	कुल परिसंपत्तियाँ	ऋणों से परिसंपत्तियों का प्रतिशत
सरकारी कंपनियाँ	18	107924.40	185829.20	172.18	1	46.61	4.75	10.19
सांविधिक निगम	3	1895.24	15503.69	818.03	-	-	-	-

स्रोत:- राजकीय उपक्रमों के नवीनतम अंतिम रूप दिए गए लेखों के आधार पर संकलित।

22 राजकीय उपक्रमों में से मात्र एक राजकीय उपक्रम (आरएसएआईसीएल), जो कि एक

29 राज्य सरकार ने घाटे में चल रहे राजकीय उपक्रमों को देखते हुए ब्याज और मूलधन की अदायगी टाल दी।

30 आरएसजीएसएमएल में विलय की गई कंपनी की राशि जिसकी ब्याज माफी के लिए आवेदन राज्य सरकार के पास लंबित है।

अकार्यरत राजकीय उपक्रम था, में कुल परिसंपत्तियों का मूल्य बकाया ऋणों से कम था।

अन्य बजटीय सहायता

1.16 पूँजी निवेश एवं दीर्घावधि ऋण प्रदान करने के अतिरिक्त, राज्य सरकार वार्षिक बजट के माध्यम से अनुदान/सब्सिडी के रूप में राजकीय उपक्रमों को वित्तीय सहायता भी प्रदान करती है। राज्य सरकार, बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए राजकीय उपक्रमों को राजस्थान राज्य गारंटी अनुदान अधिनियम (आरएसजीजीआर) 1970 के अंतर्गत गारंटी भी प्रदान करती है। सरकार ने आरएसजीजीआर, 1970 के प्रावधानों के अन्तर्गत बिना किसी अपवाद के बैंकों/वित्तीय संस्थानों से राजकीय उपक्रमों द्वारा लिए गए ऋण के मामले में प्रति वर्ष एक प्रतिशत की दर से गारंटी कमीशन वसूल करने का निर्णय किया (फरवरी 2011)। 31 मार्च 2021 को समाप्त गत तीन वर्षों के लिये, राज्य सरकार द्वारा राजकीय उपक्रमों के संबंध में अनुदान/सब्सिडी एवं गारंटी के पेटे बजटीय सहायता का सारांशित विवरण तालिका 1.10 में दिया गया है:

तालिका 1.10: राजकीय उपक्रमों को बजटीय सहायता का विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	2018-19		2019-20		2020-21	
	राजकीय उपक्रमों की संख्या	राशि	राजकीय उपक्रमों की संख्या	राशि	राजकीय उपक्रमों की संख्या	राशि
अनुदान/सब्सिडी	11	22012.86	12	23923.10	11	15449.56
निर्गमित गारंटियाँ	4	21671.76	7	13298.44	6	15721.00
वर्ष के अंत में गारंटी प्रतिबद्धता	8	60926.16	10	69536.24	9	75335.99

स्रोत: राजकीय उपक्रमों से प्राप्त सूचना के आधार पर संकलित।

2019-20 में उदय के पूर्ण होने एवं इसके तहत राज्य डिस्कॉम्स को मिलने वाली सब्सिडी 2020-21 से बंद करने के कारण, 2020-21 के दौरान प्राप्त अनुदान एवं सब्सिडी में गत वर्षों की तुलना में अत्यन्त गिरावट हुई। साथ ही, 2020-21 के दौरान प्राप्त अनुदान एवं सब्सिडी में मुख्य रूप से राज्य सरकार द्वारा राज्य डिस्कॉम्स को दी गई टैरिफ सब्सिडी शामिल है। इसके अलावा, गत वर्षों की तुलना में वर्ष 2020-21 के अंत में बकाया गारंटी प्रतिबद्धताओं में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। 2020-21 के दौरान, नौ राजकीय उपक्रमों द्वारा ₹ 722.72 करोड़ की देय राशि के विरुद्ध ₹ 421.54 करोड़ का गारंटी कमीशन का भुगतान किया गया था।

वर्ष 2020-21 के अंत में राजकीय उपक्रमों के प्रति राज्य सरकार की गारंटी प्रतिबद्धता उल्लेखनीय थी क्योंकि यह राज्य सरकार की 2020-21 के दौरान कुल राजस्व प्राप्ति (₹ 134307.88 करोड़)³¹ का 56.09 प्रतिशत परिकलित की गई थी।

बकाया लेखों वाले राजकीय उपक्रमों को बजटीय सहायता

1.17 राजकीय उपक्रमों की गतिविधियों की निगरानी एवं इन राजकीय उपक्रमों द्वारा लेखों को निर्धारित समय में अन्तिम रूप दिये जाने एवं अपनाये जाने को सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व प्रशासनिक विभागों पर हैं। संबंधित विभागों को बकाया लेखों के संबंध में त्रैमासिक रूप से सूचित किया गया था।

19 राजकीय उपक्रमों, जिनके लेखों को 30 नवंबर 2021 तक अंतिम रूप नहीं दिया गया था, जैसा कि कम्पनी अधिनियम 2013, आरएसआरटीसी नियम 1964 एवं आरएसडब्ल्यूसी नियम 1975 में नियत है, में से पाँच राजकीय उपक्रमों को राज्य सरकार ने, जिस अवधि के दौरान इन राजकीय उपक्रमों के लेखे बकाया थे, ₹ 951.35 करोड़ (ऋण: ₹ 11.70 करोड़, सब्सिडी: ₹ 939.65 करोड़) प्रदान किये। राजकीय उपक्रम वार राज्य सरकार द्वारा किये गये निवेश का विवरण, जिस अवधि के दौरान लेखे बकाया थे, **अनुबंध 1.2** में दर्शाया गया है। लेखों के अंतिमीकरण एवं इनकी अनुवर्ती लेखापरीक्षा के अभाव में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि निवेश एवं व्यय उचित रूप से लेखांकित किये गये थे एवं उद्देश्य, जिसके लिए राशि निवेश की गई थी, प्राप्त कर लिया गया था। इसलिए, राज्य सरकार का इन राजकीय उपक्रमों में निवेश राज्य विधान सभा की निगरानी से बाहर रहा।

सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियों में निवेश

1.18 31 मार्च 2021 को राज्य में सरकार द्वारा नियंत्रित चार अन्य कंपनियों में कुल पूँजी निवेश ₹ 600.01 करोड़ था। पूँजी राज्य सरकार एवं इसके द्वारा नियंत्रित नगर निगमों द्वारा समान रूप से निवेश की गई थी। इन सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियों में 2020-21 के दौरान कोई पूँजी निवेश नहीं हुआ था। इसके अलावा, सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियों में से किसी में भी 31 मार्च 2021 को दीर्घावधि ऋणों का दायित्व नहीं था।

राजस्थान सरकार के वित्त लेखों के साथ मिलान

1.19 पूँजी, ऋण एवं बकाया गारंटियों के संबंध में राजकीय उपक्रमों के अभिलेखों के आंकड़े राजस्थान सरकार के वित्त लेखों में दर्शाये गये आंकड़ों से मेल खाने चाहिए। यदि आंकड़े मेल नहीं खाते हैं, तो संबंधित राजकीय उपक्रमों एवं वित्त विभाग को अंतर का मिलान करना चाहिए।

लेखापरीक्षा ने पाया कि 31 मार्च 2021 को, 36 राजकीय उपक्रमों (नौ सहायक कंपनियों को

31 राज्य सरकार के वर्ष 2022-23 के वार्षिक बजट के अनुसार।

छोड़कर) में से 19 राजकीय उपक्रमों में वित्त लेखों में दर्शाये गये पूँजी, ऋण एवं बकाया गारंटियों के आंकड़ों में एवं राजकीय उपक्रमों के अभिलेखों के आंकड़ों में अन्तर था, जैसाकि **अनुबंध 1.3** में दर्शाया गया है। 31 मार्च 2021 को ऐसे अंतरों की सांरांशित स्थिति तालिका 1.11 में वर्णित है:

तालिका 1.11: राजस्थान सरकार के वित्त लेखों एवं 19 राजकीय उपक्रमों के अभिलेखों के अनुसार पूँजी, ऋण एवं बकाया गारंटियां

(₹ करोड़ में)

मद के संबंध में बकाया	राजकीय उपक्रमों के अभिलेखों के अनुसार राशि	वित्त लेखों के अनुसार राशि
पूँजी	49262.73	49294.11
ऋण	6279.54	6316.64
बकाया गारंटिया	75335.99	74765.89

स्रोत: राजकीय उपक्रमों एवं वित्त लेखों से प्राप्त सूचना के आधार पर संकलित।

राजकीय उपक्रमों का विनिवेश, पुनर्गठन एवं निजीकरण

1.20 वर्ष 2020-21 के दौरान, राज्य सरकार द्वारा विनिवेश, पुनर्गठन एवं निजीकरण नहीं किया गया था।

अकार्यरत राजकीय उपक्रमों का समापन

1.21 तीन अकार्यरत सरकारी कंपनियां, जिन्होंने गत नौ से 21 वर्षों की अवधि में अपने संचालनों को बंद कर दिया था, में 31 मार्च 2021 को पूँजी (₹ 11.77 करोड़) एवं दीर्घावधि ऋण (₹ 16.27 करोड़) के पेटे कुल निवेश ₹ 28.04 करोड़³² था। इन तीन अकार्यरत कंपनियों में से एक (आरएसएआईसीएल) परिसमापन की प्रक्रियाधीन है, जैसा कि सरकारी समापक की नियुक्ति की जा चुकी है। अन्य दो कंपनियां गत नौ से 10 वर्षों से अकार्यरत है। सरकार को इन कंपनियों के संबंध में शीघ्र ही उचित निर्णय लेना चाहिए।

राजकीय उपक्रमों में निवेश पर प्रतिफल

1.22 30 नवम्बर 2021 को नवीनतम अंतिम रूप दिए गए अपने लेखों के अनुसार राजकीय उपक्रमों की वित्तीय स्थिति एवं कार्यकारी परिणाम **अनुबंध 1.1** में दर्शाये गये हैं।


राजकीय उपक्रमों द्वारा अर्जित लाभ

1.23 41 राजकीय उपक्रमों में से, 25 राजकीय उपक्रमों ने 2018-19 से 2020-21 के दौरान लाभ अर्जित किया। लाभ अर्जित करने वाले राजकीय उपक्रमों द्वारा 2020-21 में

32 आरएसएआईसीएल (₹ 22.28 करोड़), आरसीएसीएल (₹ 4.49 करोड़) एवं आरजेवीएनएल (₹ 1.27 करोड़)

अर्जित लाभ, 2019-20 में लाभ अर्जित करने वाले राजकीय उपक्रमों द्वारा अर्जित लाभ (₹ 3843.10 करोड़) की तुलना में घटकर ₹ 1232.32 करोड़ रह गया। लाभ अर्जित करने वाले राजकीय उपक्रमों के लाभ में गिरावट मुख्य रूप से उदय के तहत राज्य डिस्कॉम्स को दी जाने वाली सब्सिडी बंद करने के कारण थी क्योंकि यह योजना केवल 2019-20 तक प्रभावी थी। राजकीय उपक्रमों की संख्या जिन्होंने 2018-19 से 2020-21 के दौरान लाभ अर्जित किया को चार्ट 1.5 में दर्शाया गया है।

चार्ट 1.5: लाभ अर्जित करने वाले राजकीय उपक्रमों की संख्या



स्रोत: राजकीय उपक्रमों के नवीनतम अंतिम रूप दिए गए लेखों के आधार पर

राजकीय उपक्रमों के नाम, जिन्होंने वर्ष 2020-21 के दौरान ₹ 100 करोड़ से अधिक का लाभ अर्जित किया, नीचे तालिका 1.12 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.12: राजकीय उपक्रम जिन्होंने 2020-21 में ₹ 100 करोड़ या अधिक लाभ अर्जित किया

(₹ करोड़ में)

क्र सं.	राजकीय उपक्रम का नाम	अर्जित लाभ
1	राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड (रीको)	530.91
2	अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (एवीवीएनएल)	175.73
3	राजस्थान राज्य स्वान एंड स्वनिज लिमिटेड (आरएसएमएमएल)	137.35
4	राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड (आरआरवीपीएनएल)	105.39

स्रोत: राजकीय उपक्रमों के नवीनतम अंतिम रूप दिए गए लेखों के आधार पर

शीर्ष लाभ अर्जित करने वाले चार राजकीय उपक्रमों के विश्लेषण से उजागर हुआ है कि:

- रीको एवं आरएसएमएमएल बाजार में अपने एकाधिकार लाभ के कारण मुनाफा दर्ज कर सके। रीको राज्य की मुख्य एजेंसी है जिसे लागत तथा उपरिव्यय प्रभारों पर

औद्योगिक/संस्थागत उद्देश्यों के लिए भूमि विकसित करने एवं आवंटित करने का अधिकार है। वर्ष 2020-21 के लिए आधारभूत संरचना गतिविधि से लाभ का प्रतिशत कंपनी के कुल लाभ का 95.59 प्रतिशत था। इसके अलावा, आरएसएमएमएल ने रॉक फॉस्फेट, जिस स्वनिज के लिए कंपनी का देश में लगभग एकाधिकार है एवं यह देश के कुल उत्पादन का 98 प्रतिशत योगदान देता है, के विक्रय से सारभूत राजस्व अर्जित किया। रॉक फॉस्फेट खनन से लाभ का हिस्सा वर्ष के कुल लाभ का 46 प्रतिशत था

- राज्य सरकार के निर्णय (सितंबर 2021) के अनुपालना में, ₹ 491.71 करोड़ का पूँजी पर प्रतिफल (आरओई) जिसे आरआरवीयूएनएल द्वारा एवीवीएनएल से 2019-20 एवं 2020-21 के ऊर्जा बिलों के लिए वसूला गया था, वापस ले लिया गया था। इसने 2020-21 में एवीवीएनएल के कार्यशील परिणामों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया है क्योंकि कंपनी जो अन्यथा नुकसान दर्ज करती, इस निर्णय के कारण शीर्ष लाभ कमाने वाले राजकीय उपक्रम में स्थानांतरित हो गई।

सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य चार कंपनियों में से केवल एक कंपनी (जेएससीएल) ने 2020-21 के दौरान ₹ 0.05 करोड़ का नाममात्र का लाभ कमाया।

राजकीय उपक्रमों में लाभांश का भुगतान

1.24 राज्य सरकार ने एक लाभांश नीति तैयार की थी (सितंबर 2004) जिसके अन्तर्गत सभी लाभ अर्जन करने वाले राजकीय उपक्रमों को प्रदत्त समता पूँजी पर 10 प्रतिशत का न्यूनतम प्रतिफल या कर के बाद लाभ का 20 प्रतिशत, जो भी कम हो, का भुगतान करना आवश्यक है।

45 राजकीय उपक्रमों में से, सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य चार कंपनियों में से किसी ने भी 2020-21 के दौरान राज्य सरकार को लाभांश घोषित/भुगतान नहीं किया।

शेष 41 राजकीय उपक्रमों (सरकारी कंपनियां एवं सांविधिक निगम) के प्रकरण में, राज्य सरकार ने केवल 32 राजकीय उपक्रमों में पूँजी निवेश किया था। इन 32 राजकीय उपक्रमों, जिनमें राज्य सरकार द्वारा 2018-19 से 2020-21 की अवधि के लिए पूँजी निवेश किया गया था, से संबंधित लाभांश का भुगतान **तालिका 1.13** में दर्शाया गया है:

तालिका 1.13: 2018-19 से 2020-21 के दौरान राजकीय उपक्रमों द्वारा लाभांश का भुगतान

(₹ करोड़ में)

वर्ष	कुल राजकीय उपक्रम जिनमें राज्य सरकार द्वारा पूँजी निवेश किया गया था		वर्ष के दौरान लाभ अर्जित करने वाले राजकीय उपक्रम		राजकीय उपक्रम जिन्होंने वर्ष के दौरान द्वारा लाभांश घोषित/भुगतान किया		लाभांश भुगतान अनुपात (%)
	राजकीय उपक्रम की संख्या	पूँजी निवेश	राजकीय उपक्रम की संख्या	पूँजी निवेश की राशि	राजकीय उपक्रम की संख्या	राजकीय उपक्रम द्वारा घोषित/भुगतान किया गया लाभांश	
1	2	3	4	5	6	7	8=7/5*100
2018-19	32	48435.56	23	41800.32	7 ³³	66.11	0.1582
2019-20	32	50531.10	23	48777.36	5 ³⁴	43.75	0.0897
2020-21	32	50934.59	21	16038.85	7 ³⁵	66.08	0.4120

स्रोत: राजकीय उपक्रमों के नवीनतम अंतिम रूप दिए गए लेखों के आधार पर संकलित।

2018-19 से 2020-21 की अवधि के दौरान, राजकीय उपक्रमों की संख्या, जिन्होंने लाभ अर्जित किया, 21 से 23 के मध्य थी, जबकि राज्य सरकार को लाभांश घोषित/भुगतान करने वाले राजकीय उपक्रमों की संख्या मात्र पाँच एवं सात के मध्य थी। लाभांश भुगतान अनुपात 2018-19 से 2020-21 के दौरान मात्र 0.09 प्रतिशत एवं 0.41 प्रतिशत के मध्य रहा था।

इन सात राजकीय उपक्रमों में से, जिन्होंने 2020-21 के दौरान लाभांश घोषित/भुगतान किया, दो³⁶ राजकीय उपक्रमों ने निर्धारित सीमा से अधिक लाभांश घोषित किया जबकि पाँच³⁷ राजकीय उपक्रमों ने लाभांश नीति के अनुसार लाभांश घोषित किया।

पूँजी पर प्रतिफल

1.25 पूँजी पर प्रतिफल (आरओई) वित्तीय निष्पादन का माप है, जिससे यह आंकलन किया जाता है कि प्रबंधन द्वारा राजकीय उपक्रमों की परिसम्पत्तियों का उपयोग लाभो के सृजन करने में कितने प्रभावी रूप से किया गया है एवं इसकी गणना शुद्ध आय (अर्थात करों के पश्चात शुद्ध लाभ) को शेयरधारको की निधि से विभाजित करके की जाती है। इसको प्रतिशतता के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है एवं इसकी गणना किसी भी राजकीय उपक्रम के लिए की जा सकती है यदि शुद्ध आय एवं अंशधारको की निधि दोनों धनात्मक संख्यायें हैं।

33 आरएसएमएम, रीको, आरएसडब्ल्यूसी, आरएसबीसीएल, आरएसएससीएल, आरएसआरडीसीसीएल एवं आरआरईसीएल।

34 आरएसएमएम, आरएसडब्ल्यूसी, आरएसबीसीएल, आरएसएससीएल एवं आरपीआईडीसीएल।

35 आरएसएमएम, आरएसडब्ल्यूसी, आरएसएससीएल, रीको, आरएसबीसीएल, आरआरईसीएल, आरपीआईडीसीएल।

36 आरएसएमएम, आरएसडब्ल्यूसी।

37 आरएसएससीएल, रीको, आरएसबीसीएल, आरआरईसीएल, आरपीआईडीसीएल।

राजकीय उपक्रम के अंशधारकों की निधि की गणना प्रदत्त पूँजी एवं मुक्त कोषों के योग में से संचित हानियां एवं आस्थगित राजस्व व्यय घटाने के पश्चात की जाती है एवं यह दर्शाता है कि यदि समस्त संपत्तियां विक्रय कर दी जाये एवं समस्त ऋणों का भुगतान कर दिया जाये तो राजकीय उपक्रम के हितधारकों हेतु कितना शेष रहेगा। अंशधारकों की निधि का धनात्मक होना दर्शाता है कि राजकीय उपक्रम के पास अपनी देयताओं का भुगतान करने के लिए पर्याप्त परिसम्पत्तियाँ है जबकि ऋणात्मक अंशधारकों की निधि का अर्थ है कि देयताएँ परिसम्पत्तियों से अधिक हैं।

आरओई की गणना 32 राजकीय उपक्रमों में की गई है, जिनमें राज्य सरकार द्वारा निधियों का निवेश किया गया है। 2018-19 से 2020-21 की अवधि के लिए इन राजकीय उपक्रमों के अंशधारकों की निधि एवं आरओई का विवरण तालिका 1.14 में दर्शाया गया है:

तालिका 1.14: राजकीय उपक्रम, जिनमें राज्य सरकार द्वारा निधियों का निवेश किया गया है, के संबंध में पूँजी पर प्रतिफल

वर्ष	राजकीय उपक्रमों की संख्या, जिनमें आरओई की गणना की गई	वर्ष के लिए शुद्ध आय ³⁸ (₹ करोड़ में)	अंशधारकों की निधि (₹ करोड़ में)	आरओई (%)
2018-19	32	2893.35	-47734.69	-
2019-20	32	3550.08	-42199.81	-
2020-21	32	-2504.27	-44456.25	-

स्रोत:- राजकीय उपक्रमों के नवीनतम अंतिम रूप दिए गए लेखों के आधार पर संकलित।

जैसा कि उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है, वर्ष के लिए इन 32 राजकीय उपक्रमों की शुद्ध आय 2019-20 में ₹ 3550.08 करोड़ से सारभूत रूप से घटकर 2020-21 में (-)₹ 2504.27 करोड़ हो गई। 2018-19 एवं 2019-20 के दौरान, शुद्ध आय धनात्मक थी, तथापि, अंशधारकों की निधि ऋणात्मक थी। साथ ही, 2020-21 के दौरान, शुद्ध आय के साथ-साथ अंशधारकों की निधि ऋणात्मक थी। चूंकि, सभी वर्षों के लिए अंशधारकों की निधि ऋणात्मक थी, इसलिए इन राजकीय उपक्रमों के संबंध में आरओई की गणना नहीं की जा सकी। तथापि, अंशधारकों की ऋणात्मक निधि ने इंगित किया कि इन राजकीय उपक्रमों की देनदारियां परिसंपत्तियों से अधिक हो गई थीं।

2018-19 से 2020-21 के दौरान राजकीय उपक्रमों के क्षेत्रवार आरओई को तालिका 1.15 में दिया गया है:

38 आंकड़े संबंधित वर्षों के नवीनतम अंतिम रूप दिए गए लेखों के अनुसार हैं।

तालिका 1.15: राजकीय उपक्रमों का क्षेत्रवार आरओई

(प्रतिशत में)

क्र सं.	क्षेत्र का नाम	2018-19	2019-20	2020-21
1	उद्योग एवं व्यापार (5)	8.20	5.09	13.29
2	वित्त (3)	7.68	13.44	14.50
3	कृषि, स्वाद्य एवं संबंधित उद्योग (4)	21.36	17.32	17.70
4	अन्य (7)	17.57	16.18	11.18

स्रोत:- राजकीय उपक्रमों के नवीनतम अंतिम रूप दिए गए लेखों के आधार पर संकलित।

साथ ही, तीन क्षेत्रों³⁹ के आरओई की गणना नहीं की जा सकी क्योंकि संचित हानियों के कारण इन क्षेत्रों की समस्त पूँजी का क्षरण हो गया था एवं अवधि के दौरान इन क्षेत्रों का निवल मूल्य ऋणात्मक था। शहरी विकास क्षेत्र का आरओई 2018-19 से 2020-21 के दौरान ऋणात्मक था क्योंकि इस क्षेत्र को तीनों वित्तीय वर्षों के दौरान हानि वहन की थी।

इसके अतिरिक्त, सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य चार कंपनियों में से केवल एक कंपनी (जेएससीएल) ने ₹ 0.05 करोड़⁴⁰ लाभ अर्जित किया, जो शेयरधारकों के कोष (₹ 204.45 करोड़) की तुलना में नगण्य था। इसलिए, आरओई भी नगण्य था।

हानि वहन करने वाले राजकीय उपक्रम

1.26 41 राजकीय उपक्रमों (सरकारी कंपनियां एवं सांविधिक निगमों) में से 13 राजकीय उपक्रमों ने वर्ष 2020-21 के दौरान हानि वहन की। इन राजकीय उपक्रमों द्वारा 2020-21 में वहन की गई हानि (₹ 4046.23 करोड़), 2019-20 के दौरान हानि वहन करने वाले राजकीय उपक्रमों द्वारा वहन की गई हानि (₹ 489.54 करोड़) की तुलना में सारभूत रूप से बढ़ गई, जैसा कि तालिका 1.16 में दिया गया है:

तालिका 1.16: 2020-21 के दौरान हानि वहन करने वाले राजकीय उपक्रमों की संख्या

(₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	कुल राजकीय उपक्रम	वर्ष के दौरान हानि वहन करने वाले राजकीय उपक्रमों की संख्या	वर्ष के लिये शुद्ध हानि	हानि वहन करने वाले राजकीय उपक्रमों की संचित हानि	हानि वहन करने वाले राजकीय उपक्रमों का निवल मूल्य
2018-19	43	13	747.61	7974.40	-704.78
2019-20	41	13	489.54	7229.06	-4283.19
2020-21	41	13	4046.23	74246.59	-38830.52

स्रोत:- राजकीय उपक्रमों के नवीनतम अंतिम रूप दिए गए लेखों के आधार पर संकलित।

वर्ष 2020-21 के दौरान ₹ 100 करोड़ से अधिक की हानि वहन करने वाले राजकीय उपक्रमों

39 ऊर्जा एवं पॉवर क्षेत्र, संस्कृति एवं पर्यटन क्षेत्र तथा परिवहन क्षेत्र।

40 राजकीय उपक्रम के नवीनतम अंतिम रूप दिए गये वित्तीय विवरण।

के नाम तालिका 1.17 में नीचे दिए गये हैं।

तालिका 1.17:2020-21 में ₹ 100 करोड़ या अधिक हानि वहन करने वाले राजकीय उपक्रम

(₹ करोड़ में)

क्र सं.	राजकीय उपक्रम का नाम	वहन की गई हानि
1	जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (जेडीवीवीएनएल)	1731.68
2	राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (आरआरवीयूएनएल)	1031.23
3	जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (जेवीवीएनएल)	660.75
4	गिरल लिग्नाइट ऊर्जा लिमिटेड (जीएलपीएल)	334.44
5	राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम (आरएसआरटीसी)	217.06

स्रोत:- राजकीय उपक्रमों के नवीनतम अंतिम रूप दिए गए लेखों के आधार पर संकलित।

सारभूत रूप से हानि वहन करने वाले इन राजकीय उपक्रमों के विश्लेषण से प्रकट हुआ कि ऊर्जा क्षेत्र के तीन राजकीय उपक्रम (आरआरवीयूएनएल, जेवीवीएनएल एवं जेडीवीवीएनएल) महत्वपूर्ण रूप से लाभ अर्जित करने वाले राजकीय उपक्रमों से सारभूत रूप से हानि वहन करने वाले राजकीय उपक्रमों में परिवर्तित हो गए। आगे के विश्लेषण से प्रकट हुआ कि राज्य सरकार के निर्णय (सितंबर 2021) की अनुपालना में, आरआरवीयूएनएल ने 2019-20 एवं 2020-21 हेतु तीन राज्य डिस्कॉम्स के अपने ऊर्जा बिलों के समक्ष लगाए गए प्रभारों, ₹ 1811.74 करोड़ पूँजी पर प्रतिफल (आरओई) प्रभारों को वापस ले लिया, जिसने इसकी लाभप्रदता को प्रभावित किया। जेवीवीएनएल एवं जेडीवीवीएनएल के मामले में, उदय के तहत मिलने वाली सब्सिडी, योजना के 2019-20 में समाप्त होने के कारण, 2020-21 से बंद कर दी गई थी। परिणामस्वरूप, इन राजकीय उपक्रमों के कार्यशील परिणाम महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित हुए एवं ये राजकीय उपक्रम शीर्ष लाभ अर्जित करने वाले राजकीय उपक्रमों से 2020-21 में सारभूत रूप से हानि वहन करने वाले राजकीय उपक्रमों में परिवर्तित हो गए। साथ ही, अन्य दो राजकीय उपक्रम (जीएलपीएल एवं आरएसआरटीसी) 2018-19 से 2020-21 के दौरान घाटे में रहे।

सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य चार कंपनियों के संबंध में, एक कंपनी (यूएससीएल) ने 2019-20 के दौरान ₹ 0.02 करोड़ की हानि वहन की।

निवल मूल्य का क्षरण

1.27 निवल मूल्य से आशय प्रदत्त पूँजी एवं मुक्त कोषों एवं अधिशेष में से संचित हानियों एवं स्थगित राजस्व व्यय घटाने पर प्राप्त कुल योग से है। यह एक उपक्रम स्वामियों के लिए उसके मूल्य का मापक है। ऋणात्मक निवल मूल्य यह दर्शाता है कि स्वामियों का समस्त निवेश संचित हानियों एवं स्थगित राजस्व व्यय के कारण लुप्त हो गया है।

41 राजकीय उपक्रमों में उनके नवीनतम अंतिम रूप दिये गए लेखों के अनुसार पूँजी निवेश, संचित लाभ/हानि एवं निवल मूल्य तालिका 1.18 में दिया गया है:

तालिका 1.18: 2018-19 से 2020-21 के दौरान 41 राजकीय उपक्रमों का निवल मूल्य

(₹ करोड़ में)

वर्ष	वर्ष के अंत में प्रदत्त पूँजी	वर्ष के अंत में संचित लाभ (+) / हानि (-)	आस्थगित राजस्व व्यय	निवल मूल्य
2018-19	49288.17	(-)97771.82	3.00	(-)48486.70
2019-20	51383.84	(-)94469.51	62.48	(-)43148.15
2020-21	51787.33	(-)97441.97	59.62	(-)45714.26

वर्ष 2020-21 के लिए निवेश एवं संचित हानियों के विश्लेषण से उजागर हुआ कि इन 41 राजकीय उपक्रमों में से 15 राजकीय उपक्रमों में निवल मूल्य का पूर्णतः क्षरण हो गया था, क्योंकि इन राजकीय उपक्रमों में पूँजी निवेश एवं संचित हानियां क्रमशः ₹ 33754.35 करोड़ एवं ₹ 96491.58 करोड़ थी। इन 15 राजकीय उपक्रमों में से निवल मूल्य का अधिकतम क्षरण पाँच राजकीय उपक्रमों में था, जैसा कि तालिका 1.19 में दर्शाया गया है:

तालिका 1.19 31 मार्च 2021 को अधिकतम निवल मूल्य क्षरण वाले पाँच राजकीय उपक्रम

राजकीय उपक्रम का नाम	क्षरित निवल मूल्य (₹ करोड़ में)
ऊर्जा क्षेत्र के राजकीय उपक्रम	
जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	(-)20859.63
जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	(-)18119.18
अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	(-)17482.87
गिरल लिग्नाइट ऊर्जा लिमिटेड	(-)1507.22
ऊर्जा क्षेत्र के राजकीय उपक्रमों के अतिरिक्त	
राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम	(-)4547.84

इन 15 राजकीय उपक्रमों, जिनके निवल मूल्य का पूर्णतः क्षरण हो गया था, में से पाँच⁴¹ राजकीय उपक्रमों ने वर्ष 2020-21 के दौरान ₹ 177.45 करोड़ का लाभ अर्जित किया, जिसमें मुख्य रूप से एवीवीएनएल (₹ 175.73 करोड़) का योगदान था। 2020-21 के दौरान लाभ अर्जित करने के उपरांत भी, वर्ष के अंत में इन राजकीय उपक्रमों की संचित हानियां भारी मात्रा में थी।

राजकीय उपक्रमों की संचालन क्षमता

नियोजित पूँजी पर प्रतिफल

1.28 नियोजित पूँजी पर प्रतिफल (आरओसीई) एक अनुपात है जो किसी राजकीय उपक्रम की लाभप्रदता एवं उसकी दक्षता को उसकी नियोजित पूँजी से मापता है।

41 आरएसआईसीएल, एवीवीएनएल, जेवीवीएनएल, जेडीवीवीएनएल एवं आरएसएलडीसी।

आरओसीई की गणना एक राजकीय उपक्रम के ब्याज एवं करों से पूर्व के लाभ (ईबीआईटी) को नियोजित पूँजी⁴² द्वारा विभाजित करके की जाती है। 2018-19 से 2020-21 की अवधि के दौरान समस्त 41 राजकीय उपक्रमों के आरओसीई का विवरण तालिका 1.20 में दिया गया है:

तालिका 1.20: नियोजित पूँजी पर प्रतिफल

वर्ष	ईबीआईटी (₹ करोड़ में)	नियोजित पूँजी (₹ करोड़ में)	आरओसीई (%)
2018-19	16085.07	61905.70	25.98
2019-20	18276.19	61841.88	29.55
2020-21	12817.05	64151.99	19.98

स्रोत:- राजकीय उपक्रमों के नवीनतम अंतिम रूप दिए गए लेखों के आधार पर संकलित।

राजकीय उपक्रमों का आरओसीई 2019-20 में 29.55 प्रतिशत से घटकर 2020-21 में 19.98 प्रतिशत हो गया। यह कमी मुख्य रूप से 2020-21 से उदय के तहत सब्सिडी समाप्त किए जाने के कारण ईबीआईटी में उल्लेखनीय गिरावट के कारण हुई थी। साथ ही, राजकीय उपक्रम 2018-19 से 2020-21 के दौरान 19.98 से 29.55 प्रतिशत तक ही आरओसीई दर्ज कर सके क्योंकि अत्यधिक संचित हानियों ने नियोजित पूँजी उल्लेखनाय रूप से कम कर दी थी।

41 राजकीय उपक्रमों में से 22 राजकीय उपक्रमों में ₹ 103639.48 करोड़ की संचित हानियां थी, जिसमें से ₹ 97604.74 करोड़ एवं ₹ 5575.16 करोड़ क्रमशः छः⁴³ ऊर्जा क्षेत्र के राजकीय उपक्रमों एवं दो⁴⁴ ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त अन्य क्षेत्र के राजकीय उपक्रमों से संबंधित थे।

2018-19 से 2020-21 के दौरान 41 राजकीय उपक्रमों का क्षेत्र-वार आरओसीई तालिका 1.21 में दिया गया है:

42 नियोजित पूँजी = प्रदत्त शेयर पूँजी + मुक्त संचय एवं अधिशेष + दीर्घावधि ऋण - संचित हानियां-आस्थगित राजस्व व्यय। आंकड़े राजकीय उपक्रमों के नवीनतम वर्ष, जिनके लेखों को अंतिम रूप दिया जा चुका है, के अनुसार हैं।

43 जेवीवीएनएल, एवीवीएनएल, जेडीवीवीएनएल, आरवीपीएनएल, आरवीयूएनएल एवं जीएलपीएल।

44 आरएसआरटीसी एवं जेएमआरसीएल।

तालिका 1.21: 41 राजकीय उपक्रमों का क्षेत्र-वार आरओसीई

(प्रतिशत में)

क्र सं.	क्षेत्र का नाम	2018-19	2019-20	2020-21
1.	ऊर्जा एवं पॉवर	28.86	32.87	21.29
2	उद्योग एवं व्यापार	9.10	11.57	16.82
3	वित्त	18.20	21.00	21.70
4	कृषि, खाद्य एवं संबंधित उद्योग	16.69	17.01	16.32
5	अन्य	11.06	12.51	10.36

ऊर्जा एवं पॉवर क्षेत्र के आरओसीई में 2020-21 के दौरान गत वर्षों की तुलना में अत्यधिक गिरावट हुई। क्षेत्र के आरओसीई में गिरावट मुख्य रूप से 2020-21 से उदय के तहत मिलने वाली सब्सिडी बंद करने के कारण थी क्योंकि यह योजना 2019-20 तक प्रभावी थी। महत्वपूर्ण कमी के उपरांत भी, इस क्षेत्र का आरओसीई 21.29 प्रतिशत रहा क्योंकि नियोजित पूंजी अत्यधिक संचित हानियों के कारण सारभूत रूप से कम हो गई थी। साथ ही, 2018-19 के 2020-21 हेतु दो क्षेत्रों⁴⁵ के आरओसीई की गणना ऋणात्मक नियोजित पूंजी के कारण नहीं की जा सकी जबकि एक क्षेत्र⁴⁶ की आरओसीई 2018-19 से 2020-21 के दौरान ऋणात्मक थी, क्योंकि तीनों वित्तीय वर्षों के दौरान इसने हानि वहन की थी।

साथ ही, सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य चार कंपनियों के प्रकरण में वर्ष 2020-21 के लिए ईबीआईटी ₹ 0.54⁴⁷ करोड़ थी जबकि इन राजकीय उपक्रमों में नियोजित पूंजी ₹ 621.21 करोड़ थी। इसलिए, 2020-21 के लिए आरओसीई की गणना 0.09 प्रतिशत परिकल्पित की गई।

टर्नओवर के समक्ष शुद्ध लाभ मार्जिन

1.29 राजकीय उपक्रम के टर्नओवर के समक्ष शुद्ध लाभ मार्जिन यह मापता है कि एक अवधि के दौरान अर्जित राजस्व के प्रतिशत के रूप में कितना लाभ उत्पन्न होता है। यह एक राजकीय उपक्रम के वित्तीय स्थिति को मापने का एक महत्वपूर्ण संकेतक है। यह हितधारकों को राजकीय उपक्रम की परिचालन दक्षता की निगरानी करने एवं यह आंकलन करने में सहायता करता है कि क्या यह अपने टर्नओवर से पर्याप्त लाभ अर्जित कर रहा है। इसकी गणना राजकीय उपक्रम के टर्नओवर के समक्ष प्रतिशतता के रूप में की जाती है।

2018-19 से 2020-21 के दौरान 41 राजकीय उपक्रमों की शुद्ध लाभ मार्जिन का विवरण तालिका 1.22 में दिया गया है:

45 संस्कृति एवं पर्यटन क्षेत्र तथा परिवहन क्षेत्र।
 46 शहरी विकास क्षेत्र।
 47 जेएससीएल से संबंधित

तालिका 1.22: शुद्ध लाभ सीमा

वर्ष	शुद्ध लाभ (₹ करोड़ में)	टर्नओवर (₹ करोड़ में)	शुद्ध लाभ मार्जिन (%)
2018-19	2537.14	75179.32	3.37
2019-20	3353.56	82793.75	4.05
2020-21	-2813.91	86986.44	-3.23

स्रोत:- राजकीय उपक्रमों के नवीनतम अंतिम रूप दिए गए लेखों के आधार पर संकलित।

सभी राजकीय उपक्रमों की शुद्ध लाभ मार्जिन 2019-20 में सकारात्मक से 2020-21 में नकारात्मक में परिवर्तित हो गया। रूपांतरण मुख्य रूप से वर्ष के दौरान तीन राज्य डिस्कॉम्स के कार्यशील परिणामों में महत्वपूर्ण परिवर्तन के कारण हुआ। उच्च आरओसीई के उपरांत भी, शुद्ध लाभ मार्जिन कम था क्योंकि ब्याज घटक सारभूत था।

2018-19 से 2020-21 के दौरान 41 राजकीय उपक्रमों का क्षेत्र-वार शुद्ध लाभ मार्जिन तालिका 1.23 में दिया गया है:

तालिका 1.23: क्षेत्र-वार शुद्ध लाभ मार्जिन

(आंकड़े: प्रतिशत में)

क्र सं.	क्षेत्र का नाम	2018-19	2019-20	2020-21
1.	पॉवर एवं ऊर्जा	3.85	4.56	-4.76
2	उद्योग एवं व्यापार	10.75	9.05	21.75
3	वित्त	0.50	0.94	1.29
4	कृषि, खाद्य एवं संबधित उद्योग	9.89	9.76	9.76
5	संस्कृति एवं पर्यटन	-20.35	-10.92	-10.92
6	परिवहन	-9.57	-8.92	-12.85
7	शहरी विकास	-48.40	-231.72	-76.99
8	अन्य	2.32	3.06	2.37

स्रोत:- राजकीय उपक्रमों के नवीनतम अंतिम रूप दिए गए लेखों के आधार पर संकलित।

यह देखा जा सकता है कि 2018-19 से 2020-21 के दौरान शुद्ध लाभ मार्जिन दो क्षेत्रों (क्रम संख्या 2 एवं 4) में सारभूत था। इन दो क्षेत्रों का उच्च शुद्ध लाभ मार्जिन मुख्य रूप से तीन राजकीय उपक्रमों⁴⁸ के कारण था, जिन्होंने बाजार में अपने एकाधिकार लाभ के कारण एवं सरकारी एजेंसियों से प्राप्त होने वाले व्यवसाय के कारण महत्वपूर्ण लाभ दर्ज किया था। साथ ही, ऊर्जा एवं पॉवर क्षेत्र का शुद्ध लाभ मार्जिन, उदय के तहत मिलने वाली सब्सिडी समाप्त होने के कारण, 2019-20 में सकारात्मक से 2020-21 में नकारात्मक में परिवर्तित हो गया। शेष पांच क्षेत्रों में शुद्ध लाभ मार्जिन या तो नकारात्मक रहा या नगण्य रहा।

48 आरएसएमएम, आरआईआईसीओ, आरएसडब्ल्यूसी

सरकार के निवेश पर प्रतिफल

1.30 राजकीय उपक्रमों से राज्य सरकार द्वारा उपक्रमों में किये गये निवेश पर उचित प्रतिफल प्रदान करना अपेक्षित है। निवेश पर प्रतिफल एक निश्चित वर्ष में अर्जित (लाभ अथवा हानि) से पूँजी एवं दीर्घावधि ऋणों के रूप में निवेश की गई राशि के समक्ष मापा जाता है एवं कुल निवेश पर लाभ की प्रतिशतता के रूप में दर्शाया जाता है।

सरकार द्वारा राजकीय उपक्रमों में सारभूत निवेश को दृष्टिगत रखते हुए, राज्य सरकार के दृष्टिकोण से ऐसे निवेश पर प्रतिफल आवश्यक है। इसलिए, सरकारी निवेश पर प्रतिफल की गणना ऐतिहासिक लागत के साथ-साथ राज्य सरकार के निवेश के वर्तमान मूल्य पर की गई है जिसे नीचे विस्तृत वर्णित किया गया है:

अ. सरकार के निवेश पर ऐतिहासिक लागत के आधार पर प्रतिफल (आरओआर)

राज्य सरकार द्वारा पूँजी एवं ऋण के रूप में राजकीय उपक्रमों में किये गये निवेश के आधार पर आरओआर की गणना की गई है। केवल ब्याज मुक्त ऋण को ही निवेश माना गया है क्योंकि सरकार को इन ऋणों से कोई ब्याज प्राप्त नहीं होता है। इस प्रकार, यह सरकार द्वारा किये गये पूँजी निवेश की प्रकृति के हैं सिवाय इसके कि ऋणों का पुनर्भुगतान किया जाना है। साथ ही, अनुदान/सब्सिडी के रूप में दी गई निधि को निवेश नहीं माना गया है क्योंकि परिचालन एवं प्रशासनिक खर्च तथा अन्य उद्देश्यों हेतु प्रदान की गई अनुदान/सब्सिडी का विभाजन उपलब्ध नहीं था।

2016-17 से 2019-20 के दौरान उदय योजना के अन्तर्गत तीनों राज्य डिस्कॉम्स को दी गई सब्सिडी को निवेश माना गया है, क्योंकि राज्य सरकार द्वारा बैंक एवं वित्तीय संस्थाओं से डिस्कॉम्स के ऋणों के अधिग्रहण के लिए सब्सिडी प्रदान की गयी थी। अतः निवेश पर प्रतिफल की तुलना दोनों प्रकार से अर्थात् उदय के अंतर्गत दी गई सब्सिडी को निवेश मानते हुए एवं उक्त सब्सिडी को निवेश नहीं मानते हुए की गई है।

ब. सरकार के निवेश पर वास्तविक प्रतिफल की दर (आरओआरआर)

प्रतिफल की परम्परागत गणना केवल ऐतिहासिक लागत के आधार पर किया जाना निवेश पर प्रतिफल की पर्याप्तता का सही सूचक नहीं है क्योंकि इस प्रकार की गणना धन के वर्तमान मूल्य की उपेक्षा करती है। राज्य सरकार के राजकीय उपक्रमों में निवेश की ऐतिहासिक लागत की तुलना में निवेश के वर्तमान मूल्य (पीवी) के आरओआरआर का आंकलन करने के लिए सरकार के निवेश के वर्तमान मूल्य की गणना की गई है। 31 मार्च 2021 तक निवेश की ऐतिहासिक लागत को प्रत्येक वर्ष के अंत में वर्तमान मूल्य पर लाने के लिए, राज्य सरकार द्वारा राजकीय उपक्रमों में पूर्व निवेश/वर्षवार निवेशित निधि को चक्रवृद्धि किया गया है। चक्रवृद्धि, सरकारी उधार की वर्षवार औसत ब्याज दर पर किया गया है, जो कि संबंधित वर्ष के लिए सरकार की निधि की न्यूनतम लागत है। इसलिए, राज्य सरकार के निवेश पर पीवी की गणना,

जहाँ राज्य सरकार द्वारा इन राजकीय उपक्रमों की स्थापना से 31 मार्च 2021 तक धन का निवेश किया गया है, के संबंध में की गई है।


राज्य सरकार के निवेश पर प्रतिफल की दर

1.31 41 राजकीय उपक्रमों (सरकारी कंपनियों एवं निगमों) में 31 मार्च 2021 को निवेश की राशि ₹ 1,61,988.60 करोड़ थी, जिसमें पूँजी के रूप में ₹ 51,787.33 करोड़ एवं दीर्घावधि ऋण के रूप में ₹ 1,10,201.27 करोड़ सम्मिलित है। राज्य सरकार ने इन 41 राजकीय उपक्रमों में से 32 में पूँजी, ऋण एवं अनुदान व सब्सिडी के रूप में निधियों का निवेश किया है। इन 32 राजकीय उपक्रमों में, 31 मार्च 2021 को राज्य सरकार का निवेश ₹ 57,167.80 करोड़ था जिसमें पूँजी के रूप में ₹ 49,536.73 करोड़⁴⁹ एवं दीर्घावधि ऋणों के रूप में ₹ 7,631.07 करोड़ था। राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऋणों में से ₹ 2,267.98 करोड़ के ऋण ब्याज मुक्त ऋण थे। इस प्रकार, इन 32 एसपीएसई में निवेशित पूँजी एवं शुद्ध ब्याज मुक्त ऋणों को देखते हुए, राज्य सरकार का 2020-21 के अंत में ऐतिहासिक लागत पर निवेश ₹ 51,804.71 करोड़ था। राज्य सरकार ने अन्य नौ राजकीय उपक्रमों में निधियों का कोई भी प्रत्यक्ष निवेश नहीं किया था।

राज्य सरकार द्वारा 2000-01 से 2020-21 की अवधि के लिए निवेशित ऐसे निवेश के वर्तमान मूल्य के समक्ष निवेश का वर्ष-वार विवरण **अनुबंध-1.4** में दर्शाया गया है। 2000-01 से 2020-21 की अवधि के लिए कुल आय की तुलना में न्यूनतम अपेक्षित प्रतिफल (उदय के बिना के साथ-साथ उदय के साथ) के वर्षवार विवरण **चार्ट 1.6** में दिए गये हैं:

49 राज्य सरकार का कुल निवेश (₹ 50,934.59 करोड़) - पाँच ऊर्जा क्षेत्र के राजकीय उपक्रमों की प्रारंभिक संचित हानियाँ (₹ 1,397.86 करोड़)

चार्ट 1.6: कुल आय की तुलना में न्यूनतम अपेक्षित प्रतिफल



स्रोत: अनुबंध 1.4

यह देखा जा सकता है कि 2000-01 से 2020-21 के दौरान, 2003-04 से 2007-08 एवं 2017-18 से 2019-20 को छोड़कर, सभी वर्षों में कुल आय नकारात्मक रही थी। यह इन राजकीय उपक्रमों में राज्य सरकार द्वारा निवेशित निधियों की लागत की वसूली हेतु न्यूनतम अपेक्षित प्रतिफल से नीचे रही।

इन 32 राजकीय उपक्रमों की वर्ष के लिए कुल आय (लाभों एवं हानियों का शुद्ध) 2018-19 में ₹ 2893.35 करोड़ के लाभ से 2020-21 में मुख्य रूप से उदय के तहत मिलने वाली सब्सिडी समाप्त होने के कारण ₹ 2504.27 करोड़ की हानि में परिवर्तित हो गया।

राजकीय उपक्रमों, जिनमें राज्य सरकार द्वारा निधियों का निवेश किया गया है, में 2018-19 से 2020-21 तक तीन वर्षों की अवधि के लिए आरओआर एवं आरओआरआर तालिका 1.24 में दी गई है।

तालिका 1.24: सरकार के निवेश पर प्रतिफल की दर

(₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	कुल अर्जन/ हानि (-)	वर्ष के अंत में निवेश की ऐतिहासिक लागत पर राज्य सरकार द्वारा निवेश	आरओआर (%)	वर्ष के अंत में निवेश के वर्तमान मूल्य पर राज्य सरकार द्वारा निवेश	आरओआरआर (%)
उदय के बिना					
2018-19	2893.35	49088.66	5.89	84366.64	3.43
2019-20	3550.08	51339.66	6.91	92767.49	3.83
2020-21	-2504.27	51804.71	-4.83	99385.89	-2.52
उदय के साथ					
2018-19	2893.35	82088.66	3.52	122208.06	2.37
2019-20	3550.08	98156.13	3.62	148093.09	2.40
2020-21	-2504.27	98621.18	-2.54	158362.98	-1.58

जैसा कि उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है, 32 राजकीय उपक्रमों में पूँजी एवं ब्याज मुक्त ऋणों को सम्मिलित करते हुये राज्य सरकार का निवेश उनकी ऐतिहासिक लागत पर 2018-19 में ₹ 49088.66 करोड़ से बढ़कर 2020-21 में ₹ 51804.71 करोड़ हो गया। उदय के अन्तर्गत प्राप्त सब्सिडी को निवेश के रूप में मानने पर, राज्य सरकार का निवेश 2018-19 में ₹ 82088.66 करोड़ (यथा उदय के अन्तर्गत 2018-19 तक प्राप्त ₹ 33000 करोड़ की सब्सिडी सहित) से बढ़कर 2020-21 में ₹ 98621.18 करोड़ (यथा 2019-20 में उदय के अन्तर्गत प्राप्त सब्सिडी ₹ 13816.47 करोड़ सहित) हो गया। चूंकि इन राजकीय उपक्रमों का कुल अर्जन 2018-19 एवं 2019-20 में सकारात्मक से 2020-21 में नकारात्मक में परिवर्तित हो गया, इसलिए आरओआर एवं आरओआरआर दोनों नकारात्मक हो गए। वर्ष 2020-21 के लिए आरओआर (उदय के बिना) (-) 4.83 प्रतिशत था जो उदय को विचार करने पर (-) 2.54 प्रतिशत हो गया। इसी तरह, इसी अवधि के लिए आरओआरआर (उदय के बिना) (-) 2.52 प्रतिशत था जो उदय को विचार करने पर (-) 1.58 प्रतिशत हो गया।

2020-21 के दौरान 32 राजकीय उपक्रमों में राज्य सरकार के निवेश पर क्षेत्र-वार प्रतिफल दर को तालिका 1.25 में दर्शाया गया है:

तालिका 1.25: राज्य सरकार के निवेश पर क्षेत्र-वार प्रतिफल

(₹ करोड़ में)

क्र सं.	क्षेत्र का नाम	कुल अर्जन/हानि (-)	वर्ष के अंत में निवेश की ऐतिहासिक लागत पर राज्य सरकार द्वारा निवेश	आरओआर (%)	वर्ष के अंत में निवेश के वर्तमान मूल्य पर राज्य सरकार द्वारा निवेश	आरओआरआर (%)
1	ऊर्जा एवं पॉवर (उदय के बिना)	-3122.32	46901.67	-6.66	84816.13	-3.68
	ऊर्जा एवं पॉवर (उदय के साथ)	-3122.32	93718.14	-3.33	143793.22	-2.17
2	उद्योग एवं व्यापार	667.62	475.35	140.45	4883.09	13.67
3	वित्त	90.14	272.34	33.10	545.19	16.53
4	कृषि, खाद्य एवं संबधित उद्योग	94.05	66.27	141.92	370.95	25.35
5	संस्कृति एवं पर्यटन	-6.86	83.71	-8.19	371.39	-1.85
6	परिवहन	-217.02	1246.99	-17.40	3468.56	-6.26
7	शहरी विकास	-56.62	2636.06	-2.15	4590.06	-1.23
8	अन्य	46.74	122.32	38.21	340.51	13.73

वर्ष 2020-21 के दौरान, चार क्षेत्रों (क्रमांक 1 और 5 से 7) में सरकारी निवेश पर प्रतिफल नकारात्मक था जबकि अन्य चार क्षेत्रों (क्रमांक 2 से 4 और 8) में, यह सकारात्मक था। उद्योगों एवं व्यापार तथा कृषि, खाद्य एवं संबद्ध उद्योगों में, ऐतिहासिक लागत पर आरओआर क्रमशः 140.45 प्रतिशत तथा 141.92 प्रतिशत था, जबकि आरओआरआर वर्तमान मूल्य पर क्रमशः 13.67 प्रतिशत एवं 25.35 प्रतिशत था, जो निवेश के वर्तमान मूल्य पर विचार करते हुए वास्तविक रूप में प्रतिफल दर्शाता है।

अध्याय-II

सीएजी की निरीक्षण भूमिका

अध्याय-II

सीएजी की निरीक्षण भूमिका

यह अध्याय राजकीय उपक्रमों द्वारा वित्तीय विवरण तैयार करने एवं प्रस्तुत करने के संबंध में सीएजी की निगरानी भूमिका से संबंधित है। विश्लेषण राजकीय उपक्रमों द्वारा वित्तीय विवरणों को अंतिम रूप देने एवं प्रस्तुत करने में विलंब, वित्तीय विवरणों पर लेखापरीक्षा टिप्पणियों के प्रभाव तथा कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी लेखा मानकों/भारतीय लेखा मानकों के प्रावधानों के अनुपालना नहीं किए जाने को उजागर करता है।

राजकीय उपक्रमों की लेखापरीक्षा

सांविधिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति

2.1 भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (सीएजी) कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम 2013) की धारा 139 (5) एवं (7) के अंतर्गत सरकारी कंपनी एवं सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति करते हैं। अधिनियम, 2013 की धारा 139 (5) में प्रावधान है कि सरकारी कंपनी या सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनी के प्रकरण में सीएजी द्वारा सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति वित्तीय वर्ष प्रारम्भ होने के 180 दिवसों की अवधि के भीतर की जानी चाहिए। अधिनियम 2013 की धारा 139 (7) में प्रावधान है कि सरकारी कंपनी या सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनी के प्रकरण में सीएजी द्वारा प्रथम लेखापरीक्षक की नियुक्ति कंपनी के पंजीकरण की दिनांक से साठ दिवसों के भीतर की जानी चाहिए, एवं यदि सीएजी द्वारा उल्लेखित अवधि में ऐसे लेखापरीक्षक की नियुक्ति नहीं की जाती है, कंपनी के निदेशक मंडल अथवा कंपनी के सदस्यों द्वारा ऐसे लेखापरीक्षक की नियुक्ति की जाएगी।

वर्ष 2020-21 हेतु आरटीडीसीएल एवं आरएसएचसीएल के अलावा सभी राजकीय उपक्रमों के सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति अगस्त 2020 एवं सितंबर 2020 के मध्य कर दी गई थी।

वर्ष 2020-21 के लिए दो सरकारी कंपनियों यथा राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड (आरटीडीसीएल) और राजस्थान राज्य होटल्स निगम लिमिटेड (आरएसएचसीएल) के अलावा सभी राजकीय उपक्रमों के सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति सीएजी द्वारा अगस्त 2020 एवं सितंबर 2020 के मध्य कर दी गई थी। आरटीडीसीएल तथा आरएसएचसीएल के सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति नहीं की गई थी क्योंकि इन दोनों राजकीय उपक्रमों के

लेखे क्रमशः तीन वर्ष तथा तीन वर्ष से अधिक से लंबित थे। साथ ही, सरकार द्वारा नियंत्रित एक अन्य कंपनी (जयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड) एवं एक सरकारी कंपनी (राजस्थान राज्य हथकरघा विकास निगम लिमिटेड) के प्रकरण में, सांविधिक लेखापरीक्षकों को पुनः नियुक्त किया गया था (क्रमशः जनवरी 2021 एवं जून 2021 के मध्य) क्योंकि प्रारंभ में नियुक्त किए गये सांविधिक लेखापरीक्षकों ने अपेक्षित स्वीकृति पत्र प्रस्तुत नहीं किए थे।

सांविधिक लेखापरीक्षा

2.2 सरकारी कंपनियों (जैसा कि अधिनियम 2013 की धारा 2 (45) में परिभाषित किया गया है) के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा, सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा की जाती है, जो कि अधिनियम 2013 की धारा 139 (5) या (7) के प्रावधानों के अनुसार सीएजी द्वारा नियुक्त किये जाते हैं। सांविधिक लेखापरीक्षक अधिनियम 2013 की धारा 143 (5) के अंतर्गत लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की एक प्रति वित्तीय विवरणों एवं अन्य के सहित सीएजी को प्रस्तुत करते हैं। यह वित्तीय विवरण, अधिनियम 2013 की धारा 143 (6) के प्रावधानों के अंतर्गत लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की प्राप्ति की दिनांक से साठ दिवसों के भीतर सीएजी द्वारा की जाने वाली पूरक लेखापरीक्षा के भी अधीन होते हैं।

सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा उनसे संबंधित विधानों द्वारा शासित होती है। तीन सांविधिक निगमों में से, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम हेतु सीएजी एकमात्र लेखापरीक्षक है। राजस्थान राज्य भंडारण निगम तथा राजस्थान वित्त निगम के प्रकरण में सनदी लेखाकारों द्वारा लेखापरीक्षा एवं सीएजी द्वारा पूरक लेखापरीक्षा की जाती है।

साथ ही, अधिनियम 2013 की धारा 143 की उप-धारा 7 के अनुसार, धारा 139 की उप-धारा (5) अथवा उप-धारा (7) के अंतर्गत आने वाली किसी कंपनी के प्रकरण में सीएजी, यदि ऐसा करना आवश्यक समझें, तो एक आदेश द्वारा, ऐसी कंपनी के लेखों की नमूना जाँच करवा सकते हैं एवं नमूना जाँच के प्रतिवेदन पर सीएजी का (कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19क के प्रावधान लागू होंगे। इस प्रकार, एक सरकारी कंपनी अथवा केन्द्र सरकार द्वारा, अथवा किसी राज्य सरकार अथवा सरकारों द्वारा, अथवा आंशिक रूप से केन्द्र सरकार द्वारा एवं आंशिक रूप से एक अथवा अधिक राज्य सरकारों द्वारा, प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से, स्वामित्वाधीन अथवा नियंत्रित कोई अन्य कंपनी, सीएजी की लेखापरीक्षा के अधीन होती है।

राजकीय उपक्रमों द्वारा लेखाओं का प्रस्तुतिकरण

वार्षिक प्रतिवेदन समय पर प्रस्तुत करने की आवश्यकता

2.3 कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 394 के अनुसार, एक सरकारी कंपनी के कामकाज एवं मामलों पर वार्षिक प्रतिवेदन, इसकी वार्षिक साधारण सभा (एजीएम) के तीन महीने के भीतर तैयार किया जाना होता है एवं जितना शीघ्र हो सके राज्य विधानमंडल के समक्ष,

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की एक प्रति एवं सीएजी द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर की गई कोई टिप्पणियां एवं पूरक के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिये। सांविधिक निगमों को विनियमित करने वाले संबंधित अधिनियमों में लगभग समान प्रावधान उपलब्ध हैं। यह क्रियाविधि राज्य के समेकित निधि से कंपनियों में निवेश किए गए लोक निधियों के उपयोग पर आवश्यक विधायी नियंत्रण प्रदान करता है।

राजकीय उपक्रमों द्वारा लेखों को तैयार करने में समयबद्धता

2.4 अधिनियम, 2013 की धारा 96 के अनुसार प्रत्येक कंपनी को प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में एक बार शेयरधारकों की एजीएम आयोजित करनी होती है। यह भी निर्दिष्ट है कि एक एजीएम तथा उससे अगली एजीएम की दिनांक के बीच 15 महीने से अधिक व्यतीत नहीं होने चाहिए। इस धारा में आगे प्रावधान है कि प्रथम वार्षिक साधारण सभा के प्रकरण में, कंपनी के प्रथम वित्तीय वर्ष के समापन के तिथि से नौ माह की अवधि के भीतर एवं किसी अन्य प्रकरण में, वित्तीय वर्ष के समापन की तिथि से छह माह की अवधि के भीतर आयोजित की जानी चाहिए। तदनुसार, कंपनियों को वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु 30 सितंबर 2021 (नियत तिथि 30 नवंबर 2021 तक बढ़ाई गई) तक एजीएम आयोजित करने की आवश्यकता थी।

कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने दिनांक 23 सितंबर 2021 को आदेश जारी कर 2020-21 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए एजीएम आयोजित किए जाने हेतु नियत दिनांक/तिथि से दो माह तक बढ़ा दिया। इसके परिणामस्वरूप वित्तीय विवरणों को अंतिम रूप देने में 30 सितंबर 2021 से 30 नवंबर 2021 तक का विस्तार हुआ।

साथ ही, अधिनियम 2013 की धारा 129 में यह निर्दिष्ट किया गया है कि वित्तीय वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण को उक्त एजीएम में उनके विचारार्थ रखा जाना चाहिए। अधिनियम 2013 की धारा 129 (7) में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 के प्रावधानों की अनुपालना नहीं करने के लिए उत्तरदायी कंपनी के निदेशकों सहित अन्य व्यक्तियों पर जुर्माना एवं कारावास जैसी शास्ती लगाये जाने का भी प्रावधान है।

उपरोक्त शर्तों के उपरांत भी, विभिन्न राजकीय उपक्रमों के वार्षिक लेखे 30 नवंबर 2021 को लंबित थे, जिनका विस्तृत विवरण आगामी अनुच्छेद में दिया गया है।

लेखापरीक्षा ने आगे देखा कि आरएसएचसीएल के प्रकरण में, एजीएम नवंबर 2021 तक आयोजित नहीं की गई थी एवं इसलिए, 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण, 27 मई 2019 को हस्ताक्षरित एवं सीएजी द्वारा जून 2019 में प्रमाणित होने के उपरांत भी 30 नवंबर 2021 तक एजीएम के समक्ष विचारार्थ एवं अभिग्रहण के लिए नहीं रखे गए थे।

31 मार्च, 2021 को, 38⁵⁰ सरकारी कंपनियों तथा सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य चार कंपनियों सीएजी की लेखापरीक्षा के अधीन थीं। इनमें से 25 सरकारी कंपनियों ने वर्ष 2020-21 के अपने लेखे 30 नवंबर 2021 को या उससे पूर्व सीएजी द्वारा लेखापरीक्षा हेतु प्रस्तुत किए थे। 13 सरकारी कंपनियों एवं सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य चार कंपनी के लेखे विभिन्न कारणों से बकाया थे।

कुल 42 कंपनियों में से 17 कंपनियों के लेखे बकाया थे।

तालिका 2.1: 30 नवंबर 2021 को बकाया लेखों की स्थिति

विवरण	सरकारी कंपनियों/सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियों		
	सरकारी कंपनियों	सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियों	योग
31 मार्च, 2021 को सीएजी की लेखापरीक्षा के अधीन आने वाली कंपनियों की कुल संख्या	38	4	42
कंपनियों की संख्या, जिन्होंने 30 नवंबर 2021 तक लेखों को सीएजी की लेखापरीक्षा के लिए प्रस्तुत किया	25	0	25
बकाया लेखों की संख्या	13	4	17
बकाया की सीमा	6 वर्ष तक	2 वर्ष तक	
बकाया का वर्गीकरण	(i) परिसमापन के अधीन	1	-
	(ii) निष्क्रिय	1	-
	(iii) प्रथम लेखे प्रस्तुत नहीं किए गए	-	1
	(iv) अन्य	11	3

सांविधिक निगमों की पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का प्रस्तुतिकरण

2.5 पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (एसएआर) सांविधिक निगमों के लेखों पर सीएजी की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन हैं। यह प्रतिवेदन संबंधित अधिनियमों के प्रावधानों के अनुसार राज्य विधायिका के समक्ष प्रस्तुत किए जाने होते हैं। तीन सांविधिक निगमों में से, एक निगम ने 2020-21 के अपने लेखे 30 नवंबर 2021 तक अग्रेषित किए थे।

30 नवंबर 2021 को सांविधिक निगमों के वार्षिक लेखों एवं उनके एसएआर के राज्य विधानमंडल में की प्रस्तुतिकरण की स्थिति का विवरण तालिका 2.2 में दर्शाया गया है।

50 इसमें एक राजकीय उपक्रम यानि सांगोद ट्रांसमिशन सर्विसेज लिमिटेड शामिल नहीं है, जिसे 3 फरवरी 2021 को शामिल किया गया था, क्योंकि सांविधिक लेखा परीक्षक की नियुक्ति प्रथम वित्तीय वर्ष (2021-22) होने के कारण वर्ष 2021-22 के लिए पैनल को अंतिम रूप देने के बाद की जाएगी।

तालिका 2.2: सांविधिक निगमों के एसएआर के पटल पर रखे जाने की 30 नवंबर 2021 को स्थिति

निगम का नाम	लेखों का वर्ष	एसएआर के प्रस्तुतीकरण का माह/वर्ष
राजस्थान वित्त निगम	2019-20	फरवरी 2021
	2020-21	एसएआर को अंतिम रूप दिया जाना शेष है।
राजस्थान राज्य भंडार व्यवस्था निगम	2019-20	मार्च 2021
	2020-21	वार्षिक लेखे नवंबर 2021 तक प्राप्त नहीं हुए थे।
राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम	2019-20	एसएआर को अंतिम रूप दिया जाना शेष है।
	2020-21	वार्षिक लेखे नवंबर 2021 तक प्राप्त नहीं हुए थे।

स्रोत: राजस्थान विधानसभा की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के आधार पर संकलित

सीएजी की निरीक्षण-लेखों की लेखापरीक्षा एवं पूरक लेखापरीक्षा

वित्तीय प्रतिवेदन ढांचा

2.6 कम्पनियों को कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III में निर्दिष्ट प्रारूप में एवं लेखा मानकों पर राष्ट्रीय परामर्श समिति के परामर्श से केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित अनिवार्य लेखा मानकों की अनुपालना में वित्तीय विवरणों को तैयार करना आवश्यक है। सूचीबद्ध कम्पनियों एवं ₹250 करोड़ से अधिक निवल मूल्य वाली कम्पनियों को भारतीय लेखा मानकों (इंड एस) की अनुपालना करना आवश्यक है। साथ ही, उपरोक्त वर्णित कंपनियों की जनक, सहायक, सहयोगी तथा संयुक्त उद्यम को भी इंड एस की अनुपालना करना आवश्यक है। उपरोक्त के दायरे में नहीं होने वाली कंपनियां लेखा मानकों (एस) को लागू करना जारी रखेंगी। 38 सरकारी कंपनियों में से 14 उपक्रमों द्वारा इंड एस का अनुसरण किया जाता है एवं सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य चार कंपनियों में से एक कंपनी (कोटा स्मार्ट सिटी लिमिटेड) द्वारा स्वेच्छापूर्वक इंड एस का अनुसरण किया जाता है, जबकि शेष अपने लेखे एस के अनुसार तैयार करती हैं।

सांविधिक निगमों को अपने लेखे सीएजी के परामर्श से बनाए गए नियमों के अंतर्गत निर्धारित प्रारूप में एवं ऐसे निगमों को शासित करने वाले अधिनियम में लेखों से संबंधित किसी अन्य विशिष्ट प्रावधान के अनुसार तैयार करने होते हैं।

सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा सरकारी कंपनियों के लेखों की लेखापरीक्षा

2.7 सीएजी द्वारा अधिनियम 2013 की धारा 139 के अंतर्गत नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक सरकारी कंपनियों के लेखों की लेखापरीक्षा करते हैं एवं कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के अनुसार उन पर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हैं।

सीएजी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की लेखापरीक्षा में सांविधिक लेखा परीक्षकों के कार्य निष्पादन की निगरानी करके निरीक्षण की भूमिका निभाते हैं। इस भूमिका का निर्वहन निम्न शक्तियों का उपयोग करके किया जाता है:

- कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) के अंतर्गत सांविधिक लेखापरीक्षकों को निर्देश जारी करना एवं
- कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) के अंतर्गत सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन पर पूरक या टिप्पणी करना।

सांविधिक लेखापरीक्षकों ने प्रतिवेदित किया कि 14 कंपनियों, जैसा कि **अनुबंध-2.1** में दर्शाया गया है, ने अनिवार्य लेखा मानकों/इंड एस की अनुपालना नहीं की थी।

सरकारी कंपनियों के लेखों की अनुपूरक लेखापरीक्षा

2.8 कंपनी अधिनियम, 2013 अथवा अन्य प्रासंगिक अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय प्रतिवेदन ढांचे के अनुसार वित्तीय विवरणों को तैयार करने का मूल उत्तरदायित्व एक उपक्रम के प्रबंधन का है।

सीएजी द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) के मानक लेखापरीक्षण पद्धतियों एवं सीएजी द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 के अंतर्गत वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी हैं। सांविधिक लेखापरीक्षकों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के अंतर्गत सीएजी को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करना आवश्यक है।

चयनित सरकारी कंपनियों के प्रमाणित लेखों के साथ सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन की सीएजी द्वारा पूरक लेखापरीक्षा करके समीक्षा की जाती है। ऐसी समीक्षा के आधार पर, महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां, यदि कोई है, वार्षिक साधारण सभा के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) के अंतर्गत प्रतिवेदित की जाती हैं।

सीएजी की निरीक्षण भूमिका के परिणाम

2.9 समीक्षा अवधि (जनवरी 2021 से नवंबर 2021) के दौरान प्राप्त वित्तीय विवरणों, की गई समीक्षा एवं जारी की गई टिप्पणियों की स्थिति **तालिका 2.3** में दी गई हैं:

तालिका 2.3: 30 नवंबर 2021 को राजकीय उपक्रमों के वित्तीय विवरणों की स्थिति

वित्तीय विवरण का विवरण	वित्तीय वर्ष 2020-21			गत वर्षों के		
	सरकारी कंपनी	सांविधिक निगम	योग	सरकारी कंपनी	सांविधिक निगम	योग
प्राप्त	25	1	26	7 ⁵¹	1	8
समीक्षा नहीं की गई	7	-	7	1	-	1
समीक्षा की गई	18	1	19	6	1	7
लेखापरीक्षा प्रगति* पर है	14	1	15	-	1	1
शून्य टिप्पणी जारी की गई	2	-	2	4	-	4
टिप्पणियां जारी की गई	2	-	2	2	-	2

* 30 नवंबर 2021 को

साथ ही, नौ राजकीय उपक्रमों, जिनकी लेखापरीक्षा 31 दिसंबर 2020 को प्रगति पर थी, में से आठ राजकीय उपक्रमों (चार सरकारी कंपनियों, तीन सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियों एवं एक सांविधिक निगम) के वित्तीय विवरणों पर जनवरी 2021 से सितंबर 2021 के मध्य टिप्पणियां जारी की गई थी। इस प्रकार, समीक्षा अवधि के दौरान 12 राजकीय उपक्रमों (अनुबंध 2.2) के वित्तीय विवरणों पर सीएजी की टिप्पणियां जारी की गई थी।

वित्तीय विवरणों का संशोधन/लेखापरीक्षक के प्रतिवेदन का पुनर्लेखन

2.10 लेखापरीक्षा अवधि के दौरान सीएजी द्वारा किए गए वित्तीय विवरणों की पूरक लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप, एक सरकारी कंपनी (राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम लिमिटेड) एवं सरकार द्वारा नियंत्रित एक अन्य कंपनी (कोटा स्मार्ट सिटी लिमिटेड) ने अपने वर्ष 2019-20 के वित्तीय विवरण, वार्षिक साधारण सभा में इन्हें प्रस्तुत करने से पूर्व, संशोधित किये थे। इसके अलावा, एक सरकारी कंपनी (जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड) ने, वित्तीय वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 के लिए आरआरवीयूएनएल द्वारा दावा किए गए पूँजी पर प्रतिफल को रद्द करने संबंधी राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार, अपने वर्ष 2020-21 के वित्तीय विवरण, वार्षिक साधारण सभा में इन्हें प्रस्तुत करने से पूर्व, संशोधित किये थे। तदनुसार, इन तीन कम्पनियों के सांविधिक लेखापरीक्षकों ने अपने लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को संशोधित किया था।

51 इसमें दो राजकीय उपक्रमों के संशोधित वित्तीय विवरण शामिल नहीं हैं। साथ ही, इसमें आरटीडीसीएल (2017-18) और आरएसएचसीएल (2016-17) के वित्तीय विवरण शामिल नहीं हैं, जो जुलाई 2021 एवं सितंबर 2021 में प्राप्त हुए थे, जैसा कि आरटीडीसीएल के मामले में, कंपनी के बोर्ड ने 12 मार्च 2021 को आयोजित अपनी 182 बैठक में वित्तीय विवरणों एवं उन पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट को मंजूरी दी, हालांकि लेखा परीक्षकों ने अपनी रिपोर्ट बाद की तारीख; 25 मार्च 2021 को प्रस्तुत की जबकि आरएसएचसीएल के मामले में, लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण (2015-16) को एजीएम के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत नहीं किये गये थे।

सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदनों के पूरक के रूप में जारी सीएजी की महत्वपूर्ण टिप्पणियां

2.11 प्रतिवेदन अवधि (जनवरी 2021 से नवंबर 2021) के दौरान, सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के पश्चात राजकीय उपक्रमों से प्राप्त वित्तीय विवरणों की सीएजी ने पूरक लेखापरीक्षा की। सीएजी द्वारा की गई पूरक लेखापरीक्षा ने इंगित किया कि खातों की गुणवत्ता में पर्याप्त सुधार की आवश्यकता है। 2018-21 के खातों के लिए सीएजी की टिप्पणियों के एकीकृत मौद्रिक मूल्य का विवरण इस प्रकार है:

तालिका 2.4: राजकीय उपक्रमों के वित्तीय विवरणों पर लेखापरीक्षा टिप्पणियों का प्रभाव

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	2018-19		2019-20		2020-21	
		लेखों की संख्या	राशि	लेखों की संख्या	राशि	लेखों की संख्या	राशि
1	लाभ में कमी	7	112.46	8	2231.82	7	64.47
2	लाभ में वृद्धि	2	10.20	4	92.04	3	27.28
3	हानि में वृद्धि	0	0.00	5	5362.20	0	0.00
4	हानि में कमी	0	0.00	1	0.30	0	0.00
5	भौतिक तथ्यों का खुलासा न करना	0	0.00	6	86.73	2	6290.22
6	वर्गीकरण की त्रुटि	1	2.00	0	0.00	3	169.37

स्रोत: राजकीय उपक्रमों के वित्तीय विवरणों पर जारी टिप्पणियों से संकलित।

सीएजी द्वारा राजकीय उपक्रमों की पूरक लेखापरीक्षा के बाद जारी की गई कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियों का विवरण नीचे दिया गया है:

लाभप्रदता पर टिप्पणी

क्र.सं.	कंपनी का नाम	टिप्पणी
1.	अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (2019-20)	आरईआरसी ने 2018-19 के अपने टूइंग अप आदेश में राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड को कंपनी से ₹ 604.89 करोड़ के प्रसारण शुल्क की वसूली करने की अनुमति दी, जिसके समक्ष कंपनी ने ₹ 630.17 करोड़ बुक किये थे। प्रसारण प्रभारों की अधिक बुकिंग के परिणामस्वरूप चालू देयताओं को अधिक दर्शाया गया एवं लाभ को ₹ 25.28 करोड़ से कम दर्शाया गया।
		पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के ₹ 2.75 करोड़ (जुलाई 2011 से मार्च 2020) के पीओसी ⁵² शुल्क बिल का लेखांकन न किए

52 पोएंट ऑफ कनेक्शन।

		जाने के परिणामस्वरूप वर्तमान देनदारियों को कम दर्शाया गया एवं लाभ को ₹ 2.75 करोड़ से अधिक दर्शाया गया।
		कंपनी की सार्थक लेखांकन नीति के अनुसार ₹ 1.98 करोड़ के ग्रेच्युटी व्यय का लेखांकन नहीं किए जाने के परिणामस्वरूप चालू देयताओं को कम दर्शाया गया एवं लाभ को ₹ 1.98 करोड़ से अधिक दर्शाया गया।
		₹ 4.79 करोड़ के विवादित राजस्व का परिचालन राजस्व के रूप में लेखांकन के परिणामस्वरूप चालू परिसंपत्तियों के साथ-साथ लाभ ₹ 4.79 करोड़ से अधिक दर्शाया गया।
2.	राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (2019-20)	कोटा थर्मल पावर स्टेशन (₹ 1.06 करोड़) एवं छाबड़ा थर्मल पावर स्टेशन (₹ 1.05 करोड़) के परिचालन एवं अनुरक्षण पर हुए व्यय का लेखांकन नहीं किए जाने के परिणामस्वरूप चालू दायित्वों को कम दर्शाया गया एवं लाभ को ₹ 2.11 करोड़ से अधिक दर्शाया गया।
		मरम्मत एवं अनुरक्षण व्यय के समक्ष ₹ 10.69 करोड़ के क्रेडिट के गलत समायोजन के परिणामस्वरूप मरम्मत एवं रखरखाव व्यय के साथ-साथ कंपनी की अन्य आय को ₹ 10.69 करोड़ कम दर्शाया गया।
3.	राजकॉम्प इंफो सर्विसेज लिमिटेड (2019-20)	₹ 22.74 करोड़ के परियोजना व्यय एवं उस पर सेवा शुल्क आय ₹ 1.36 करोड़ (₹ 22.74 करोड़ के परियोजना व्यय का 6%) को खातों में दर्ज नहीं किए जाने के परिणामस्वरूप परियोजना व्यय संबंधी दायित्वों (नोट -5) को ₹ 24.10 करोड़ (₹ 22.74 करोड़ + ₹ 1.36 करोड़) से अधिक एवं व्यापार देयताओं को ₹ 22.74 करोड़ से कम तथा लाभ को ₹ 1.36 करोड़ से कम दर्शाया गया।
4.	राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम (2019-20)	उधार लागतों का, जब सक्रिय विकास बाधित हुआ, उस अवधि के लिए ₹ 10.81 करोड़ की गलत पूंजीकरण के परिणामस्वरूप चालू पूंजीगत कार्य एवं लाभ ₹ 10.81 करोड़ से अधिक दर्शाया गया।
		आरएसएफसीएससी ⁵³ के समक्ष 2013-16 की अवधि हेतु (₹ 2.10 करोड़) एवं एफसीआई ⁵⁴ (₹ 16.75 करोड़) के पास पड़े हुए दावों के संबंध में डूबत व संदिग्ध संपत्तियों के लिए ₹ 18.85 करोड़ का प्रावधान नहीं किए जाने के परिणामस्वरूप चालू संपत्तियां, ऋण तथा अग्रिम एवं लाभ को ₹ 18.85 करोड़ से अधिक दर्शाए गए।

53 राजस्थान राज्य स्वाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड।

54 भारतीय स्वाद्य निगम

वित्तीय स्थिति पर टिप्पणियां

क्र.सं.	कंपनी का नाम	टिप्पणी
1.	राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (2019-20)	सूरतगढ़ सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर स्टेशन की इकाई-7 तथा 8 हेतु मार्शलिंग यार्ड के निर्माण पर व्यय ₹ 89.82 करोड़ का लेखांकन नहीं किए जाने के परिणामस्वरूप चालू पूंजीगत कार्य को ₹ 89.82 करोड़ से कम एवं अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियों को अधिक दर्शाया गया।
2.	राजस्थान राज्य स्नान एवं स्नानिज लिमिटेड (2019-20)	कंपनी ने ₹ 62.23 करोड़ (2019-20- ₹ 20.64 करोड़, 2018-19- ₹ 26.08 करोड़ एवं 2017-18- ₹ 15.51 करोड़) के इनपुट टैक्स क्रेडिट को गलत दर्ज किए जाने का प्रावधान नहीं किया था। इसके परिणामस्वरूप चालू परिसंपत्तियों को ₹ 62.23 करोड़ से अधिक दर्शाया गया एवं अन्य व्ययों तथा 'अन्य पूंजी' को क्रमशः ₹ 20.64 करोड़ एवं ₹ 41.59 करोड़ से कम दर्शाया गया। वर्ष का लाभ भी ₹ 20.64 करोड़ से अधिक दर्शाया गया।
3.	जयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड (2019-20)	₹ 1.64 करोड़ के पूंजीगत व्यय का लेखांकन नहीं किए जाने के परिणामस्वरूप व्यापार देयताओं एवं चालू पूंजीगत कार्य को ₹ 1.64 करोड़ से कम दर्शाया गया।
4.	कोटा स्मार्ट सिटी लिमिटेड (2019-20)	कोटा शहर में रूफटॉप सोलर फोटोवोल्टिक पावर्ड जल पम्पिंग परियोजना एवं बस शेल्टर के निर्माण से संबंधित ₹ 1.13 करोड़ के अंतिम बिलों का लेखांकन नहीं किए जाने के परिणामस्वरूप संपत्ति, संयंत्र व उपकरण तथा अन्य चालू दायित्वों को ₹ 1.13 करोड़ से कम दर्शाया गया।
5.	उदयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड (2019-20)	₹ 2.97 करोड़ के पूंजीगत व्यय का लेखांकन नहीं किए जाने के परिणामस्वरूप चालू पूंजीगत कार्य एवं व्यापार देयताओं को ₹ 2.97 करोड़ से कम दर्शाया गया।
6.	राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम (2019-20)	अप्रैल 2020 में देनदारों द्वारा जारी किए गए चेकों एवं आरटीजीएस/एनईएफटी को हाथ में चेक के रूप में गलत लेखांकन तथा इसकी बकाया देनदारों में से कटौती किए जाने के परिणामस्वरूप देनदारों (वेयरहाउसिंग संचालन) को ₹ 46.12 करोड़ से कम दर्शाया गया एवं नकद व बैंक शेष - हाथ में चेक तथा डी.डी. को अधिक दर्शाया गया
7	राजस्थान शहरी पेयजल सीवरेज एवं ढांचागत निगम लिमिटेड (2018-19)	एफडीआर (अन्य चालू संपत्तियों में शामिल) पर उपाजित ब्याज के प्रत्यावर्तन के स्थान पर आरएवीआईएल ⁵⁵ के ₹ 1.14 करोड़ के एफडीआर के गलत प्रत्यावर्तन के परिणामस्वरूप नकद व नकद समकक्षों को ₹ 1.14 करोड़ से कम दर्शाया गया एवं अन्य चालू संपत्तियों को अधिक दर्शाया गया।

प्रकटन/सामान्य पर टिप्पणियां

क्र.सं.	कंपनी का नाम	टिप्पणियां
1.	राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड (2020-21)	एएस-3 के प्रावधानों एवं कंपनी की महत्वपूर्ण लेखांकन नीति के उल्लंघन में नकद व नकद समकक्ष के तहत अनुसूचित बैंकों के साथ ₹ 40 करोड़ के सावधि जमा का गलत समावेशन के कारण निवेश गतिविधियों से/ (प्रयुक्त) शुद्ध नकद को अधिक दर्शाया गया जिसके परिणामस्वरूप नकद व नकद समकक्षों एवं नकद और नकद समकक्षों (अंतिम शेष) में ₹ 40 करोड़ की वृद्धि/(कमी) दर्शाई गई।
2.	राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (2019-20)	कंपनी सैद्धांतिक रूप से कोटा टीपीएस की इकाई 1 से 4 को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के लिए सहमत हो गई एवं इसके लिए ₹ 6,290 करोड़ (चरण- I ₹ 3,320 करोड़ तथा चरण- II ₹ 2,970 करोड़) की अतिरिक्त पूंजी दायित्व की आवश्यकता थी, लेकिन प्रकरण राज्य सरकार के विचाराधीन होने के उपरांत भी ऐसे महत्वपूर्ण तथ्य को 2019-20 के वित्तीय विवरण में प्रकट नहीं किया गया था।
3.	कोटा स्मार्ट सिटी लिमिटेड (2019-20)	कंपनी ने 2019-20 के लिए वित्तीय विवरणों के संशोधन के साथ-साथ कारणों यथा वित्तीय विवरणों पर हस्ताक्षर करने की तारीख एवं बीओडी बैठक की तारीख में अंतर, कंपनी सचिव द्वारा वित्तीय विवरणों पर हस्ताक्षर नहीं किए जाने के बारे में तथ्य उजागर नहीं किए थे।
4.	राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम लिमिटेड (2019-20)	कंपनी ने स्वातंत्र्य के संशोधन के प्राथमिक कारण अर्थात् पूरक लेखापरीक्षा के दौरान सीएजी लेखापरीक्षकों द्वारा किए गए अवलोकन एवं ऐसे संशोधन के प्रभाव को उजागर नहीं किए थे।

लेखापरीक्षक के प्रतिवेदन पर टिप्पणियां

क्र.सं.	कंपनी का नाम	टिप्पणियां
1.	गिरल लिग्नाइट ऊर्जा लिमिटेड (2020-21)	सांविधिक लेखा परीक्षकों (एसए) ने प्रतिकूल टिप्पणी हेतु आधार के तहत अपने प्रतिवेदन में कहा है कि "राजस्थान सरकार ने अधिक निवेश करके संयंत्रों के चरणबद्ध पुनरुद्धार कर उसी को फिर से शुरू करने की कंपनी की योजना को असंभाव्यता एवं इससे जुड़ी सफलता ध्यान में रखते हुए अस्वीकार कर दिया है। इस प्रकार, अनुमति के अभाव में कंपनी के संचालन के पुनरुद्धार की संभावना पर भौतिक संदेह है।" साथ ही, राय के निष्कर्ष में एसए द्वारा यह भी प्रतिवेदित किया गया था कि "कंपनी की चालू प्रतिष्ठान के रूप में जारी रहने की क्षमता के बारे में अनिश्चितता मौजूद है"। निदेशक मंडल (बीओडी) ने 100% अंशपूंजी के विक्रय के माध्यम से जीएलपीएल के विनिवेश हेतु नवीन रुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई)

		<p>आमंत्रित करने के लिए प्रारंभिक सूचना ज्ञापन (पीआईएम) जारी किए जाने हेतु अनुमोदन किया (29 जून 2021), जैसा कि राज्य सरकार द्वारा गठित समिति ने अनुशंसा की थी। इस प्रकार, “कंपनी की एक चालू प्रतिष्ठान के रूप में नहीं जारी रहने की क्षमता के बारे में भौतिक निश्चितता है।</p> <p>साथ ही, विनिवेश की ओर ले जाने वाली स्थितियां अर्थात्, कंपनी की विनिवेश प्रक्रिया शुरू करने का राज्य सरकार का निर्णय (8 दिसंबर 2020) से अवगत कराना, जिसने इंगित किया कि बैलेंस शीट तिथि को चालू प्रतिष्ठान की मौलिक लेखांकन धारणा उपयुक्त नहीं थी, भी बैलेंस शीट तिथि को मौजूद थीं। इन दो महत्वपूर्ण तथ्यों को सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा प्रतिवेदित नहीं किया गया।</p>
2.	राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड (2020-21)	<p>अन्य विधिक एवं नियामक आवश्यकताओं पर प्रतिवेदन के तहत स्वतंत्र लेखा परीक्षक की राय है कि “स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखा मानकों सपटित कंपनी (लेखा) नियम 2014 के नियम 7 की अनुपालना में” सही नहीं थे क्योंकि कंपनी ने तीन महीने से अधिक की परिपक्वता अवधि वाले निवेश से संबंधित राशि को एएस-3 के उल्लंघन में नकद और नकद समकक्ष शीर्ष के तहत शामिल किया है।</p> <p>साथ ही, सांविधिक लेखा परीक्षकों ने अपरिवर्तित राय व्यक्त की है। सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा दी गई राय भी इस सीमा तक सही नहीं थी क्योंकि सांविधिक लेखापरीक्षक एएस-3 की अनुपालना नहीं किए जाने के प्रकरण पर टिप्पणी करने में विफल रहे।</p>
3.	राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड (2019-20)	<p>अन्य विधिक एवं नियामक आवश्यकताओं पर प्रतिवेदन के तहत स्वतंत्र लेखा परीक्षक की राय है कि “स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट भारतीय लेखा मानकों सपटित कंपनी (भारतीय लेखा मानकों) नियम 15, जैसा कि संशोधित किया गया, की अनुपालना में” गलत थे क्योंकि मर्यादित राय का आधार शीर्ष के तहत दायित्वों के कम प्रावधान के संबंध में दो टिप्पणियां, भारतीय लेखा मानक (इंड एएस)-37: प्रावधान, आकस्मिक देयताएं एवं आकस्मिक संपत्तियां, के साथ वित्तीय विवरणों का अनुपालना नहीं दर्शाती थीं।</p>
4.	राजकॉम्प इंफो सर्विसेज लिमिटेड (2019-20)	<p>सांविधिक लेखापरीक्षकों का प्रतिवेदन त्रुटिपूर्ण था क्योंकि वे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उप धारा 5 के तहत उन्हें जारी सीएजी के उप निर्देशों पर प्रतिवेदन करने में विफल रहे।</p>
5.	राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम लिमिटेड (2019-20)	<p>स्वतंत्र लेखापरीक्षक ने अपने प्रतिवेदन (राय स्पण्ड) में ‘संशोधित’ शब्द शामिल नहीं किया था। साथ ही, संशोधन का प्राथमिक कारण अर्थात् लेखाओं की पूरक लेखापरीक्षा के दौरान सीएजी लेखापरीक्षकों द्वारा की गई टिप्पणियों एवं उनका प्रभाव का भी स्वतंत्र लेखापरीक्षक द्वारा उल्लेख नहीं किया गया था।</p>

<p>6.</p>	<p>राजस्थान शहरी पेयजल सीवरेज एवं ढांचागत निगम लिमिटेड (2018-19)</p>	<p>लेखापरीक्षा मानक-706 (एसए-706) में कहा गया है कि केवल वे मामले, जो वित्तीय विवरणों में प्रस्तुत या प्रकट किए गए हैं एवं जिन्हें लेखापरीक्षक उपयोगकर्ता का ध्यान आकर्षित करने के लिए आवश्यक समझता है, केवल वे मामले ही महत्वपूर्ण प्रकरण (ईओएम) में शामिल किए जा सकते हैं। साथ ही, एसए-706 बताता है कि ईओएम अनुच्छेद का व्यापक उपयोग ऐसे मामलों के लेखापरीक्षक के सम्प्रेषण की प्रभावशीलता को कम करता है एवं यह कि ईओएम अनुच्छेद मर्यादित राय का विकल्प नहीं है।</p> <p>सांविधिक लेखापरीक्षक द्वारा ईओएम अनुच्छेद में कई कमियों को शामिल करना अर्थात् जीएसटी रिटर्न और लेखापुस्तकों में रसीद/टर्नओवर के बीच असंगति, उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं रखा गया, आदि। साथ ही, अनिश्चितता /समाशोधन नहीं किए जाने एवं पुष्टि नहीं किए जाने के कारण ईओएम में ऐसे प्रकरण भी शामिल थे जहां सांविधिक लेखापरीक्षक व्यवहारों की सटीकता पर टिप्पणी करने में असमर्थ थे जैसे कि खातों में दर्ज जीएसटी देयता, सीडब्ल्यूआईपी अथवा मोबिलाइजेशन/ कार्यों के समक्ष अग्रिम, अग्रिम/व्यापार प्राप्तियों की वसूली की सीमा आदि का हिस्सा बनने वाले बहीखाते।</p> <p>इन मामलों में मर्यादित लेखापरीक्षा राय की आवश्यकता होती है एवं इन्हें केवल ईओएम अनुच्छेद में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। अतः सांविधिक लेखापरीक्षक की ओर से लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में यह आश्वासन देना उचित नहीं था कि वित्तीय विवरण सत्य एवं उचित दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं तथा महत्वपूर्ण मिथ्या विवरण से मुक्त थे।</p>
-----------	--	--

सांविधिक निगम, जहां सीएजी एकमात्र लेखा परीक्षक है

2.12 सीएजी द्वारा सांविधिक निगम के लेखों पर, जहां सीएजी एकमात्र लेखा परीक्षक है, जारी की गई महत्वपूर्ण टिप्पणियां नीचे दी गई हैं:

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम

निगम ने वर्ष 2019-20 के लिए अपने वित्तीय विवरण प्रस्तुत किए (अप्रैल 2021)। लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप निगम ने अपने लेखों को संशोधित किया एवं लेखापरीक्षा के लिए संशोधित लेखे प्रस्तुत किए (सितम्बर 2021)। 30 नवंबर 2021 को पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (एसएआर) को अंतिम रूप दिया जा रहा था। तथापि, इसे 21 जनवरी 2022 को जारी किया गया था।

लेखांकन मानकों/इंड एस के प्रावधानों की अनुपालना नहीं करना

2.13 कथित अधिनियम की धारा 129 (1), धारा 132 एवं धारा 133 के साथ पठित अधिनियम, 2013 की धारा 469 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार ने

लेखा मानकों को निर्धारित किया था। इनके अतिरिक्त, केंद्र सरकार ने कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 एवं कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) (संशोधन) नियम, 2016 के माध्यम से 41 भारतीय लेखांकन मानक (इंड एएस) को अधिसूचित किया। इंड एएस 115 तथा 116 की अधिसूचना के पश्चात तीन इंड एएस 11, 17 एवं 18 को वापस ले लिया गया है।

पूरक लेखापरीक्षा के दौरान सीएजी ने देखा कि निम्नलिखित कंपनियों ने लेखा मानकों/इंड एएस की अनुपालना नहीं की थी। अनुपालना नहीं किए जाने को उनके सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा प्रतिवेदित नहीं किया गया था:

एएस/इंड एएस	एएस/इंड एएस का नाम	कंपनी का नाम	विचलन
एएस 3	नकदी प्रवाह विवरण	राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड (2020-21)	नकद एवं नकद समकक्ष के तहत अनुसूचित बैंकों के साथ सावधि जमा को शामिल करना, जिनकी परिपक्वता तीन महीने से अधिक है। एसए अपने प्रतिवेदन में भी एएस-3 की अनुपालना नहीं किए जाने के बारे में प्रतिवेदित करने में विफल रहे।
इंड एएस 37	प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक संपत्तियां।	राजस्थान राज्य स्वान एवं स्वनिज लिमिटेड (2019-20)	समेकित वित्तीय विवरणों के स्वतंत्र लेखा परीक्षक ने कहा कि स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण भारतीय लेखा मानकों का अनुपालन करते हैं, तथापि, स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के सांविधिक लेखापरीक्षकों ने मर्यादित राय के आधार शीर्ष के तहत देनदारियों के कम प्रावधान के संबंध में दो टिप्पणियां की थीं।

प्रबंधन पत्र

2.14 वित्तीय लेखापरीक्षा के उद्देश्यों में से एक लेखापरीक्षक एवं निगमित इकाई के अभिशासन के उत्तरदायित्व वाले व्यक्तियों के बीच वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा से उत्पन्न मामलों पर संम्रेषण स्थापित करना है।

राजकीय उपक्रमों के वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण आक्षेपों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) के अंतर्गत सीएजी द्वारा टिप्पणियों के रूप में प्रतिवेदित की गई थी। इन टिप्पणियों के अतिरिक्त, वित्तीय प्रतिवेदनों में अथवा प्रतिवेदन प्रक्रिया में सीएजी द्वारा पाई गई अनियमितताओं या कमियों पर भी सुधारात्मक कार्यवाही करने के लिए 'प्रबंधन पत्र' के माध्यम से प्रबंधन को सूचित किया गया था। यह कमियां सामान्यतः लेखांकन नीतियों एवं प्रथाओं के लागू करने एवं व्याख्या करने, लेखापरीक्षा से उत्पन्न समायोजनों जिनका वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है एवं कतिपय सूचनाओं की अपर्याप्तता अथवा प्रकटन नहीं

किया जाना, जिस पर संबंधित राजकीय उपक्रम के प्रबंधन ने आश्वासन दिया कि सुधारात्मक कार्रवाई आगामी वर्ष में की जाएगी से संबंधित है।

समीक्षा अवधि के दौरान, सीएजी ने राजकीय उपक्रमों को 17 'प्रबंधन पत्र' जारी किए, जैसा कि **अनुबंध-2.3** में दर्शाया गया है। इन प्रबंधन पत्रों में उजागर की गई अनियमितताओं की व्यापक प्रकृति निम्नानुसार थी:

- लेखांकन नीतियों की अनुपालना नहीं किया जाना / प्रकटीकरण नहीं किया जाना;
- राजस्थान सरकार/माननीय न्यायालय के निर्णय के अनुसार लेखांकन का निर्देश जारी करना;
- शेषों का मिलान नहीं किया जाना;
- परिसम्पतियों, देयताओं, आय एवं व्यय आदि का गलत वर्गीकरण;
- 'लेखों की टिप्पणियों में' अपर्याप्त/प्रकटन नहीं किया जाना; एवं
- उचित लेखा पुस्तकों के रख रखाव का अभाव।

अध्याय-III
निगमित अभिशासन

निगमित अभिशासन

यह अध्याय सरकारी कंपनियों द्वारा निगमित अभिशासन सिद्धांतों के पालन से संबंधित है। सरकारी कंपनियों के निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशकों/महिला निदेशकों की नियुक्ति, निदेशक मंडल एवं उसके तहत गठित समितियों की बैठकों में भाग लेने में उनकी उपस्थिति, निदेशक मंडल की बैठकें आयोजित करने इत्यादि से संबंधित मुद्दों पर प्रकाश डाला गया है।

परिचय

3.1 निगमित अभिशासन ग्राहको, आपूर्तिकर्ताओ, कर्मचारियों, अंशधारकों, बैंकरों एवं वृहद् रूप से समाज को सम्मिलित करते हुये अपने विभिन्न हितधारको के विश्वास के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करता है। निगमित अभिशासन के नियमों, प्रथाओं एवं प्रक्रियाओ की प्रणाली से कंपनी निर्देशित एवं नियंत्रित होती है। साथ ही, किसी भी राजकीय उपक्रम का निगमित अभिशासन का ढांचा पारदर्शिता, पूर्ण प्रकटन, स्वतंत्र निगरानी एवं सभी के लिए निष्पक्षता जैसे चार स्तंभों पर निर्भर करता है। निगमित अभिशासन सिद्धांतों का पालन व्यवसाय में पारदर्शिता एवं जवाबदेही लाता है एवं हितधारकों का विश्वास बढ़ाता है।

कंपनी अधिनियम, 2013 में निहित प्रावधान

3.2 कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) को कंपनी अधिनियम, 1956 के स्थान पर 29 अगस्त 2013 को अधिनियमित किया गया था। इसके अतिरिक्त, कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने प्रबंधन व प्रशासन, निदेशकों की नियुक्ति व योग्यता, निदेशक मंडल की बैठकों तथा इसकी शक्तियों एवं लेखों पर कंपनी नियम 2014 को भी अधिसूचित (31 मार्च 2014) किया है। कंपनी नियमों के साथ कंपनी अधिनियम, 2013 निगमित अभिशासन के लिए एक सुदृढ़ ढांचा प्रदान करता है। जिसमे अन्य बातों के साथ यह प्रावधान है कि:

स्वतंत्र निदेशकों के लिए योग्यता के साथ पेशेवर आचरण हेतु कर्तव्य एवं दिशा-निर्देश {धारा 149 (6) सपठित कंपनी नियम, 2014 (निदेशकों की नियुक्ति एवं योग्यता) का नियम 5}।

निर्धारित कंपनियों के निदेशक मंडल में एक महिला निदेशक की अनिवार्य नियुक्ति {कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 149 (1)}

विशिष्ट समितियों जैसे लेखापरीक्षा समिति {कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 177 (1)} नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति {कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 178 (1)} एवं हितधारक संबंध समिति {कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 178 (5)} की अनिवार्य स्थापना

प्रत्येक वर्ष निदेशक मंडल की न्यूनतम चार बैठकों का आयोजन, इस प्रकार से होना चाहिए कि बोर्ड की लगातार दो बैठकों के मध्य 120 दिन से अधिक का समयान्तराल न हो। {कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 173 (1)}

निगमित अभिशासन पर सेबी/बीपीई के दिशानिर्देश

3.3 चूंकि राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (राजकीय उपक्रमों) में से कोई भी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं है, निगमित अभिशासन पर सेबी के दिशानिर्देश राजकीय उपक्रमों पर लागू नहीं होते हैं। साथ ही, राजस्थान सरकार (जीओआर) के राजकीय उपक्रम ब्यूरो (बीपीई) ने भी निगमित अभिशासन के संबंध में कोई दिशानिर्देश जारी नहीं किये हैं।

निगमित अभिशासन के प्रावधानों की अनुपालना की समीक्षा

3.4 31 मार्च, 2021 को, भारत के सीएजी के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार में 42 राजकीय उपक्रम (38 सरकारी कंपनियां एवं सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य चार कंपनियां) थीं।

लेखापरीक्षा समीक्षा के उद्देश्य से निगमित अभिशासन पर अधिनियम, 2013 में निहित प्रावधानों के आधार पर एक मूल्यांकन प्रणाली तैयार की गई थी। समीक्षा में राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम लिमिटेड, जो समापन अवस्था में है, के अतिरिक्त विभिन्न विभागों के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन समस्त सरकारी कंपनियों को सम्मिलित किया गया है।

निदेशक मंडल का गठन

3.5 बोर्ड निर्वाचित या नियुक्त व्यक्तियों का एक सामूहिक निकाय है जो निगमित प्रबंधन के लिए नीतियों को निर्धारित करने एवं संगठन की गतिविधियों का निरीक्षण करने हेतु नियमित अंतराल पर मिलता है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(10) के अनुसार, एक कंपनी के

संबंध में 'निदेशक मंडल' अथवा 'बोर्ड' से आशय कंपनी के निदेशको के सामूहिक निकाय से है।

स्वतंत्र निदेशक

3.6 बोर्ड में स्वतंत्र प्रतिनिधियों, जो प्रबंधन के निर्णयों पर एक स्वतंत्र दृष्टिकोण रखने में सक्षम हैं, की उपस्थिति को शेयरधारकों एवं अन्य हितधारकों के हितों की सुरक्षा के संबंध में व्यापक रूप से एक साधन माना जाता है।

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 149 (6) अन्य बातों के साथ-साथ यह निर्धारित करती है कि किसी कंपनी के संबंध में एक स्वतंत्र निदेशक से आशय प्रबंध निदेशक या पूर्णकालिक निदेशक या नामित निदेशक के अलावा एक निदेशक से है एवं जो सत्यनिष्ठ व्यक्ति है तथा प्रासंगिक विशेषज्ञता व अनुभव रखता है। इसके अलावा, स्वतंत्र निदेशक न तो स्वयं प्रवर्तक होना चाहिए एवं न ही कंपनी के प्रवर्तकों/निदेशकों या उसकी होल्डिंग, सहायक या सहयोगी कंपनी से संबंधित होना चाहिए। स्वतंत्र निदेशक का स्वयं या उसके रिश्तेदारों का कंपनी, या उसकी सहायक कंपनी, या उसकी होल्डिंग या सहयोगी कंपनी के साथ मौद्रिक सीमा से अधिक तथा इस खंड में निर्धारित अवधि के दौरान कोई आर्थिक संबंध/लेनदेन (स्वतंत्र निदेशक के पारिश्रमिक के अलावा) नहीं होना चाहिए। स्वतंत्र निदेशक स्वयं या उनके रिश्तेदार इस खंड में निर्धारित समय सीमा के दौरान कंपनी या उसकी होल्डिंग, सहायक या सहयोगी कंपनी के साथ प्रमुख प्रबंधकीय पद या अन्य कोई निर्धारित संबंध अर्थात् कर्मचारी, लेखापरीक्षक, कंपनी सचिव आदि नहीं रखेंगे।

अधिनियम 2013 की धारा 149 (4) में प्रावधान है कि प्रत्येक सूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी में निदेशकों की कुल संख्या का कम से कम एक तिहाई स्वतंत्र निदेशक होने चाहिए। साथ ही, कम्पनी (निदेशकों की नियुक्ति व योग्यता) नियम 2014 के नियम 4 के अनुसार (i) दस करोड़ रुपये या उससे अधिक की प्रदत्त शेयर पूंजी अथवा (ii) एक सौ करोड़ रुपये अथवा उससे अधिक का टर्नओवर; अथवा (iii) समग्र रूप से पचास करोड़ रुपये से अधिक बकाया ऋण, ऋणपत्रों एवं जमा रखने वाली सार्वजनिक कंपनियों में स्वतंत्र निदेशक के रूप में कम से कम दो निदेशक होने चाहिए।

साथ ही, इस नियम के अन्तर्गत आने वाली कंपनी को लेखापरीक्षा समिति का गठन करना भी आवश्यक है। ऐसी लेखापरीक्षा समिति में न्यूनतम तीन निदेशक होंगे, जिसमें अधिनियम 2013 की धारा 177 (2) के अनुसार स्वतंत्र निदेशकों का बहुमत होगा।

नियम में आगे यह प्रावधान है कि यदि कोई कंपनी लगातार तीन वर्षों तक तीन शर्तों में से कोई भी शर्त पूर्ण नहीं करती है, इसे इन प्रावधानों का अनुपालना करने की तब तक आवश्यकता नहीं होगी, जब तक कि यह इनमें से किसी शर्त को पूर्ण नहीं करती है।

इसके अतिरिक्त, नियम 4(2) के अनुसार, गैर सूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी के तीन वर्ग अर्थात् एक संयुक्त उद्यम अथवा पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी अथवा एक निष्क्रिय कंपनी को स्वतंत्र निदेशक नियुक्त करने की आवश्यकता नहीं है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि अधिनियम 2013 के प्रावधानों एवं उपरोक्त वर्णित नियम 4 के अनुसार, वर्ष 2020-21 के दौरान कुल 41 राजकीय उपक्रमों में से 26 राजकीय उपक्रमों को, जैसा कि अनुबंध 3.1 में दर्शाया गया है, स्वतंत्र निदेशको (आईडी) की नियुक्ति किया जाना आवश्यक था। निदेशक मंडल (बीओडी) की संरचना की समीक्षा के आधार पर इन राजकीय उपक्रमों में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की एक सारांशित स्थिति तालिका 3.1 में दी गई है:

तालिका 3.1 स्वतंत्र निदेशको (आईडी) की नियुक्ति की स्थिति

विवरण	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2021 को
आईडी की नियुक्ति की आवश्यकता रखने वाले राजकीय उपक्रमों की संख्या	26	26
आईडी की आवश्यक संख्या रखने वाले राजकीय उपक्रमों की संख्या	5	6
आईडी की आवश्यक संख्या नहीं रखने वाले राजकीय उपक्रमों की संख्या	4	2
कोई आईडी नहीं रखने वाले राजकीय उपक्रमों की संख्या	17	18

स्रोत : राजकीय उपक्रमों से प्राप्त सूचना के आधार पर संकलित।

31 मार्च 2020 एवं 31 मार्च 2021 को जिन राजकीय उपक्रमों के पास कोई आईडी नहीं थे, उनमें से एक राजकीय उपक्रम यथा राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड (आरएसआईसीएल) 2017-18 के दौरान इसके टर्नओवर (₹ 136.06 करोड़) को देखते हुए 2018-19 से 2020-21 के दौरान अपने बीओडी में आईडी नियुक्त करने के लिए उत्तरदायी था जबकि शेष राजकीय उपक्रम कंपनी नियम, 2014 के नियम 4 (निदेशकों की नियुक्ति और योग्यता) के तहत निर्धारित शर्तों को लगातार पूर्ण करने के कारण आईडी नियुक्त करने के लिए उत्तरदायी थे।

अनुबंध 3.1 से यह देखा जा सकता है कि दो राजकीय उपक्रम⁵⁶, जिनके पास 31 मार्च 2020 को एक आईडी था, ने अगस्त 2020 में गत आईडी का कार्यकाल समाप्त होने के बाद 31 मार्च 2021 तक नई आईडी की नियुक्ति नहीं की थी। यद्यपि राजकीय उपक्रमों, जिनके पास आवश्यक संख्या में आईडी नहीं थे, की संख्या में कमी आई थी परन्तु 31 मार्च 2020 को 17 की तुलना में 31 मार्च 2021 को कोई आईडी नहीं रखने वाले राजकीय उपक्रमों की संख्या बढ़कर 18 हो गई।

इस प्रकार, राजकीय उपक्रमों ने कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के साथ-साथ कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति व योग्यता) नियम, 2014 के नियम 4 की अनुपालना सुनिश्चित नहीं

56 राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड एवं राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड (अनुबंध 3.1 के क्रमांक 4 तथा 7)

की थी।

मंडल में महिला निदेशक

3.7 अधिनियम, 2013 की धारा 149 (2) सपठित कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति व योग्यता) नियम, 2014 का नियम 3 में (i) प्रत्येक सूचीबद्ध कंपनी, (ii) प्रत्येक अन्य सार्वजनिक कंपनी जिसमें (अ) एक सौ करोड़ या अधिक की प्रदत्त पूंजी अथवा (ब) तीन सौ करोड़ या अधिक का टर्नओवर हो, कम से कम एक महिला निदेशक की नियुक्ति का प्रावधान है। साथ ही, महिला निदेशक की किसी भी आंतरायिक रिक्ति को बोर्ड द्वारा अतिशीघ्र परन्तु तत्काल आगामी बोर्ड बैठक के बाद अथवा ऐसी रिक्ति की दिनांक से तीन माह, जो भी बाद में हो, से पूर्व भरा जाना चाहिए।

लेखापरीक्षा ने देखा कि 2020-21 के दौरान 19 राजकीय उपक्रमों, जैसा कि अनुबंध 3.1 में दर्शाया गया है, द्वारा महिला निदेशको की नियुक्ति किया जाना आवश्यक था। इन 19 राजकीय उपक्रमों में से 13 राजकीय उपक्रमों में सम्पूर्ण वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान कम से कम एक महिला निदेशक रही थी, जैसा कि तालिका 3.2 में दर्शाया गया है:

तालिका 3.2: वर्ष 2020-21 के दौरान कम से कम एक महिला निदेशक वाले राजकीय उपक्रम

क्रम संख्या	राजकीय उपक्रमों के नाम
1.	अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
2.	जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
3.	जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
4.	राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड
5.	गिरल लिग्नाइट ऊर्जा लिमिटेड
6.	राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड
7.	राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड
8.	राजस्थान राज्य स्वाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड
9.	राजस्थान राज्य बेवरेज निगम लिमिटेड
10.	राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड
11.	जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड
12.	कोटा स्मार्ट सिटी लिमिटेड
13.	राजस्थान राज्य स्वान एवं स्वनिज लिमिटेड

स्रोत: राजकीय उपक्रमों द्वारा प्रदान की गई सूचना के आधार पर संकलित।

लेखापरीक्षा ने पाया कि एक राजकीय उपक्रम यथा राजस्थान राज्य गैस लिमिटेड में सम्पूर्ण वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान महिला निदेशक नहीं थी एवं दो राजकीय उपक्रमों (उदयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड तथा राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड) में पूर्व महिला निदेशको का कार्यकाल क्रमशः 5 जुलाई 2020 एवं 31 अक्टूबर 2020 को समाप्त होने के बाद नई महिला निदेशक की नियुक्ति नहीं की थी। साथ ही, एक राजकीय उपक्रम यथा बाड़मेर लिग्नाइट खनन कंपनी लिमिटेड ने महिला निदेशक की रिक्ति को निर्धारित समयावधि

के भीतर भरकर नियम 3 के प्रावधान की अनुपालना सुनिश्चित की। लेखापरीक्षा ने देखा कि दो राजकीय उपक्रमों यथा जयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड एवं राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम लिमिटेड ने महिला निदेशक की रिक्ति को क्रमशः छः माह एवं 15 माह के विलंब से भरा था।

स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति एवं कार्यप्रणाली

नियुक्ति के औपचारिक पत्र को जारी करना एवं सामान्य सभा में अनुमोदन

3.8 कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची IV के अनुसार, स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति का अनुमोदन अंशधारकों की बैठक (साधारण सभा) में होगा। साथ ही, स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति औपचारिक नियुक्ति पत्र, जिसमें नियुक्ति के नियमों एवं शर्तों को व्यक्त किया जायेगा, के माध्यम से की जायेगी। इसके अतिरिक्त, स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के नियमों एवं शर्तों को कंपनी की वेबसाइट पर प्रदर्शित करना भी आवश्यक है।

दो राजकीय उपक्रमों (राजस्थान भूतपूर्व सैनिक निगम लिमिटेड एवं राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड) ने 2020-21 के दौरान स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की। लेखापरीक्षा ने देखा कि राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड ने नियुक्ति का अनुमोदन साधारण सभा में नहीं करवाया था एवं नियुक्ति किये गये स्वतंत्र निदेशकों को नियुक्ति के नियम एवं शर्तों के संबंध में जारी किए गये औपचारिक पत्र अभिलेखों में उपलब्ध नहीं थे।

स्वतंत्र निदेशकों का प्रशिक्षण

3.9 कंपनी अधिनियम की अनुसूची IV (अनुच्छेद III (1)- स्वतंत्र निदेशकों के कर्तव्य) के अनुसार, स्वतंत्र निदेशकों को यथोचित प्रशिक्षण लेना चाहिए एवं अपने कौशल, ज्ञान तथा कंपनी के बारे में जानकारी को नियमित रूप से तरोताजा एवं अद्यतन रखना चाहिए। तथापि, लेखापरीक्षा ने देखा कि दो⁵⁷ राजकीय उपक्रमों के सिवाय किसी भी राजकीय उपक्रम ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, बोर्ड में विद्यमान स्वतंत्र निदेशकों को इस प्रकार का प्रशिक्षण नहीं दिया था।

कंपनी के बोर्ड, बोर्ड समितियों एवं साधारण सभा की बैठकों में भाग लेना

3.10 अधिनियम, 2013 की अनुसूची IV (III) (3) में यह प्रावधान है कि स्वतंत्र निदेशकों को निदेशक मंडल एवं बोर्ड समितियों, जिनमें वह सदस्य है, की समस्त बैठकों में भाग लेने का प्रयास करना चाहिए।

अ बोर्ड की बैठक

स्वतंत्र निदेशकों, जो कि बैठक के समय बोर्ड में विद्यमान थे, की उपस्थिति की स्थिति को तालिका 3.3 में दर्शाया गया है।

57 राजस्थान भूतपूर्व सैनिक निगम लिमिटेड एवं उदयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड

तालिका 3.3: बोर्ड की बैठकों में स्वतंत्र निदेशकों की उपस्थिति

क्रम संख्या	राजकीय उपक्रम का नाम	बोर्ड की बैठकों की संख्या	आईडी की 100% उपस्थिति वाली बैठकों की संख्या
1.	राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड	3	3
2.	राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड	3	3
3.	राजस्थान राज्य बेवरेज निगम लिमिटेड	2	0
4.	राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड	3	1
5.	राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड	1	1
6.	राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड	4	2
7.	जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड	4	2
8.	उदयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड	1	1
9.	राजस्थान शहरी पेयजल सीवरेज एवं ढांचागत निगम लिमिटेड	2	1
10.	बाड़मेर लिग्नाईट खनन कम्पनी लिमिटेड (कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 149 के तहत राजकीय उपक्रम को आईडी नियुक्त किया जाना आवश्यक नहीं है।	1	1

स्रोत: राजकीय उपक्रमों से प्राप्त सूचना के आधार पर संकलित।

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि स्वतंत्र निदेशकों की 100 प्रतिशत उपस्थिति मात्र 63 प्रतिशत बोर्ड बैठकों में रही थी। साथ ही, राजस्थान राज्य बेवरेज निगम लिमिटेड के बोर्ड में नियुक्त स्वतंत्र निदेशकों ने बोर्ड बैठकों में उपस्थित नहीं होकर हितधारकों की ओर से उनको सौंपी गयी भूमिका को महत्व नहीं दिया था।

ब बोर्ड समितियों की बैठक

निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) समिति- लेखापरीक्षा ने उन कंपनियों में भी स्वतंत्र निदेशकों की उपस्थिति की समीक्षा की, जिनमें गठित सीएसआर समितियों की 2020-21 के दौरान बैठकें आयोजित की गई थीं एवं बैठक के समय स्वतंत्र निदेशक बोर्ड में विद्यमान थे। सीएसआर समिति में स्वतंत्र निदेशकों की उपस्थिति को तालिका 3.4 में दर्शाया गया है:

तालिका 3.4: सीएसआर समिति की बैठकों में आईडी की उपस्थिति

क्रम संख्या.	राजकीय उपक्रम का नाम	बैठक की दिनांक	बोर्ड में आईडी की संख्या	उपस्थित आईडी की संख्या
1.	राजस्थान राज्य बेवरेज निगम लिमिटेड	25.03.2021	2	0
2.	राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड	25.03.2021	2	1
3.	राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड	05.03.2021	2	1

स्रोत: राजकीय उपक्रमों से प्राप्त सूचना के आधार पर संकलित।

यह देखा जा सकता है कि राजस्थान राज्य बेवरेज निगम लिमिटेड में दोनों स्वतंत्र निदेशक सीएसआर समिति की बैठक में अनुपस्थित रहे जबकि दो राजकीय उपक्रमों (क्रम संख्या 2 एवं 3) में केवल एक स्वतंत्र निदेशक ने बैठक में भाग लिया था।

लेखापरीक्षा समिति- वित्तीय वर्ष 2020-21 में आयोजित लेखापरीक्षा समिति की बैठकों के दौरान बोर्ड में विद्यमान स्वतंत्र निदेशकों की उपस्थिति की स्थिति को **तालिका 3.5** में दर्शाया गया है:

तालिका 3.5: लेखापरीक्षा समिति में आईडी की उपस्थिति

क्रम संख्या	राजकीय उपक्रम का नाम	बैठक की दिनांक	बोर्ड में आईडी की संख्या	उपस्थित आईडी की संख्या
1.	राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड	29.06.2020	1	1
2.	राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड	29.06.2020	1	1
3.	राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड	23.10.2020	2	2
4.	जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड	08.10.2020	1	1
		02.11.2020	1	1
5.	उदयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड	09.09.2020	1	0
6.	राजस्थान शहरी पेयजल सीवरेज एवं ढांचागत निगम लिमिटेड	28.07.2020	2	2
		05.01.2021	2	2
7.	बाड़मेर लिग्नाईट स्वनन कम्पनी लिमिटेड	23.11.2020	3	3
8.	राजस्थान राज्य बेवरेज निगम लिमिटेड	23.10.2020	2	1
9.	राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड	17.09.2020	2	1
		04.12.2020	2	2

स्रोत: राजकीय उपक्रमों से प्राप्त सूचना के आधार पर संकलित।

स. साधारण सभा

अधिनियम, 2013 की अनुसूची IV (III) (5) में प्रावधान है कि स्वतंत्र निदेशक को कंपनी की समस्त साधारण सभाओं में भाग लेने का प्रयास करना चाहिए। लेखापरीक्षा ने पाया कि वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान आयोजित वार्षिक साधारण सभा (एजीएम) के आयोजन के समय 6 राजकीय उपक्रमों के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक विद्यमान थे। 2020-21 में आयोजित वार्षिक साधारण सभा (एजीएम), राजकीय उपक्रमों के बोर्ड में विद्यमान स्वतंत्र निदेशकों की संख्या एवं स्वतंत्र निदेशकों की संख्या जिन्होंने सभा में भाग लिया का विवरण **तालिका 3.6** में दर्शाया गया है:

तालिका 3.6: वार्षिक साधारण सभा में आईडी की उपस्थिति

क्रम संख्या.	राजकीय उपक्रम का नाम	एजीएम की दिनांक	बोर्ड में आईडी की संख्या	बैठक में उपस्थित आईडी की संख्या
1.	राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड	12.02.2021	2	1
2.	जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड	23.12.2020	1	0
3.	राजस्थान शहरी पेयजल सीवरेज एवं ढांचागत निगम लिमिटेड	23.03.2021	2	1
4.	राजस्थान राज्य बेवरेज निगम लिमिटेड	11.12.2020	2	1
5.	राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड	29.12.2020	2	1
6.	बाड़मेर लिग्नाईट खनन कम्पनी लिमिटेड	02.03.2021	3	1

स्रोत : राजकीय उपक्रमों से प्राप्त सूचना के आधार पर संकलित।

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक एजीएम में शामिल नहीं हुए जबकि शेष पांच राजकीय उपक्रमों (क्र.सं. 1, 3, 4, 5 एवं 6) में स्वतंत्र निदेशकों की भागिता कम रही। साथ ही, किसी भी राजकीय उपक्रम ने स्वतंत्र निदेशकों की पूर्ण उपस्थिति के साथ एजीएम आयोजित नहीं की थी।

स्वतंत्र निदेशकों की पृथक बैठक

3.11 अधिनियम 2013 की अनुसूची IV (VII) (1) के अनुसार, कंपनी के स्वतंत्र निदेशकों को गैर-स्वतंत्र निदेशकों एवं प्रबंधन के सदस्यों की उपस्थिति के बिना वित्तीय वर्ष में कम से कम एक बैठक आयोजित करना चाहिए। साथ ही, कंपनी के सभी स्वतंत्र निदेशकों को गैर-स्वतंत्र निदेशकों एवं सम्पूर्ण बोर्ड के कार्य-निष्पादन की समीक्षा हेतु ऐसी बैठक में उपस्थित होने का प्रयास करना चाहिए। कार्यकारी निदेशकों एवं गैर-कार्यकारी निदेशकों के विचारों को ध्यान में रखते हुए कंपनी के अध्यक्ष के कार्य निष्पादन की भी समीक्षा की जायेगी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि 2020-21 के दौरान 6 राजकीय उपक्रमों, जहाँ एक से अधिक स्वतंत्र निदेशक बोर्ड में विद्यमान थे, में से केवल एक राजकीय उपक्रम अर्थात् राजस्थान भूतपूर्व सैनिक निगम लिमिटेड के स्वतंत्र निदेशकों ने 31 मार्च 2021 को पृथक बैठक का आयोजन किया था, जबकि शेष 5 राजकीय उपक्रमों के स्वतंत्र निदेशकों ने 2020-21 के दौरान किसी पृथक बैठक का आयोजन नहीं किया था।

लेखापरीक्षा ने देखा कि पृथक बैठकों के अभाव में, 6 राजकीय उपक्रमों के बोर्ड में विद्यमान स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति, यथा गैर-स्वतंत्र निदेशकों, अध्यक्ष एवं सम्पूर्ण बोर्ड के कार्य निष्पादन की समीक्षा, का मुख्य उद्देश्य पूर्णतः विफल हो गया था। साथ ही, अनुसूची IV (VII) (3) (स) के अनुसार, बोर्ड को अपने कर्तव्यों का प्रभावी एवं यथोचित रूप से पालन करने के

लिये आवश्यक, कंपनी प्रबंधन एवं बोर्ड के मध्य सूचना के प्रवाह की गुणवत्ता, मात्रा एवं समयबद्धता भी सुनिश्चित नहीं की जा सकी।

मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों के पदों को भरना

3.12 अधिनियम 2013 की धारा 203(1) में प्रावधान है कि प्रत्येक ऐसी कम्पनी, जो कि कंपनी की निर्धारित श्रेणी या श्रेणियों से संबंधित है, में पूर्णकालिक मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी) अर्थात् (i) प्रबंध निदेशक अथवा मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) अथवा प्रबंधक एवं उनकी अनुपस्थिति में एक पूर्णकालिक निदेशक; (ii) कंपनी सचिव; एवं (iii) मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) होने चाहिए। साथ ही, कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति व पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 8 में यह प्रावधान है कि प्रत्येक सूचीबद्ध कंपनी एवं दस करोड़ अथवा उससे अधिक रूपये की प्रदत्त पूंजी वाली प्रत्येक अन्य सार्वजनिक कंपनी में पूर्णकालिक मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक होने चाहिए। अधिनियम, 2013 की धारा 203(4) में आगे यह प्रावधान है कि यदि किसी भी पूर्णकालिक मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक का पद रिक्त हो जाता है, तो संबंधित रिक्त को बोर्ड द्वारा ऐसी रिक्त की दिनांक से छह महीने की अवधि के अंदर बोर्ड की बैठक में भरा जायेगा।

लेखापरीक्षा ने पाया कि 24 राजकीय उपक्रमों, जैसा की अनुबंध 3.1 में दर्शाया गया है, की प्रदत्त पूंजी उनके नवीनतम अंतिम खातों के अनुसार ₹ 10 करोड़ अथवा अधिक थी। अतः इन कंपनियों को पूर्णकालिक केएमपी नियुक्त करने की आवश्यकता थी। इन 24 राजकीय उपक्रमों में से तालिका 3.7 में दर्शाये गए चार राजकीय उपक्रमों को छोड़कर 20 राजकीय उपक्रमों में पूर्णकालिक केएमपी नियुक्त किये गये थे।

तालिका 3.7: केएमपी की नियुक्ति की स्थिति

क्रम संख्या	राजकीय उपक्रम का नाम	केएमपी की स्थिति
1.	राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड	कंपनी सचिव का पद छह माह से अधिक समय से रिक्त था।
2.	राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड	
3.	राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	2020-21 के दौरान कंपनी सचिव का पद रिक्त था।
4	राजस्थान राज्य हाथकरघा विकास निगम लिमिटेड	2020-21 के दौरान पूर्णकालिक कंपनी सचिव की नियुक्ति नहीं की गयी थी।

स्रोत : राजकीय उपक्रमों से प्राप्त सूचना के आधार पर संकलित।

साथ ही, केएमपी की रिक्तियों को भरे जाने से संबंधित अभिलेखों की समीक्षा से प्रकट हुआ कि उपरोक्त तालिका में वर्णित राजकीय उपक्रमों के अलावा केएमपी रिक्तियां, जो 2020-21 के दौरान उत्पन्न हुई, को इस प्रकार की रिक्तियों की दिनांक से छः माह के भीतर भर दिया गया था।

निदेशक मंडल की बैठक

3.13 अधिनियम, 2013 की धारा 173 (1) के अनुसार, प्रत्येक कंपनी अपने समामेलन की तिथि से तीस दिनों के भीतर निदेशक मंडल (बीओडी) की प्रथम बैठक का आयोजन करेगी एवं इसके पश्चात, प्रत्येक वर्ष बीओडी की न्यूनतम चार बैठकें इस तरह से आयोजित की जायेगी कि बोर्ड की निरंतर दो बैठकों के मध्य एक सौ बीस दिन से अधिक का अंतराल न हो।

कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (24 मार्च 2020) ने बीओडी की बैठकों को आयोजित करने हेतु धारा 173 में दिये गये अंतराल में 60 दिनों का विस्तार एक मुश्त छूट के रूप में अगली दो तिमाहियों अर्थात् सितंबर 2020 तक प्रदान किया है।

प्रत्येक राजकीय उपक्रम द्वारा वर्ष 2020 के दौरान आयोजित बीओडी बैठकों की संख्या का विवरण **अनुबंध 3.1** में दिया गया है। यह देखा जा सकता है कि 41 राजकीय उपक्रमों में से 18⁵⁸ राजकीय उपक्रम वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान चार बीओडी बैठकों का आयोजन करने में विफल रहे थे, जबकि छह⁵⁹ राजकीय उपक्रमों ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान बीओडी की मात्र एक बैठक का आयोजन किया था। साथ ही, राजकीय उपक्रमों का विवरण, जिनमें बीओडी की दो बैठकों के मध्य समयान्तराल 120/180 दिनों की निर्धारित समय सीमा से अधिक था, को **तालिका 3.8** में दर्शाया गया है।

तालिका 3.8: बीओडी की निरंतर दो बैठकों के आयोजन करने में विलम्ब

क्रम	राजकीय उपक्रम का नाम	बैठक की दिनांक	अगली बैठक की दिनांक	अंतराल की अवधि (दिनों में)
1	राजस्थान राज्य हाथकरघा विकास निगम लिमिटेड	31.10.2019	13.10.2020	348
2	बाड़मेर लिगनाईट स्नन कम्पनी लिमिटेड	19.11.2019	28.10.2020	346
3	राजस्थान राज्य पेट्रोलियम निगम लिमिटेड	09.12.2019	08.06.2020	182
		08.06.2020	22.03.2021	256
4	राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड	09.12.2019	10.06.2020	183
5	राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड	18.06.2020	26.10.2020	130
6	राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड	10.12.2019	16.10.2020	311
7	जयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड	29.08.2019	22.01.2020	146
		22.01.2020	10.09.2020	232
8	अजमेर स्मार्ट सिटी लिमिटेड	11.11.2019	16.03.2020	127

58 क्रम संख्या. 9, 10, 11, 12, 14, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 27, 28, 31, 32, 39, 40 व 41।

59 क्रम संख्या. 10, 18, 25, 31, 39 व 40।

		22.07.2020	30.12.2020	161
9	कोटा स्मार्ट सिटी लिमिटेड	14.08.2019	02.09.2020	385
10	उदयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड	31.12.2019	29.09.2020	272
11	राजस्थान नागरिक उड्डयन निगम लिमिटेड	31.10.2019	05.08.2020	279
		05.08.2020	26.03.2021	233
12	राजस्थान शहरी पेयजल सीवरेज एवं ढांचागत निगम लिमिटेड	17.08.2019	29.01.2020	165
		29.01.2020	29.07.2020	182
		29.07.2020	15.01.2021	170
13	राजस्थान पुलिस आवास एवं निर्माण निगम लिमिटेड	19.12.2019	29.07.2020	222
		27.10.2020	07.06.2021	223
14	राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	25.06.2020	18.11.2020	146
15	राजस्थान राज्य होटल्स निगम लिमिटेड	25.06.2020	09.11.2020	137

स्रोत : राजकीय उपक्रमों से प्राप्त सूचना के आधार पर संकलित।

साथ ही, अधिनियम 2013 की धारा 173 (3) में प्रावधान है कि बोर्ड की बैठक बुलाने हेतु प्रत्येक निदेशक को कम से कम सात दिवस पूर्व लिखित में नोटिस कंपनी के पास उसके पंजीकृत पते पर भेजना चाहिए एवं ऐसे नोटिस की सुपुर्दगी व्यक्तिशः अथवा डाक द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों द्वारा भेजनी होगी। नोटिस एवं बैठकों के दिनांक की समीक्षा से उजागर हुआ कि निम्नलिखित 13 राजकीय उपक्रमों ने सात दिवस का नोटिस दिये बिना ही बीओडी की बैठकें आयोजित की थीं।

तालिका 3.9: कम अवधि के नोटिस द्वारा आहूत की गई बोर्ड बैठकों का विवरण

क्रम सं	राजकीय उपक्रम का नाम	नोटिस की तिथि	बोर्ड की बैठक की तिथि
1	गिरल लिग्नाइट ऊर्जा लिमिटेड	16.06.2020	19.06.2020
		12.10.2020	16.10.2020
		18.12.2020	22.12.2020
		24.12.2020	29.12.2020
2	धौलपुर गैस ऊर्जा लिमिटेड	16.06.2020	19.06.2020
		25.09.2020	29.09.2020
		24.12.2020	29.12.2020
3	छबड़ा ऊर्जा लिमिटेड	16.06.2020	19.06.2020
		25.09.2020	29.09.2020
		24.12.2020	29.12.2020
4	राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड	22.06.2020	25.06.2020
		21.10.2020	22.10.2020
		23.12.2020	24.12.2020
5	अजमेर स्मार्ट सिटी लिमिटेड	11.03.2020	16.03.2020

6	राजस्थान स्टेट गैस लिमिटेड	11.11.2020	12.11.2020
7	राजस्थान शहरी पेयजल सीवरेज एवं ढांचागत निगम लिमिटेड	27.01.2020	29.01.2020
		25.07.2020	29.07.2020
8	राजस्थान राज्य होटल्स निगम लिमिटेड	04.11.2020	09.11.2020
9	राजस्थान राज्य ऊर्जा वित्त एवं वित्तीय सेवा निगम लिमिटेड	11.12.2020	16.12.2020
10	अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	21.12.2020	24.12.2020
11	राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम लिमिटेड	03.02.2020	05.02.2020
12	राजस्थान भूतपूर्व सैनिक निगम लिमिटेड	08.06.2020	12.06.2020
13	राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम	02.12.2020	04.12.2020

स्रोत राजकीय उपक्रमों से प्राप्त सूचना के आधार पर संकलित।

लेखापरीक्षा समिति एवं बोर्ड की अन्य समितियां

लेखापरीक्षा समिति का गठन एवं संरचना

3.14 अधिनियम, 2013 की धारा 177(1) एवं कंपनी (बोर्ड की बैठक एवं इसकी शक्तियाँ) नियम, 2014 के नियम 6 के अनुसार प्रत्येक सूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी एवं समस्त सार्वजनिक कंपनियों, संयुक्त उद्यम कंपनियों एवं पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों के अतिरिक्त, जिनकी प्रदत्त पूंजी ₹ 10 करोड़ या उससे अधिक अथवा टर्नओवर ₹ 100 करोड़ या उससे अधिक अथवा बकाया ऋण या उधार या ऋणपत्र या जमा समग्र रूप से ₹ 50 करोड़ या उससे अधिक है, को लेखापरीक्षा समिति का गठन करना होगा।

लेखापरीक्षा ने पाया कि कुल 41 राजकीय उपक्रमों में से 26 राजकीय उपक्रमों, जैसा कि अनुबंध 3.1 में दर्शाया गया है, जिनके बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक थे, को लेखापरीक्षा समिति का गठन करना आवश्यक था। लेखापरीक्षा ने देखा कि राजस्थान राज्य हाथकरघा विकास निगम लिमिटेड एवं कोटा स्मार्ट सिटी लिमिटेड को छोड़कर समस्त राजकीय उपक्रमों में 31 मार्च 2021 को लेखापरीक्षा समिति गठित थीं।

लेखापरीक्षा समिति की संरचना

3.15 अधिनियम, 2013 की धारा 177(2) प्रावधान करती है कि लेखापरीक्षा समिति में न्यूनतम तीन निदेशक होने चाहिए जिनमें स्वतंत्र निदेशकों का बहुमत होगा। साथ ही, लेखापरीक्षा समिति में इसके अध्यक्ष सहित सदस्यों का बहुमत वित्तीय विवरण को पढ़ने एवं समझने की क्षमता वाले व्यक्तियों का होना चाहिए।

लेखापरीक्षा ने देखा कि दो राजकीय उपक्रमों (आरएसएचडीसीएल एवं केएससीएल) ने लेखापरीक्षा समिति का गठन नहीं किया था। शेष 24 राजकीय उपक्रमों में, जिनमें लेखापरीक्षा समिति गठित थीं, एक राजकीय उपक्रम यथा राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड को छोड़कर समस्त राजकीय उपक्रमों ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान

अपनी लेखापरीक्षा समिति में न्यूनतम तीन निदेशकों के मापदंड को पूर्ण किया था।

साथ ही, स्वतंत्र निदेशकों का बहुमत केवल पाँच⁶⁰ राजकीय उपक्रमों में पाया गया था जबकि शेष 19 राजकीय उपक्रमों (राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड सहित जिसकी लेखापरीक्षा समिति में पाँच निदेशक हैं परन्तु 2020-21 के दौरान कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं था) में स्वतंत्र निदेशक बहुमत में नहीं पाये गये थे।

लेखापरीक्षा समिति हेतु निर्देश-निबंधन

3.16 अधिनियम 2013 की धारा 177(4) में प्रावधान है कि प्रत्येक लेखापरीक्षा समिति बोर्ड द्वारा लिखित में विनिर्दिष्ट निर्देश-निबंधन (टीओआर) के अनुसार कार्य करेगी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि 24 राजकीय उपक्रमों (आरएसएचडीएल एवं केएससीएल को छोड़कर), जिनमें लेखापरीक्षा समिति का गठन किया था, में से मात्र 14 राजकीय उपक्रमों, जैसा कि तालिका 3.10 में दर्शाया गया है, में उनसे संबंधित बोर्ड द्वारा टीओआर का अनुमोदन किया गया था।

तालिका 3.10: राजकीय उपक्रम जहाँ लेखापरीक्षा समिति के निर्देश-निबंधन अनुमोदित हैं

क्रम सं	राजकीय उपक्रम का नाम
1.	अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
2.	जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
3.	जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड
4.	जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
5.	राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड
6.	राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम लिमिटेड
7.	राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड
8.	राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड
9.	राजस्थान राज्य ऊर्जा वित्त एवं वित्तीय सेवा निगम लिमिटेड
10.	राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड
11.	राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड
12.	राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड
13.	राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड
14.	राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड

स्रोत : राजकीय उपक्रमों से प्राप्त सूचना के आधार पर संकलित।

टीओआर की समीक्षा से उजागर हुआ कि इन सभी राजकीय उपक्रमों (राजकीय उपक्रम क्रम

60 राजस्थान राज्य ब्रेवरेज निगम लिमिटेड, राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड, राजस्थान शहरी पेयजल सीवरेज एवं ढांचागत निगम लिमिटेड, राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड एवं राजस्थान राज्य स्नान एवं स्नानिज लिमिटेड।

संख्या 8 एवं 10 को छोड़कर) ने धारा 177(4) में विनिर्दिष्ट समस्त बिंदुओं को सम्मिलित किया था।

राजकीय उपक्रमों जिनमें उनके संबंधित बोर्ड द्वारा लेखापरीक्षा समिति की टीओआर का अनुमोदन नहीं किया गया था, को तालिका 3.11 में दर्शाया गया है।

तालिका 3.11: राजकीय उपक्रम जिनमें लेखापरीक्षा समिति की टीओआर का अनुमोदन नहीं किया गया

क्रम सं.	राजकीय उपक्रम का नाम
1.	राजस्थान राज्य बेवरेज निगम लिमिटेड
2.	राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड
3.	राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड
4.	राजस्थान राज्य स्वाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड
5.	राजस्थान भूतपूर्व सैनिक निगम लिमिटेड
6.	राजस्थान राज्य स्वान एवं स्वनिज लिमिटेड
7.	राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड
8.	राजस्थान शहरी पेयजल सीवरेज एवं ढांचागत निगम लिमिटेड
9.	जयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड
10.	उदयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड

स्रोत: राजकीय उपक्रमों से प्राप्त सूचना के आधार पर संकलित।

लेखापरीक्षा समिति के कार्यकलापों की समीक्षा

3.17 अधिनियम, 2013 की धारा 177(4) में विनिर्दिष्ट निर्देश-निबंधन में अन्य बातों के साथ (i) लेखापरीक्षक की स्वतंत्रता की समीक्षा एवं निगरानी तथा लेखापरीक्षा प्रक्रिया का निष्पादन एवं प्रभावशीलता, (ii) वित्तीय विवरण एवं उन पर लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन की जांच, (iii) आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों एवं जोखिम प्रबंधन प्रणालियों का मूल्यांकन भी सम्मिलित है। साथ ही, अधिनियम, 2013 की धारा 177(5) प्रावधान करती है कि लेखापरीक्षा समिति बोर्ड के समक्ष प्रस्तुतीकरण से पूर्व लेखापरीक्षकों से आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों, लेखापरीक्षकों की आपत्तियों सहित लेखापरीक्षा का क्षेत्र एवं वित्तीय विवरणों की समीक्षा के संबंध में टिप्पणियां मांग सकती है तथा आंतरिक व सांविधिक लेखापरीक्षकों एवं कंपनी प्रबंधन के साथ किसी संबंधित मुद्दे पर चर्चा भी कर सकती है।

राजकीय उपक्रमों द्वारा आयोजित लेखापरीक्षा समिति की बैठकों का विवरण अनुबंध 3.1 में दिया गया है। वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान एक राजकीय उपक्रम यथा राजस्थान राज्य स्वान एवं स्वनिज लिमिटेड ने लेखापरीक्षा समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं की थी। यह आंकलन करने हेतु कि क्या गठित लेखापरीक्षा समितियों ने अनुमोदित टीओआर के अनुसार कार्य किया, 2020-21 के दौरान हुई लेखापरीक्षा समितियों की बैठकों के कार्यवृत्त का

विश्लेषण किया गया। था लेखापरीक्षा विश्लेषण में उजागर हुआ कि केवल पाँच⁶¹ राजकीय उपक्रमों की लेखापरीक्षा समितियों ने राजकीय उपक्रमों में विद्यमान आंतरिक नियंत्रण तंत्र का मूल्यांकन किया था, जबकि किसी भी राजकीय उपक्रमों की लेखापरीक्षा समिति ने लेखापरीक्षक की स्वतंत्रता एवं निष्पादन का मूल्यांकन नहीं किया था।

नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति

3.18 अधिनियम 2013 की धारा 178(1) एवं कंपनी (बोर्ड की बैठक एवं इसकी शक्तियाँ) नियम, 2014 के नियम 6 के अनुसार प्रत्येक सूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी एवं समस्त सार्वजनिक कंपनियों, संयुक्त उद्यम कंपनियों एवं पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों के अतिरिक्त, जिनकी प्रदत्त पूंजी ₹ 10 करोड़ या उससे अधिक अथवा टर्नओवर ₹ 100 करोड़ या उससे अधिक अथवा बकाया ऋण या उधार या ऋणपत्र या जमा समग्र रूप से ₹ 50 करोड़ या उससे अधिक है, को नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति (एनआरसी) का गठन करना होगा।

लेखापरीक्षा ने पाया कि 26 राजकीय उपक्रमों, जैसा कि अनुबंध 3.1 में दर्शाया गया है, को एनआरसी का गठन करना आवश्यक था। तथापि, 31 मार्च 2021 को निम्नलिखित दस राजकीय उपक्रमों ने एनआरसी का गठन नहीं किया था:

तालिका 3.12: राजकीय उपक्रमों जिन्होंने एनआरसी का गठन नहीं किया

क्रम सं	राजकीय उपक्रम का नाम
1.	राजस्थान राज्य हाथकरघा विकास निगम लिमिटेड
2.	राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड
3.	राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड
4.	राजस्थान राज्य स्वान एवं स्वनिज लिमिटेड
5.	राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड
6.	कोटा स्मार्ट सिटी लिमिटेड
7.	राजस्थान शहरी पेयजल सीवरेज एवं ढांचागत निगम लिमिटेड
8.	राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड
9.	राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड
10.	राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड

स्रोत : राजकीय उपक्रमों से प्राप्त सूचना के आधार पर संकलित।

अधिनियम 2013, में आगे यह प्रावधान है कि एनआरसी में तीन या उससे अधिक गैर-कार्यकारी निदेशक होने चाहिए, जिसमें कम से कम आधे स्वतंत्र निदेशक होने चाहिए। कंपनी के अध्यक्ष (कार्यकारी अथवा गैर कार्यकारी) को एनआरसी का सदस्य नियुक्त किया जा सकता

61 राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड, जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड, जयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड, राजस्थान राज्य ऊर्जा वित्त एवं वित्तीय सेवा निगम लिमिटेड, राजस्थान शहरी पेयजल सीवरेज एवं ढांचागत निगम लिमिटेड

है किन्तु वह इस समिति की अध्यक्षता नहीं करेगा।

16 राजकीय उपक्रमों में गठित एनआरसी के विश्लेषण से उजागर हुआ कि एनआरसी की संरचना (आरएसबीसीएल, आरएसजीएसएमएल तथा रेक्सको को छोड़कर) अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार नहीं थी, जैसा कि तालिका 3.13 में सार प्रस्तुत किया गया है:

तालिका 3.13: राजकीय उपक्रमों में 31 मार्च 2021 को एनआरसी की संरचना

क्रम संख्या	राजकीय उपक्रम का नाम	संरचना एवं टिप्पणियाँ
1.	जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	तीन गैर कार्यकारी सदस्य, किन्तु कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं।
2.	राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड	तीन गैर कार्यकारी सदस्य, किन्तु कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं।
3.	अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	तीन गैर कार्यकारी सदस्य, किन्तु कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं।
4.	जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड	एक स्वतंत्र निदेशक सहित तीन गैर-कार्यकारी सदस्य
5.	उदयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड	गैर-कार्यकारी सदस्यों की निर्धारित संख्या के बजाय तीन कार्यकारी एवं एक स्वतंत्र निदेशक। स्वतंत्र निदेशक के पास बहुमत नहीं था।
6.	राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड	तीन गैर कार्यकारी सदस्य, किन्तु कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं।
7.	राजस्थान राज्य बेवरेज निगम लिमिटेड	दो स्वतंत्र निदेशक सहित तीन गैर-कार्यकारी सदस्य
8.	राजस्थान राज्य ऊर्जा वित्त एवं वित्तीय सेवा निगम लिमिटेड	तीन गैर कार्यकारी सदस्य, किन्तु कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं।
9.	राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड	दो स्वतंत्र निदेशक सहित तीन गैर-कार्यकारी सदस्य।
10.	राजस्थान भूतपूर्व सैनिक निगम लिमिटेड	दो स्वतंत्र निदेशक सहित चार गैर-कार्यकारी सदस्य।
11.	राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड	चार गैर-कार्यकारी निदेशक एवं एक कार्यकारी निदेशक। कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं।
12.	राजस्थान राज्य स्वाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड	तीन गैर-कार्यकारी सदस्य एवं एक कार्यकारी सदस्य। कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं।
13.	जयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड	तीन गैर कार्यकारी सदस्य, किन्तु कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं।
14.	राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड	तीन गैर कार्यकारी सदस्य, किन्तु कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं।
15.	जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	तीन गैर कार्यकारी सदस्य, किन्तु कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं।
16.	राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड	तीन गैर कार्यकारी सदस्य, किन्तु कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं।

स्रोत: राजकीय उपक्रमों से प्राप्त सूचना के आधार पर संकलित।

लेखापरीक्षा ने देखा कि वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान राजकीय उपक्रमों ने एनआरसी का गठन करते समय कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों की अनुपालना नहीं की थी।

हितधारकों संबंधी समिति

3.19 अधिनियम 2013 की धारा 178 (5) में प्रावधान है कि एक कंपनी जिसमें किसी वित्तीय वर्ष के दौरान किसी समय पर एक हजार से अधिक शेयरधारक, डिबेंचर-धारक, निक्षेप-धारक एवं किसी अन्य प्रतिभूति धारक हो, का निदेशक मण्डल एक हितधारक संबंध समिति (एसआरसी) का गठन करेगा, जिसमें एक अध्यक्ष जोकि गैर कार्यकारी निदेशक होगा एवं बोर्ड द्वारा विनिश्चित अन्य सदस्य होंगे। साथ ही, अधिनियम 2013 की धारा 178 (6) में प्रावधान है कि एसआरसी कंपनी के प्रतिभूति धारकों की शिकायतों पर विचार करेगी एवं उनका समाधान करेगी।

लेखापरीक्षा ने देखा कि केवल एक राजकीय उपक्रम यथा राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड, जिसमें 4342 सदस्य थे, ने एसआरसी का गठन/पुनर्गठन (सितंबर 2015/मार्च 2021) किया था, तथापि, 2020-21 में एसआरसी की कोई बैठक आयोजित नहीं की गई थी क्योंकि इस अवधि के दौरान कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई थी।

व्हिसल ब्लोअर तंत्र (डबल्यूबीएम)

3.20 कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 177(9) सपठित कंपनी (बोर्ड की बैठक एवं इसकी शक्तियाँ) नियम 7 में प्रावधान है कि प्रत्येक सूचीबद्ध कंपनी; जनता से जमा स्वीकार करने वाली कंपनियों, बैंकों एवं सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं से ₹ 50 करोड़ से अधिक उधार लेने वाली कंपनियों को अनैतिक व्यवहार, संदिग्ध धोखाधड़ी या कंपनी की आचार संहिता या नैतिकता नीति के उल्लंघन के बारे में वास्तविक समुत्थानों एवं शिकायतों को प्रतिवेदित करने हेतु अपने निदेशकों एवं कर्मचारियों के लिए सचेतक तंत्र की स्थापना करनी होगी। यह ऐसे तंत्र का प्रयोग करने वाले व्यक्तियों के उत्पीड़न के खिलाफ पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करता है

लेखापरीक्षा ने देखा कि 2020-21 के दौरान 11⁶² राजकीय उपक्रमों, जिन्होंने ₹ 50 करोड़ अथवा अधिक का उधार लिया था, को व्हिसल ब्लोअर तंत्र (डबल्यूबीएम) की स्थापना करना आवश्यक था। तथापि, दो राजकीय उपक्रमों, जैसा कि तालिका 3.14 में दर्शाया गया है, ने व्हिसल ब्लोअर तंत्र की स्थापना नहीं की थी।

तालिका 3.14: व्हिसल ब्लोअर तंत्र का कार्यान्वयन

क्रम सं	राजकीय उपक्रम का नाम
1.	राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड
2.	गिरल लिग्नाइट ऊर्जा लिमिटेड

स्रोत राजकीय उपक्रमों से प्राप्त सूचना के आधार पर संकलित।

62 जैसा कि अनुबंध 3.1 के क्रम सं. 1 से 5, 15 से 17, 22, 37 एवं 40 पर वर्णित।

आंतरिक लेखापरीक्षा ढांचा

आंतरिक लेखापरीक्षा की भूमिका

3.21 आंतरिक लेखापरीक्षक संस्थान (आईआईए) ने आंतरिक लेखापरीक्षा को इस प्रकार परिभाषित किया है: “एक स्वतंत्र, वस्तुनिष्ठ आश्वासन एवं परामर्श गतिविधि जिसे मूल्य संवर्द्धन एवं संगठन के संचालन में सुधार हेतु रूपरेखित किया गया है। आंतरिक लेखापरीक्षा गतिविधि संगठन में जोखिम प्रबंधन, नियंत्रण एवं संचालन प्रक्रियाओं की प्रभावशीलता का मूल्यांकन एवं सुधार करने के लिए एक व्यवस्थित, अनुशासित दृष्टिकोण लाकर इसके उद्देश्यों को पूर्ण करने में सहायता करती है।” तदनुसार, आंतरिक लेखापरीक्षा की भूमिका यह स्वतंत्र आश्वासन प्रदान करना है कि संगठन का जोखिम प्रबंधन, अभिशासन एवं आंतरिक नियंत्रण प्रक्रियाएं प्रभावी ढंग से कार्य कर रही हैं।

आईसीएआई द्वारा निर्गमित आंतरिक लेखापरीक्षा को शासित करने वाला ढांचा आंतरिक लेखापरीक्षा को, अभिशासन को प्रोन्नत करने एवं संगठन के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु आंतरिक नियंत्रण एवं जोखिम प्रबंधन प्रक्रियाओं की प्रभावशीलता के संबंध में एक निष्पक्ष आश्वासन के रूप में परिभाषित करता है।

विधिक ढांचा

3.22 अधिनियम, 2013 की धारा 138 (1) सपठित कंपनी (लेखा) नियम, 2014 का नियम 13 प्रावधान करता है कि (अ) प्रत्येक सूचीबद्ध कंपनी, (ब) प्रत्येक गैर सूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी, जिसकी प्रदत्त अंशपूंजी ₹ 50 करोड़ या अधिक अथवा गत वित्तीय वर्ष के दौरान टर्नओवर ₹ दो सौ करोड़ या अधिक अथवा गत वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी समय बिन्दु पर बैंक या सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों से ₹ एक सौ करोड़ या अधिक का बकाया ऋण या उधारियाँ अथवा ₹ पच्चीस करोड़ से अधिक की बकाया जमा रही है, को कंपनी के कार्यों एवं गतिविधियों की आंतरिक लेखापरीक्षा करने के लिए आंतरिक लेखापरीक्षक की नियुक्ति करना आवश्यक होगा, जो कि या तो सनदी लेखाकार अथवा लागत लेखाकार हो सकता है अथवा ऐसा अन्य पेशेवर होगा जिसे बोर्ड द्वारा निश्चित किया जाये।

लेखापरीक्षा ने देखा कि 24 राजकीय उपक्रमों, जैसा कि अनुबंध 3.2 में दर्शाया गया है, को आंतरिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति करनी थी। इन 24 राजकीय उपक्रमों में से दो⁶³ राजकीय उपक्रमों ने वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु आंतरिक लेखापरीक्षक की नियुक्ति नहीं की थी। शेष

63 राजस्थान शहरी पेयजल सीवरेज एवं ढांचागत निगम लिमिटेड एवं राजस्थान राज्य सद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड

22 राजकीय उपक्रमों, जिनमें आंतरिक लेखापरीक्षकों नियुक्त किए गये थे, में से 15 राजकीय उपक्रमों में आंतरिक लेखापरीक्षा सनदी लेखाकार फर्मों द्वारा जबकि शेष सात राजकीय उपक्रमों में यह अन्य आंतरिक लेखापरीक्षकों द्वारा की गई थी। अन्य आंतरिक लेखापरीक्षकों द्वारा सम्पन्न की गई आंतरिक लेखापरीक्षा का विवरण तालिका 3.15 में दर्शाया गया है।

तालिका 3.15: राजकीय उपक्रम जिनमें आंतरिक लेखापरीक्षा अन्य आंतरिक लेखापरीक्षकों द्वारा की गयी

क्र सं.	राजकीय उपक्रम का नाम	आंतरिक लेखापरीक्षक
1.	राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड	58 इकाइयों में से, कंपनी के कर्मचारियों द्वारा 17 इकाइयों की व्यय लेखापरीक्षा की गयी थी।
2.	अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	राजकीय उपक्रम के आंतरिक लेखापरीक्षा प्रकोष्ठ द्वारा
3.	गिरल लिग्नाइट ऊर्जा लिमिटेड	राजकीय उपक्रम के आंतरिक लेखापरीक्षा प्रकोष्ठ द्वारा
4.	जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	राजकीय उपक्रम के आंतरिक लेखापरीक्षा प्रकोष्ठ द्वारा
5.	जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	राजकीय उपक्रम के आंतरिक लेखापरीक्षा प्रकोष्ठ द्वारा
6.	राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड	राजकीय उपक्रम के आंतरिक लेखापरीक्षा प्रकोष्ठ द्वारा
7.	जयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड	भारतीय लोक लेखापरीक्षक संस्थान

स्रोत : राजकीय उपक्रमों से प्राप्त सूचना के आधार पर संकलित।

आंतरिक लेखापरीक्षा की आवृत्ति एवं प्रतिवेदन

3.23 अधिनियम, 2013 की धारा 138 (2) में यह प्रावधान है कि केन्द्र सरकार, आंतरिक लेखापरीक्षा को आयोजित किए जाने एवं बोर्ड को प्रतिवेदित किए जाने के अंतराल एवं तरीके को नियमों द्वारा निर्धारित कर सकती है।

तथापि लेखापरीक्षा ने पाया कि अभी तक नियमों का निर्धारण नहीं किया गया है (मार्च 2021) अतः राजकीय उपक्रमों में आंतरिक लेखापरीक्षा त्रैमासिक, अर्द्ध-वार्षिक एवं वार्षिक आधार पर आयोजित की गई थी। साथ ही, केवल छह राजकीय उपक्रमों ने आंतरिक लेखापरीक्षा के निष्कर्षों को बोर्ड को प्रतिवेदित किया था जबकि शेष राजकीय उपक्रमों ने आंतरिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को लेखापरीक्षा समिति, निदेशक (वित्त) इत्यादि के स्तर तक ही प्रतिवेदित किया था, जैसा कि अनुबंध 3.2 में दर्शाया गया है।

निष्कर्ष

कुल 26 राजकीय उपक्रमों जिनमें स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की जानी थी, 18 राजकीय उपक्रमों ने स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति नहीं की थी जबकि दो राजकीय उपक्रमों में आवश्यक संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति नहीं की गयी थी। साथ ही, संपूर्ण वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान एक राजकीय उपक्रम में महिला निदेशक नहीं थी एवं दो राजकीय उपक्रमों ने पूर्व महिला निदेशकों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी नई महिला निदेशक की नियुक्ति नहीं की थी। दो राजकीय उपक्रमों ने 2020-21 के दौरान स्वतंत्र निदेशकों को नियुक्त किया, तथापि, दोनों राजकीय उपक्रमों द्वारा नियुक्ति पत्र जारी नहीं किए गए थे एवं एक राजकीय

उपक्रम ने साधारण सभा में अनुमोदन प्राप्त किए बिना स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया था। स्वतंत्र निदेशकों की 100 प्रतिशत उपस्थिति बोर्ड की 63 फीसदी बैठकों में ही थी। पांच राजकीय उपक्रम, जिनमें एक से अधिक स्वतंत्र निदेशक बोर्ड में थे, में स्वतंत्र निदेशकों की पृथक बैठक आयोजित नहीं की गई थी। चार राजकीय उपक्रमों में पूर्णकालीन मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक नहीं थे। 15 राजकीय उपक्रमों में बोर्ड की निरन्तर दो बैठकों में 127 दिवस एवं 385 दिवस के मध्य का सारभूत विलंब हुआ था। 19 राजकीय उपक्रमों की लेखापरीक्षा समिति में दो-तिहाई स्वतंत्र निदेशक नहीं थे। साथ ही, 19 राजकीय उपक्रमों की लेखापरीक्षा समिति ने आंतरिक नियंत्रण प्रबंधन प्रणाली का मूल्यांकन नहीं किया था। दस राजकीय उपक्रमों में नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति का गठन नहीं किया गया था, जबकि 13 राजकीय उपक्रमों में एनआरसी की संरचना अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार नहीं थी। दो राजकीय उपक्रमों में व्हिसल ब्लोअर तंत्र नहीं था। साथ ही, दो राजकीय उपक्रमों ने आंतरिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति नहीं की थी।

अनुशंसा

राजस्थान सरकार कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों की अनुपालना सुनिश्चित करे जिससे कि राजकीय उपक्रमों में निगमित प्रशासन के उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके।

अध्याय-IV

सरकारी कंपनियों में भारतीय लेखा मानकों
का कार्यान्वयन

अध्याय-IV

सरकारी कंपनियों में भारतीय लेखा मानकों का कार्यान्वयन

यह अध्याय सरकारी कंपनियों द्वारा भारतीय लेखा मानकों के कार्यान्वयन से संबंधित है। भारतीय लेखा मानकों को प्रथम बार अपनाए जाने से कर पश्चात लाभ (₹ 199.62 करोड़), राजस्व (₹ 94.99 करोड़), कुल परिसंपत्तियों (₹ 569.68 करोड़) एवं निवल मूल्य (₹ 434.64 करोड़) पर नकारात्मक संचयी प्रभाव पड़ा जैसा कि समीक्षा के लिए चयन की गई सरकारी कंपनियों के वित्तीय विवरणों में उजागर किया गया है।

परिचय

4.1 कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए), भारत सरकार (जीओआई) ने भारतीय आर्थिक एवं कानूनी वातावरण को ध्यान में रखते हुए तथा अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रतिवेदन मानकों (आईएफआरएस) को संदर्भित करते हुए कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 133 के अधीन कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के द्वारा भारतीय लेखा मानकों (इंड एस) को अधिसूचित किया (फरवरी 2015)। इंड एस का प्रारूप आईएफआरएस, जो कि सामान्यतः स्वीकृत भारतीय लेखा सिद्धांत (आईजीएपी) के ढांचे से मुख्य रूप से तीन पहलुओं अर्थात् उचित मूल्यांकन, कानूनी रूप से अधिक सत्त्व एवं तुलन-पत्र पर अधिक महत्व के आधार पर अलग थे, पर आधारित था।

एमसीए द्वारा इंड एस में, उनको आईएफआरएस के साथ अभिसरण में रखने के लिए, कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 में संशोधन के माध्यम से समय-समय पर संशोधन किए जाते हैं। 31 मार्च 2021 को 39 इंड एस प्रभावी थे। इंड एस नियमों के अधीन एमसीए, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित एवं 31 मार्च 2021 को प्रभावी इंड एस का विवरण **अनुबंध 4.1** में दिया गया है।

इंड-एस का कार्यान्वयन

4.2 इंड एस नियम, 2015 (31 मार्च 2021 तक संशोधित) ने इंड एस के चरणबद्ध तरीके से कार्यान्वयन हेतु मार्ग प्रशस्त किया। इन नियमों के नियम 4 में प्रावधान किया गया है कि कंपनियों एवं उनके लेखापरीक्षकों को क्रमशः अपने वित्तीय विवरणों को तैयार करने में एवं लेखापरीक्षा करने में इन नियमों में निर्दिष्ट इंड एस की अनुपालना करनी होगी।

इंड-एस के कार्यान्वयन हेतु विभिन्न चरण निम्न प्रकार हैं:

नियम 4 में प्रावधान किया गया है कि निम्नलिखित कंपनियां क्रमशः 1 अप्रैल 2016 से या उसके पश्चात शुरू होने वाले (चरण -1) एवं 1 अप्रैल 2017 से या उसके पश्चात शुरू होने वाले

(चरण -II) वित्तीय विवरणों के लिए इंड एएस का अनुपालन करेगी, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:



- कंपनियां जिनकी पूंजी या ऋण प्रतिभूतियाँ भारत में या भारत के बाहर किसी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हैं या सूचीबद्ध होने की प्रक्रिया में हैं एवं जिनकी निवल मूल्य 500 करोड़ रुपये या उससे अधिक है;
- उपरोक्त वर्णित कंपनियों के अलावा 500 करोड़ रुपये या उससे अधिक की निवल मूल्य संपत्ति वाली कंपनियां; एवं
- उपरोक्त वर्णित कंपनियों की धारक, सहायक, संयुक्त उद्यम या सहयोगी कंपनियां।



- कंपनियां जिनकी पूंजी या ऋण प्रतिभूतियाँ भारत में या भारत के बाहर किसी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हैं या सूचीबद्ध होने की प्रक्रिया में हैं एवं जिनकी निवल मूल्य 500 करोड़ रुपये से कम है;
- कंपनियां जो उपरोक्त वर्णित कंपनियों के अतिरिक्त हैं एवं जिनका निवल मूल्य 250 करोड़ रुपये या अधिक परन्तु 500 करोड़ रुपये से कम है; एवं
- उपरोक्त वर्णित कंपनियों की धारक, सहायक, संयुक्त उद्यम या सहयोगी कंपनियां।

नियम 4 में आगे प्रावधान है कि कोई कंपनी 31 मार्च 2015 को समाप्त अथवा उसके पश्चात की अवधि के लिए तुलनात्मक आंकड़ों के साथ 1 अप्रैल 2015 को या उसके पश्चात शुरू होने वाली अवधियों के लिए वित्तीय विवरणों को तैयार करने हेतु इंड-एएस का अनुपालन कर सकती है। तथापि, एक बार जब कोई कंपनी स्वेच्छा से या अनिवार्य रूप से इंड एएस के अनुसार प्रतिवेदन शुरू कर देती है, तो वह आईजीएपी पर वापस नहीं आ सकती है।

लेखा परीक्षा के उद्देश्य

4.3 लेखा परीक्षा का उद्देश्य राजकीय उपक्रमों में इंड-एएस के कार्यान्वयन का अध्ययन निम्न आंकलन करने के लिए था:

- इंड-एएस अपनाए जाते समय सरकारी कंपनियों द्वारा इंड-एएस के प्रावधानों की अनुपालना; एवं
- सरकारी कंपनियों के वित्तीय विवरणों में इंड-एएस के कार्यान्वयन का प्रभाव।

लेखापरीक्षा का क्षेत्र

4.4 31 मार्च 2021 को, सीएजी के लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र में 42 सरकारी कंपनियां (सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य चार कंपनियों सहित) थीं। इन 42 सरकारी कंपनियों में से 15 सरकारी

कंपनियों, जिनके द्वारा चरण-I/ चरण-II (स्वैच्छिक रूप से अपनाए जाने सहित) में इंड एएस को अपनाया जाना अपेक्षित था, का संक्षिप्त विवरण नीचे तालिका में दिया गया है:

इंड-एएस को अपनाने वाले राजकीय उपक्रमों की संख्या	लेखापरीक्षा हेतु लिए गये राजकीय उपक्रमों की संख्या	टिप्पणियां
चरण-I (2016-17)		
चार सरकारी कंपनियों एवं आठ सहायक कंपनियों	चार सरकारी कंपनियों एवं तीन सहायक कंपनियों	चार सहायक कंपनियों ने 31 मार्च 2021 तक वाणिज्यिक गतिविधियां शुरू नहीं की थी जबकि एक राजकीय उपक्रम ने 2016-17 से अपनी वाणिज्यिक गतिविधि बंद कर दी थी।
चरण-II (2017-18)		
दो सरकारी कंपनियों	दो सरकारी कंपनियों	-
स्वैच्छिक रूप से अपनाया (2019-20)		
एक सरकारी कंपनी ने स्वेच्छा से वित्तीय वर्ष 2019-20 से इंड-एएस को अपनाया।	दायरे में	-

इस प्रकार, इन 15 सरकारी कंपनियों में से, दस सरकारी कंपनियों के एकल वित्तीय विवरणों को, उन अवधियों के लिए जिसमें इन सरकारी कंपनियों ने इंड-एएस को अपनाया था, समीक्षा हेतु अध्ययन में शामिल किया गया। लेखापरीक्षा में समीक्षा की गई सरकारी कंपनियों की सूची अनुबंध-4.2 में दी गई है।

लेखापरीक्षा कार्यविधि

4.5 चरण-I (2016-17) एवं चरण-II (2017-18) में इंड एएस को अपनाने वाली सरकारी कंपनियों के साथ-साथ वर्ष 2019-20 में प्रथम बार स्वेच्छा से इंड एएस को अपनाने वाली सरकारी कंपनी के इंड एएस अपनाये जाने वाले वर्ष के एकल वित्तीय विवरणों की समीक्षा लेखापरीक्षा में की गई।

इंड-एएस 101 (इंड एएस का प्रथम बार अंगीकरण) के अनुसार, वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन एवं रोकड़ प्रवाह पर आईजीएपी से इंड-एएस में पारगमन के प्रभाव को वित्तीय विवरणों में प्रकट किया जाना था। यह प्रभाव पारगमन तिथि को वित्तीय विवरण के संबंधित तत्व के मूल्य में उसी तिथि को आईजीएपी के अनुसार उसी संबंधित तत्व के मूल्य की तुलना में वृद्धि या कमी के रूप

में प्रस्तुत किया जाता है।

इंड-एएस के विभिन्न प्रावधानों की अनुपालना एवं सरकारी कंपनियों के राजस्व, कर पश्चात लाभ (पीएटी), निवल मूल्य एवं कुल परिसंपत्तियों पर इंड एएस के कार्यान्वयन के प्रभाव का प्रकटन, जैसा कि उनके वित्तीय विवरणों में दर्शाया गया है, का विश्लेषण, इंड-एएस अपनाए जाने के परिणामस्वरूप राजस्व की पहचान, वित्तीय प्रपत्रों एवं संपत्ति, संयंत्र व उपकरण (पीपीई) के मूल्यांकन तथा कर्मचारी लाभों की गणना में हुए परिवर्तनों के संदर्भ में किया गया था।

प्रथम बार इंड-एएस को अपनाए जाने की समीक्षा

4.6 इंड एएस 101 (प्रथम बार इंड-एएस का अंगीकरण) कंपनी द्वारा प्रथम बार इंड-एएस को अपनाए जाते समय अनुसरण की जाने वाली आवश्यक प्रक्रिया को निर्धारित करता है। इंड एएस को प्रथम बार अपनाने वाली कंपनी के वित्तीय परिणामों में, आईजीएपी के अनुसार इसकी पूँजी एवं शुद्ध लाभ/हानि का इंड एएस के अनुसार पूँजी एवं शुद्ध लाभ/हानि का समाशोधन सम्मिलित है। समाशोधन हितधारकों को गत आईजीएपी से इंड एएस में पारगमन के कारण तुलन-पत्र तथा लाभ एवं हानि विवरण में महत्वपूर्ण समायोजनों को समझने में सक्षम करने वाला होना चाहिए।

इंड एएस 101 का अंतर्निहित सिद्धांत यह है कि प्रथम बार अपनाने वाला भी वित्तीय विवरणों को इस प्रकार तैयार करे जैसे कि उसने सदैव इंड एएस लागू किए हों। तथापि, इसमें इंड एएस के पूर्ण पूर्वव्यापी कार्यान्वयन के सिद्धांत में दो प्रकार की छूट की अनुमति दी है। यह रियायतें अनिवार्य छूट एवं स्वैच्छिक छूट हैं।

1. अनिवार्य छूट

इंड-एएस 101 अन्य इंड एएस के कुछ विशिष्ट पहलुओं यथा इंड एएस 10 (प्रतिवेदन अवधि के बाद की घटनाएं), इंड एएस 109 (वित्तीय प्रपत्र) एवं इंड एएस 110 (समेकित वित्तीय विवरण) को पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू किए जाने को प्रतिबंधित करता है।

2. वैकल्पिक छूट

इंड-एएस 101 अन्य इंड-एएस की विशिष्ट आवश्यकताओं से छूट प्रदान करता है। वैकल्पिक छूट आईजीएपी से इंड एएस अनुवर्ती वित्तीय विवरणों के पारगमन की तिथि से लागू होती है। पारगमन की तिथि सबसे शुरुआती अवधि, जिसके लिए एक कंपनी अपने प्रथम इंड-एएस अनुवर्ती वित्तीय विवरणों में इंड-एएस के अधीन पूर्ण तुलनात्मक जानकारी प्रस्तुत करती है, के प्रारंभ होने की तिथि है। इसलिए, विश्लेषण में राजकीय उपक्रमों हेतु पारगमन की तिथि चरण-I एवं चरण-II के लिए क्रमशः 1 अप्रैल 2015 एवं 1 अप्रैल 2016 है जबकि राजकीय उपक्रम, जिसने स्वेच्छा से 2019-20 से इंड एएस अपनाये थे, के लिए यह 1 अप्रैल 2018 है।

लेखापरीक्षा ने देखा कि 15 सरकारी कंपनियों, जिन्हें स्वेच्छापूरण अपनाए जाने सहित चरण I/II

में इंड एएस को अपनाना आवश्यक था, में से निम्नलिखित सरकारी कंपनियों ने अपने वित्तीय विवरणों को तैयार किए जाने में इंड एएस को अपनाते समय इंड एएस 101 के अधीन उपलब्ध वैकल्पिक छूट को प्राप्त किया:

तालिका 4.1: सरकारी कंपनियां जिन्होंने वैकल्पिक छूट प्राप्त की

क्रम संख्या	इंड एएस वैकल्पिक छूट	सरकारी कंपनियां जिन्होंने वैकल्पिक छूट प्राप्त की (संख्या में)
1.	<p>इंड एएस 16- संपत्ति, संयंत्र व उपकरण (पीपीई), इंड एएस 38- अमूर्त संपत्ति एवं इंड एएस 40- निवेश संपत्ति:</p> <p>इंड एएस प्रथम बार अपनाने वाले को इसकी परिसंपत्तियों यथा पीपीई, अमूर्त परिसंपत्तियों एवं निवेश संपत्ति को इंड एएस में पारगमन की तिथि को इनके उचित मूल्य पर मापन करने तथा उस उचित मूल्य को उस तिथि पर इसकी मानी हुई लागत के रूप में प्रयोग करने अथवा विस्थापन दायित्वों हेतु आवश्यक समायोजन करने के पश्चात इनके आईजीएएपी के वहनीय मूल्य पर मापना जारी रखने का विकल्प चुनने की अनुमति देता है।</p>	14
2.	<p>इंड एएस 27- पृथक वित्तीय विवरण:</p> <p>इंड एएस 27 के अनुसार एक इकाई को अपनी सहायक कंपनियों, संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाईयों एवं सहयोगी इकाईयों में अपने निवेश को लागत पर या इंड एएस 109 (वित्तीय प्रपत्रों) के अनुसार लेखांकन करना होगा।</p>	02
3.	<p>इंड एएस 109- वित्तीय प्रपत्र:</p> <p>इंड एएस 109 के अनुसार, एक कंपनी द्वारा एक वित्तीय संपत्ति को, इंड एएस में पारगमन की तिथि को विद्यमान तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर, लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर (एफवीटीपीएल) अथवा अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर (एफवीओसीआई) मापा हुआ दर्शाया जा सकता है।</p>	06
4.	<p>इंड एएस 17- पट्टे:</p> <p>इंड एएस, जहां महत्वपूर्ण प्रभाव अपेक्षित नहीं हो के अतिरिक्त, प्रथम बार लागू करने वाले को पारगमन की तिथि को विद्यमान तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर पारगमन तिथि को विद्यमान व्यवस्था में पट्टे का मूल्यांकन करने की अनुमति देता है।</p>	02

स्रोत: राजकीय उपक्रमों से प्राप्त सूचना।

सरकारी कंपनियों द्वारा प्राप्त विभिन्न छूटों/विकल्पों का विवरण अनुबंध 4.2 में दिए गया है।

इंड-एस के कार्यान्वयन का चयनित प्रमुख क्षेत्रों पर प्रभाव

4.7 इंड एस का कार्यान्वयन कर पश्चात लाभ (पीएटी), राजस्व, कुल परिसंपत्तियों एवं निवल मूल्य के मूल्यांकन को प्रभावित कर सकता है। इंड एस को अपनाए जाते समय सरकारी कंपनियों द्वारा चयन किये गए विकल्पों के आधार पर मूल्यों में वृद्धि या कमी हो सकती है। इंड एस को प्रथम बार अपनाए जाते समय, समीक्षा के लिए चयनित सरकारी कंपनियों ने अपने वित्तीय विवरणों में इंड एस के अनुसार पूँजी एवं शुद्ध लाभ/हानि का आईजीएपी के अनुसार उनकी पूँजी एवं शुद्ध लाभ/हानि के समाशोधन को प्रकट किया। इंड एस के विभिन्न प्रावधानों की अनुपालना की समीक्षा एवं समीक्षा हेतु चयनित दस सरकारी कंपनियों के पीएटी, राजस्व, कुल परिसंपत्तियों तथा निवल मूल्य पर इसके कार्यान्वयन के प्रभाव की चर्चा अनुच्छेद 4.8 से 4.15 में की गई है।

कर पश्चात लाभ (पीएटी) पर प्रभाव

4.8 कर पश्चात लाभ (पीएटी) पर इंड एस को अपनाए जाने के प्रभाव का विश्लेषण किया गया। यह प्रभाव चरण-I की सात सरकारी कंपनियों में 1 अप्रैल 2016 से, चरण-II की दो सरकारी कंपनियों में 1 अप्रैल 2017 से एवं 2019-20 में स्वेच्छा से इंड एस को अपनाने वाली एक सरकारी कंपनी में 1 अप्रैल 2019 से प्रारंभ होने वाली लेखा अवधि के लिए है।

इन दस सरकारी कंपनियों में पीएटी पर इंड एस को अपनाने का प्रभाव निम्न प्रकार है:

तालिका 4.2: कर पश्चात लाभ पर प्रभाव

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	सरकारी कंपनी का नाम	पीएटी पर प्रभाव		शुद्ध प्रभाव (+)/(-)
		कमी (-)	वृद्धि (+)	
चरण-I (2016-17)				
1	बीएलएमसीएल	-10.37	3.76	-6.61
2	आरआरवीपीएनएल	-74.69	258.17	183.48
3	आरआरवीयूएनएल	-412.42	104.28	-308.14
4	आरएसएमएमएल	-22.40	0.00	-22.40
5	रीको	-108.28	71.50	-36.78
6	जीएलपीएल	-16.58	16.29	-0.29
7	आरएसजीएल	-0.31	0.13	-0.18

चरण-II (2017-18)				
8	आरएसजीएसएमएल	-6.57	3.26	-3.31
9	जेएमआरसी	-1.97	2.80	0.83
स्वैच्छा से इंड एस को अपनाना (2019-20)				
10	केएससीएल	-9.33	3.11	-6.22
शुद्ध संचयी प्रभाव				-199.62

इंड एस को अपनाए जाने के कारण, कर पश्चात लाभ में अधिकतम शुद्ध वृद्धि आरआरवीपीएनएल में देखी गई जबकि कर पश्चात लाभ में अधिकतम शुद्ध कमी आरआरवीयूएनएल में देखी गई।

कर पश्चात लाभ में वृद्धि/कमी में योगदान देने वाले कारक

4.9 इंड एस को अपनाए जाने के परिणामस्वरूप राजस्व, व्यय, परिसंपत्तियों एवं दायित्वों की विभिन्न मदों के मूल्यांकन में परिवर्तन किसी कंपनी के पीएटी को सारभूत रूप से प्रभावित कर सकता है। इंड एस को अपनाए जाने के परिणामस्वरूप चयनित सरकारी कंपनियों (दो सरकारी कंपनियों⁶⁴ के अतिरिक्त) के पीएटी में वृद्धि/कमी निम्नलिखित कारणों से हुई:

आस्थगित करों की पहचान के कारण लाभ में वृद्धि/कमी

4.9.1 इंड एस 12 (आयकर) तुलन पत्र में परिसंपत्ति या दायित्व की वहन राशि एवं उसके कर आधार के बीच अस्थायी अंतर के लेखांकन पर ध्यान केंद्रित करता है जबकि आईजीएपी के अधीन आस्थगित कर लेखांकन उक्त अवधि के लिए कर योग्य लाभ तथा लेखांकन लाभ के बीच अंतर पर ध्यान केंद्रित करता है।

लेखापरीक्षा ने देखा कि इंड एस के अनुसार आस्थगित कर की पहचान के कारण:

- रीको ने अपने लाभ में ₹ 20.40 करोड़ की वृद्धि दर्ज की; एवं
- आरएसजीएसएमएल तथा जेएमआरसी ने अपने लाभों में क्रमशः ₹ 3.26 करोड़ तथा ₹ 0.05 करोड़ की वृद्धि दर्ज की।

निवेश को उचित मूल्य पर मापने के कारण वृद्धि/कमी

4.9.2 इंड-एस के अंतर्गत सभी निवेश को उचित मूल्य पर मापा जाता है। आईजीएपी के अंतर्गत, वर्तमान निवेश को लागत अथवा तुलन पत्र तिथि को व्यक्तिगत निवेश के आधार पर निर्धारित लागत में से जो कम हो पर दर्ज किया जाता है। साथ ही, दीर्घकालिक निवेशों को मूल्य

64 बीएलएमसीएल एवं आरएसएसएमएल ने यद्यपि लाभ एवं हानि खाता हेतु समाशोधन विवरण-पत्र तैयार किए परन्तु पीएटी में वृद्धि/कमी में योगदान देने वाले कारकों को प्रकट नहीं किया था।

में स्थायी कमी को घटाते हुए शुद्ध लागत पर दर्ज किया जाता है। इसलिए, इंड एएस को अपनाए जाने पर, निवेश में उचित मूल्य में परिणामी परिवर्तन को लाभ या हानि के माध्यम से मान्यता दी जाती है।

लेखापरीक्षा ने देखा कि इंड-एएस 113 के अनुसरण में लाभ तथा हानि के माध्यम से निवेश की उचित मूल्य पर माप के कारण, रीको ने अपने लाभ में ₹ 4.45 करोड़ की वृद्धि दर्ज की।

नियोजन-पश्चात लाभों के पेटे दायित्वों के मूल्यांकन में परिवर्तन के कारण वृद्धि/कमी

4.9.3 आईजीएएपी के अंतर्गत बीमांकिक लाभ/हानि सहित संपूर्ण लागत वर्ष के लाभ या हानि का हिस्सा बनते हैं जबकि इंड एएस 19 के अंतर्गत ऐसे मापों को अन्य व्यापक आय के अंतर्गत पहचाना जाता है।

लेखापरीक्षा ने देखा कि इंड-एएस के अंतर्गत नियोजन-पश्चात लाभों के पेटे दायित्वों के मूल्यांकन में परिवर्तन के कारण:

- i. आरआरवीपीएनएल, आरआरवीयूएनएल एवं रीको ने अपने लाभों में क्रमशः ₹ 173.31 करोड़, ₹ 51.02 करोड़ एवं ₹ 1.44 करोड़ की वृद्धि दर्ज की; तथा
- ii. आरएसजीएसएमएल एवं जेएमआरसी ने अपने लाभों में क्रमशः ₹ 2.23 करोड़ एवं ₹ 1.94 करोड़ की कमी दर्ज की।

संपत्ति, संयंत्र व उपकरण के पुर्जों के पूंजीकरण के कारण वृद्धि/कमी

4.9.4 इंड एएस 16 के अंतर्गत, मुख्य निरीक्षण/जाँच सहित पीपीई की परिभाषा में आने वाले पुर्जों को पृथक रूप से पूंजीकृत एवं मूल्यहासित किया जाता है। आईजीएएपी के अंतर्गत पुर्जों की माल के रूप में पहचान की जाती है जबकि उनकी मुख्य निरीक्षण लागत को आस्थगित राजस्व व्यय के रूप में पहचाना जाता है एवं इसे भविष्य के आर्थिक लाभों के आधार पर लाभ या हानि पर भारित किया जाता है।

लेखापरीक्षा ने देखा कि इंड एएस के अनुसार पुर्जों के मूल्यांकन की विधि को अपनाए जाने के कारण:

- i. आरआरवीपीएनएल, आरआरवीयूएनएल एवं जीएलपीएल ने अपने लाभों में क्रमशः ₹ 3.51 करोड़, ₹ 47.45 करोड़ एवं ₹ 0.14 करोड़ की वृद्धि दर्ज की; तथा
- ii. आरआरवीयूएनएल एवं जीएलपीएल ने अपने लाभों में क्रमशः ₹ 15.12 करोड़ एवं ₹ 0.49 करोड़ की कमी दर्ज की। यह कमी मुख्य निरीक्षणों पर मूल्यहास भारित करने एवं पुर्जों के परिशोधन के कारण थी।

वित्तीय संपत्तियों एवं वित्तीय दायित्वों के मूल्यांकन में परिवर्तन के कारण वृद्धि/कमी

4.9.5 वित्तीय संपत्ति एक ऐसी संपत्ति है जिसमें एक कंपनी को नकदी प्राप्त करने का

संविदात्मक अधिकार है जबकि वित्तीय दायित्व वह हैं जिनमें एक कंपनी के पास नकदी सुपुर्द करने के लिए संविदात्मक दायित्व है।

इंड एएस के प्रकरण में, वित्तीय संपत्तियों एवं वित्तीय दायित्वों को परिशोधित लागत या उचित मूल्य पर दर्ज किया जाता है जबकि आईजीएएपी के तहत, इन्हें लागत पर दर्ज किया जाता है। लेखापरीक्षा ने देखा कि इंड एएस के तहत वित्तीय संपत्तियों एवं वित्तीय दायित्वों के मूल्यांकन की नई पद्धति को अपनाने के कारण:

- i. जेएमआरसी ने अपने लाभों में ₹ 0.005 करोड़ की वृद्धि दर्ज की; और
- ii. आरआरवीयूएनएल एवं जीएलपीएल ने अपने लाभों में क्रमशः ₹ 68.02 करोड़ एवं ₹ 0.05 करोड़ की कमी दर्ज की। आरआरवीयूएनएल के लाभों में कमी वित्तीय संपत्तियों के हास (₹ 66.21 करोड़) एवं वित्तीय संपत्तियों के परिशोधन (₹ 1.81 करोड़) के कारण हुई थी।

वित्त लीज के मूल्यांकन में परिवर्तन के कारण कमी

4.9.6 आईजीएएपी के अंतर्गत, वित्त लीज को लीज के समय किए गए अग्रिम भुगतान पर पूंजीकृत किया जाता है जबकि इंड एएस 17 के अंतर्गत, इस तरह की लीज को वर्तमान मूल्य पर पूंजीकृत किया जाता है।

लेखापरीक्षा ने देखा कि इंड एएस के अंतर्गत वित्त लीज के मूल्यांकन की नई पद्धति अपनाने के कारण आरआरवीपीएनएल ने अपने लाभों में ₹ 0.78 करोड़ की कमी दर्ज की।

अन्य कारणों से वृद्धि/कमी

4.9.7 लेखापरीक्षा ने देखा कि पांच सरकारी कंपनियों ने अन्य कारणों से लाभ में वृद्धि दर्ज की, जैसा कि नीचे वर्णित है:

- i. रीको ने इंड एएस के अनुसार एनपीए पर उपार्जित ब्याज के समायोजन एवं संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान के कारण अपने लाभ में क्रमशः ₹ 9.91 करोड़ एवं ₹ 7.18 करोड़ की वृद्धि दर्ज की। साथ ही, रीको ने इंड एएस के अनुसार पूर्व अवधि की मदों के समायोजन के कारण अपने लाभ में ₹ 5.25 करोड़ की वृद्धि दर्ज की।
- ii. जेएमआरसी ने इंड एएस के अनुसार पूर्व अवधि की मदों के समायोजन एवं मूल्यहास के कारण अपने लाभ में क्रमशः ₹ 2.53 करोड़ एवं ₹ 0.18 करोड़ की वृद्धि दर्ज की।
- iii. जीएलपीएल ने इंड एएस के अनुसार पूर्व अवधि की मदों के समायोजन के कारण अपने लाभ में ₹ 0.11 करोड़ की वृद्धि दर्ज की।

- iv. केएससीएल ने इंड एस को अपनाने पर प्रावधानों में समायोजन के कारण अपने लाभ में ₹ 3.12 करोड़ की वृद्धि दर्ज की।
- v. आरएसजीएल ने पूर्व अवधि समायोजन के पुनः कथन एवं समता पूँजी अंशों की लेनदेन लागत पलटने के कारण अपने लाभ में क्रमशः ₹ 0.11 करोड़ एवं ₹ 0.02 करोड़ की वृद्धि दर्ज की।

लेखापरीक्षा ने आगे देखा कि छः सरकारी कंपनियों ने अन्य कारणों से लाभ में कमी दर्ज की, जैसा कि नीचे वर्णित है:

- i. रीको ने इंड एस में पारगमन पर हानि परिसंपत्तियों को वसूली योग्य राशि के वर्तमान मूल्य पर पुनः कथन करने एवं राजस्व पहचान में परिवर्तन के कारण अपने लाभ में क्रमशः ₹ 4.43 करोड़ एवं ₹ 79.05 करोड़ की कमी दर्ज की। साथ ही, रीको ने इंड एस के अनुसार पूर्व अवधि की मदों के समायोजन के कारण अपने लाभ में ₹ 0.09 करोड़ की कमी दर्ज की।
- ii. आरएसजीएसएमएल के अपने लाभ में ₹ 4.35 करोड़ की कमी दर्ज की। लाभ में कमी इंड एस के अनुसार असाधारण मदों के समायोजन (₹ 4.23 करोड़) एवं अधिमान लाभांश को ब्याज लागत के रूप दर्ज करने (₹ 0.12 करोड़) के कारण हुई थी।
- iii. आरआरवीयूएनएल ने इंड एस के अनुसार पूर्व अवधि की मदों के समायोजन के कारण अपने लाभ में ₹ 323.47 करोड़ की कमी दर्ज की।
- iv. केएससीएल ने इंड एस के अनुसार ब्याज के उलटाव के कारण अपने लाभ में ₹ 9.33 करोड़ रुपये की कमी दर्ज की।
- v. आरएसजीएल ने पूर्व अवधि मदों के उलटाव एवं लीज अवधि में भावी प्रभाव से लीजहोल्ड भूमि पर मूल्यहास की पहचान करने के कारण अपने लाभ में क्रमशः ₹ 0.26 करोड़ एवं ₹ 0.05 करोड़ की कमी दर्ज की।

परिचालनों से राजस्व पर प्रभाव

4.10 इंड एस 18 (राजस्व) के अंतर्गत, राजस्व आर्थिक लाभों का सकल प्रवाह है जो एक इकाई की सामान्य गतिविधियों के दौरान उत्पन्न होता है जिसके परिणामस्वरूप निवल मूल्य प्रतिभागियों के योगदान से संबंधित वृद्धि के अलावा अन्य निवल मूल्य में वृद्धि होती है। आईजीएपी (एस 9 - राजस्व पहचान) के अनुसार, राजस्व किसी इकाई की सामान्य गतिविधियों के दौरान उत्पन्न होने वाली नकदी, प्राप्य या अन्य आय, जो कि माल के विक्रय से, सेवाओं के प्रतिपादन से एवं इकाई संसाधनों का अन्य लोगों द्वारा उपयोग किए जाने से प्राप्त ब्याज, रॉयल्टी तथा लाभांश से होती है, का सकल प्रवाह है।

लेखापरीक्षा ने देखा कि लेखापरीक्षा में समीक्षा हेतु चयनित दस सरकारी कंपनियों में से चार सरकारी कंपनियों ने इंड एएस को अपनाए जाने के परिणामस्वरूप राजस्व में समायोजन किया। इनमें से एक सरकारी कंपनी (रीको) ने राजस्व में उल्लेखनीय कमी (₹ 103.21 करोड़) दर्ज की जबकि तीन सरकारी कंपनियों ने राजस्व में ₹ 8.22 करोड़ की वृद्धि दर्ज की जिसके परिणामस्वरूप ₹ 94.99 करोड़ का शुद्ध संचयी नकारात्मक प्रभाव पड़ा।

परिचालनों से राजस्व में वृद्धि/कमी हेतु उत्तरदायी कारक

4.11 इंड एएस को अपनाए जाने का परिचालनों से राजस्व पर कंपनी वार प्रभाव निम्नानुसार है:

- i. रीको ने राजस्व पहचान हेतु लेखांकन नीति में बदलाव, उपभोक्ताओं एवं ठेकेदारों से प्रतिभूति जमा के साथ-साथ कर्मचारियों को ऋण को उचित मूल्य पर मानने इत्यादि के कारण राजस्व में ₹ 103.21 करोड़ की कमी दर्ज की।
- ii. आरएसएमएमएल ने अपने लेनदेन मूल्य के बजाय उचित मूल्य पर राजस्व की पहचान के कारण राजस्व में ₹ 3.21 करोड़ की वृद्धि दर्ज की।
- iii. आरआरवीपीएनएल ने पूर्व अवधि की त्रुटियों के समायोजन/सुधार के कारण राजस्व में ₹ 3.19 करोड़ की वृद्धि दर्ज की।
- iv. आरएसजीएसएमएल ने इंड एएस के अनुसार राजस्व पहचान की पद्धति में बदलाव के कारण राजस्व में ₹ 1.82 करोड़ की वृद्धि दर्ज की।

कुल परिसंपत्तियों के मूल्य पर प्रभाव

4.12 इंड एएस 16 {संपत्ति, संयंत्र व उपकरण (पीपीई)}, इंड एएस 38 {अमूर्त परिसंपत्तियां}, इंड एएस 32 {वित्तीय प्रपत्र: प्रस्तुतिकरण}, इंड एएस 109 {वित्तीय प्रपत्र} एवं इंड एएस 40 {निवेश संपत्ति} के संबंध में आईजीएएपी की तुलना में इंड एएस के कार्यान्वयन हेतु निर्धारित लेखांकन विधियों में अंतर के कारण कुल परिसंपत्तियों का मूल्य प्रभावित होता है। इंड एएस 101 {प्रथम बार इंड एएस का अंगीकरण} इसे अपनाने वाले को उसके सभी पीपीई, अमूर्त परिसंपत्तियों एवं निवेश संपत्ति के वहनीय मूल्य, जैसा कि इंड एएस में पारगमन तिथि को आईजीएएपी के अनुसार वित्तीय विवरणों में मापा गया था, को विस्थापन दायित्वों में आवश्यक समायोजन करने के पश्चात जारी रखने की अनुमति देता है।

चयनित सरकारी कंपनियों में कुल परिसंपत्तियों के मूल्य पर इंड एएस को अपनाए जाने का कंपनी वार प्रभाव निम्नानुसार है:

तालिका 4.3: कुल परिसंपत्तियों के मूल्य पर प्रभाव

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	सरकारी कंपनी का नाम	कुल परिसंपत्तियों पर प्रभाव		
		कमी (-)	वृद्धि (+)	शुद्ध प्रभाव (+)/(-)
चरण-I				
1	बीएलएमसीएल	-1.71	100.62	98.91
2	आरआरवीपीएनएल	-64.49	6.07	-58.42
3	आरआरवीयूएनएल	-867.18	386.87	-480.31
4	आरएसएमएमएल	-2.67	22.01	19.34
5	रीको	-296.63	143.07	-153.56
6	जीएलपीएल	-2.37	6.90	4.53
7	आरएसजीएल	आरएसजीएल ने इंड एस के आधार पर तैयार किए गये वित्तीय विवरणों में अपनी कुल परिसंपत्तियों पर इंड एस को अपनाए जाने के प्रभाव को प्रकट नहीं किया था।		
चरण-II				
8	आरएसजीएसएमएल	आरएसजीएसएमएल ने इंड एस के आधार पर तैयार किए गये वित्तीय विवरणों में अपनी कुल परिसंपत्तियों पर इंड एस को अपनाए जाने के प्रभाव को प्रकट नहीं किया था।		
9	जेएमआरसी	-	2.63	2.63
स्वैच्छिक अपनाना				
10	केएससीएल	-2.80	-	-2.80
शुद्ध संचयी प्रभाव				-569.68

कुल परिसंपत्तियों के मूल्य में ₹ 98.91 करोड़ की अधिकतम समग्र वृद्धि बीएलएमसीएल के प्रकरण में पायी गई थी जबकि कुल परिसंपत्तियों के मूल्य में ₹ 480.31 करोड़ की अधिकतम समग्र कमी आरआरवीयूएनएल के मामले में पायी गई थी।

कुल परिसंपत्तियों के मूल्य में वृद्धि/कमी हेतु उत्तरदायी कारक

4.13 लेखापरीक्षा विश्लेषण में कुल परिसंपत्तियों के मूल्य में वृद्धि/कमी हेतु निम्नलिखित कारण प्रकट हुए:

पीपीई की पहचान हेतु नीति में बदलाव के कारण वृद्धि/कमी

4.13.1 इंड एस के अनुसार, ऐसे स्पेयर पार्ट्स, जो पीपीई की परिभाषा को पूर्ण करते हो, के मूल्य को भंडार सामग्री के बजाय पीपीई के रूप में माना जाना चाहिए।

लेखापरीक्षा ने देखा कि इंड एस को अपनाए जाने एवं इंड एस 16 के अनुसार स्पेयर पार्ट्स

को पीपीई के रूप में मानने के कारण:

- i. आरआरवीयूएनएल, जीएलपीएल एवं आरएसएमएमएल ने अपनी कुल परिसंपत्तियों के मूल्य में क्रमशः ₹ 234.38 करोड़, ₹ 6.88 करोड़ एवं ₹ 0.32 करोड़ की वृद्धि दर्ज की; तथा
- ii. आरआरवीपीएनएल ने अपनी कुल परिसंपत्तियों के मूल्य में ₹ 9.69 करोड़ की कमी दर्ज की।

निवेश की उचित मूल्य पर पहचान के कारण वृद्धि/कमी

4.13.2 आईजीएपी के तहत, निवेश को लागत पर पहचाना जाता है जबकि इंड एस के अनुसार इसे उचित मूल्य पर पहचाना जाता है।

लेखापरीक्षा ने देखा कि इंड एस को अपनाए जाने के कारण:

- i. आरएसएमएमएल एवं आरआरवीपीएनएल ने निवेश के मूल्य में क्रमशः ₹ 1.51 करोड़ एवं ₹ 0.01 करोड़ की वृद्धि दर्ज की; तथा
- ii. रीको ने निवेश के मूल्य में ₹ 28.55 करोड़ की कमी दर्ज की।

अमूर्त परिसंपत्तियों की पहचान के कारण वृद्धि/कमी

4.13.3 इंड एस के अनुसार, अमूर्त परिसंपत्तियों को परिशोधित किया जाता है जबकि आईजीएपी के तहत, अमूर्त परिसंपत्तियों को लागत पर पहचाना जाता है।

लेखापरीक्षा ने देखा कि इंड एस को अपनाए जाने के कारण बीएलएमसीएल एवं आरआरवीयूएनएल ने अमूर्त संपत्ति के परिशोधन पर क्रमशः ₹ 98.91 करोड़ एवं ₹ 91.67 करोड़ की वृद्धि दर्ज की

वित्तीय परिसंपत्तियों में परिवर्तन के कारण वृद्धि/कमी

4.13.4 वित्तीय परिसंपत्तियों में परिवर्तन निम्नानुसार था:

- i. आरआरवीयूएनएल ने पुनर्वर्गीकरण के कारण नकद व नकद समकक्ष में ₹ 58.85 करोड़, ऋणों में ₹ 116.34 करोड़ एवं अन्य चालू परिसंपत्तियों में ₹ 217.57 करोड़ रुपये की कमी दर्ज की। इसने चालू वित्तीय परिसंपत्तियों (नकद व नकद समकक्ष को छोड़कर) में ₹ 52.16 करोड़ एवं गैर-चालू वित्तीय परिसंपत्तियों में ₹ 8.66 करोड़ रुपये की वृद्धि दर्ज की।
- ii. रीको ने अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों के परिशोधन के कारण ₹ 28.56 करोड़ की वृद्धि दर्ज की।

अन्य कारण

4.13.5 कुल परिसंपत्तियों के मूल्य में परिवर्तन के अन्य कारण निम्नानुसार थे:

- i. आरआरवीपीएनएल ने व्यापार प्राप्य में पूर्व अवधि की मदों के समायोजन के कारण ₹ 5.98 करोड़ की वृद्धि दर्ज की। साथ ही, इसने 'पूंजीगत कार्य प्रगति पर', अन्य चालू परिसंपत्तियों एवं वर्तमान कर परिसंपत्तियों (शुद्ध) में समायोजन के कारण क्रमशः ₹ 15.94 करोड़ रुपये, ₹ 19.91 करोड़ रुपये और ₹ 18.95 करोड़ रुपये की कमी दर्ज की गई।
- ii. रीको ने भंडार सामग्री में (i) राजस्व पहचान की नीति में बदलाव, जहां इसने विकास के उचित स्तर पर राजस्व को पहचानना शुरू किया, को अपनाने पर एवं (ii) स्कंध, अंश तथा प्रतिभूति का भंडार सामग्री (₹ 66.60 करोड़) के बजाय अन्य चालू निवेशों के अधीन पुनर्वर्गीकरण करने, से बदलाव; सहायक कंपनियों में निवेश (₹ 45.05 करोड़) का इंड एस के अनुसार तुलन पत्र में पृथक लाइन मद के रूप में पुनर्वर्गीकरण; चालू परिसंपत्तियों के अधीन निवेश का पुनर्वर्गीकरण (₹ 2.23 करोड़); अन्य चालू परिसंपत्तियों का परिशोधन (₹ 0.20 करोड़); के कारण ₹ 114.08 करोड़ की वृद्धि दर्ज की। रीको ने परिशोधित लागत पर अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियों में समायोजन के कारण परिसंपत्तियों के मूल्य में ₹ 0.42 करोड़ की भी वृद्धि दर्ज की। साथ ही, रीको ने प्रभावी ब्याज दर पद्धति का उपयोग कर ऋण का परिशोधन वर्तमान मूल्य पर (₹ 35.44 करोड़), राजस्व पहचान हेतु नीति में बदलाव से व्यापार प्राप्तियों में परिवर्तन (चालू: ₹ 219.89 करोड़ एवं गैर-चालू: ₹ 7.35 करोड़) तथा वर्तमान कर आस्तियों (₹ 5.39 करोड़) के कारण ₹ 268.07 करोड़ की कमी दर्ज की।
- iii. जीएलपीएल ने व्यापार प्राप्य में ₹ 0.02 करोड़ की वृद्धि एवं भंडार सामग्री तथा अन्य चालू परिसंपत्तियों में ₹ 2.37 करोड़ रुपये की कमी दर्ज की।
- iv. जेएमआरसी ने ऋण के वहनीय मूल्य पर ब्याज घटक को उधार लागत के रूप में मानने के कारण 'पूंजीगत कार्य प्रगति पर' में ₹ 2.31 करोड़ की वृद्धि दर्ज की। इसने विगत अवधियों के दौरान गलत रूप से भारित किए गए मूल्यहास के सही वर्गीकरण के कारण भी पीपीई के मूल्य में ₹ 0.33 करोड़ रुपये की वृद्धि दर्ज की गई।
- v. आरआरवीयूएनएल ने 'पूंजीगत कार्य प्रगति पर' में समायोजन, अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियों में समायोजन, अन्य चालू परिसंपत्तियों में बदलाव एवं भंडार सामग्री में बदलाव के कारण ₹ 380.84 करोड़, ₹ 39.87 करोड़, ₹ 17.34 करोड़ एवं ₹ 36.37 करोड़ की कमी दर्ज की।
- vi. आरएसएमएमएल ने भंडार सामग्री (₹ 2.59 करोड़) एवं अन्य चालू परिसंपत्तियों (₹ 0.08 करोड़) में कमी के कारण ₹ 2.67 करोड़ की कमी दर्ज की। साथ ही, इसने

पारगमन तिथि को अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियों में समायोजन के कारण ₹ 20.18 करोड़ रुपये की वृद्धि दर्ज की।

- vii. केएससीएल ने शुद्ध आयकर देयता में जमा अग्रिम कर के समायोजन के कारण ₹ 2.80 करोड़ की कमी दर्ज की।

निवल मूल्य पर इंड एस के कार्यान्वयन का प्रभाव

4.14 निवल मूल्य कंपनी की परिसंपत्तियों एवं दायित्वों के मूल्य के मध्य का अंतर होता है। निवल मूल्य की गणना प्रदत्त समता पूँजी, मुक्त आरक्षित निधियों एवं प्रतिभूति प्रीमियम स्वाते के एकीकृत मूल्य में से संचित हानियों, आस्थगित व्यय एवं अपलिखित नहीं किए गये विविध व्यय के एकीकृत मूल्य को घटाकर की जाती है। मुक्त आरक्षित निधियों में परिसंपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन, मूल्यहास का पुनरांकन एवं समामेलन से निर्मित आरक्षित निधि सम्मिलित नहीं होती है।

इंड एस को अपनाए जाने पर इंड एस में पारगमन तिथि को एक प्रारंभिक तुलन पत्र तैयार करना अनिवार्य है। लेखांकन नीतियाँ, जो एक उपक्रम अपने प्रारंभिक इंड एस तुलन पत्र में उपयोग करती हैं, उन नीतियों से भिन्न हो सकती हैं जिनका उपयोग उसने उसी तिथि हेतु आईजीएपी का उपयोग करके किया था। इंड एस में पारगमन तिथि (यथा चरण-I के लिए 1 अप्रैल 2016, चरण-II के लिए 1 अप्रैल 2017 एवं एक सरकारी कंपनी द्वारा इंड एस को स्वैच्छा से अपनाने के लिए 1 अप्रैल 2019) को प्रारंभ होने वाली लेखांकन अवधियों के लिए निवल मूल्य पर इंड एस को अपनाए जाने का क्रमशः 31 मार्च 2015, 31 मार्च 2016 एवं 31 मार्च 2018 को समाप्त अवधि के लिए तुलनात्मक प्रभाव निम्न प्रकार है:

तालिका 4.4: निवल मूल्य पर प्रभाव

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	सरकारी कंपनी का नाम	निवल मूल्य पर प्रभाव		
		कमी (-)	वृद्धि (+)	शुद्ध प्रभाव (+)/(-)
चरण-I				
1	बीएलएमसीएल	-44.70	14.42	-30.28
2	आरआरवीपीएनएल	-27.97	3.52	-24.45
3	आरआरवीयूएनएल	-368.31	58.15	-310.16
4	आरएसएमएमएल	-78.64	121.71	43.07
5	रीको	-151.74	101.33	-50.41
6	जीएलपीएल	-1.74	5.01	3.27
7	आरएसजीएल	-0.33	0.13	-0.20
चरण-II				

8	आरएसजीएसएमएल	-5.69	6.62	0.93
9	जेएमआरसी	-3.43	0.38	-3.05
स्वैच्छिक अपनाना				
10	केएससीएल	-63.36	0.00	-63.36
शुद्ध संचयी प्रभाव				-434.64

निवल मूल्य में ₹ 43.07 करोड़ की अधिकतम समग्र वृद्धि आरएसएमएमएल में पायी गई थी जबकि निवल मूल्य में ₹ 310.16 करोड़ रुपये की अधिकतम समग्र कमी आरआरवीयूएनएल के प्रकरण में पायी गई थी।

निवल मूल्य में वृद्धि/कमी हेतु उत्तरदायी कारक

4.15 लेखापरीक्षा में समीक्षा हेतु चयनित दस सरकारी कंपनियों में से तीन सरकारी कंपनियों ने निवल मूल्य में वृद्धि दर्ज की जबकि सात सरकारी कंपनियों ने निवल मूल्य में कमी दर्ज की। लेखापरीक्षा विश्लेषण में इंड-एस को अपनाए जाने पर तीन सरकारी कंपनियों के निवल मूल्य में वृद्धि हेतु निम्नलिखित कारण उजागर हुए:

- इंड एस को अपनाए जाने के कारण आरएसएसएमएल के निवल मूल्य में ₹ 43.07 करोड़ की शुद्ध वृद्धि दर्ज की। इसमें प्रस्तावित लाभांश⁶⁵ को रद्द करने, स्वान समापन दायित्व को उलटने, प्रारंभिक पूर्व अवधि प्रभाव, इंड एस 19 के अनुसार ग्रेच्युटी पर बीमांकिक लाभ, निवेश पर उचित मूल्यांकन लाभ एवं पीपीई की पहचान करने के कारण क्रमशः ₹ 93.34 करोड़, ₹ 12.71 करोड़, ₹ 11.60 करोड़, ₹ 2.11 करोड़, ₹ 1.51 करोड़ एवं ₹ 0.44 करोड़ की वृद्धि सम्मिलित थी। इसमें गत वर्ष के लाभांश के भुगतान, गत वर्ष के लिए लाभ व हानि में अंतर का समायोजन, प्रगतिशील खनन समापन प्रभारों हेतु प्रावधान, कलपुर्जों का पूर्ण मूल्यहास, स्वान समापन दायित्व पर परिशोधन, आस्थगित कर देयता का प्रभाव एवं कलपुर्जों का पूंजीकरण करने के कारण क्रमशः ₹ 46.67 करोड़, ₹ 22.40 करोड़, ₹ 3.81 करोड़, ₹ 2.86 करोड़, ₹ 2.34 करोड़, ₹ 0.49 करोड़ एवं ₹ 0.07 करोड़ की कमी भी सम्मिलित थी।

65 आईजीएपी के अंतर्गत, अंशधारको के अनुमोदन को ध्यान में रखे बिना प्रस्तावित लाभांश को उस अवधि, जिससे वह संबंधित है, के दौरान दायित्व के रूप में माना जाता है। इंड एस के अंतर्गत, लाभांश को उस अवधि में दायित्व के रूप में माना जाता है जिसके दौरान इसको घोषित (साधारण सभा में अंशधारकों के अनुमोदन पर) अथवा भुगतान किया गया हो।

- ii. इंड एएस को अपनाए जाने के कारण जीएलपीएल के निवल मूल्य में ₹ 3.27 करोड़ की शुद्ध वृद्धि दर्ज की गई। इसमें पूर्व अवधि मदों का समायोजन, इंड एएस 16 के अनुसार पीपीई में कलपुर्जों का पूंजीकरण एवं परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियों/दायित्वों की पहचान करने के कारण क्रमशः ₹ 4.86 करोड़, ₹ 0.14 करोड़ एवं ₹ 0.01 करोड़ की वृद्धि सम्मिलित थी। इसमें पूंजीगत कलपुर्जों पर मूल्यहास भारित किए जाने के कारण ₹ 1.74 करोड़ की कमी भी सम्मिलित थी।
- iii. इंड एएस को अपनाए जाने के कारण आरएसजीएसएमएल के निवल मूल्य में ₹ 0.93 करोड़ की शुद्ध वृद्धि दर्ज की गई। इसमें इंड एएस 19 के अनुसार कर्मचारी लाभ में पूर्वव्यापी समायोजन के कारण ₹ 6.62 करोड़ की वृद्धि सम्मिलित थी। इसमें समाशोधन करने पर अन्य लाभ में परिवर्तन एवं इंड एएस 12 के अनुसार आस्थगित करों के समायोजन के कारण क्रमशः ₹ 3.20 करोड़ एवं ₹ 2.49 करोड़ की कमी भी सम्मिलित थी।

लेखापरीक्षा के आगे के विश्लेषण में इंड एएस को अपनाए जाने पर तीन सरकारी कंपनियों के निवल मूल्य में कमी हेतु निम्नलिखित कारण उजागर हुए:

- i. इंड-एएस को अपनाए जाने के कारण आरआरवीयूएनएल के निवल मूल्य में ₹ 310.16 करोड़ की शुद्ध कमी दर्ज की गई। इसमें वित्तीय परिसंपत्तियों की क्षति एवं इंड एएस 16 के अनुसार कलपुर्जों एवं मुख्य निरीक्षण हेतु मूल्यहास के समायोजन के कारण क्रमशः ₹ 331.40 करोड़ एवं ₹ 36.91 करोड़ की कमी सम्मिलित थी। इसमें कलपुर्जों का पीपीई में पूंजीकरण, इंड एएस 16 के अनुसार पीपीई में मुख्य निरीक्षणों का पूंजीकरण, इंड एएस 109 के अनुसार वित्तीय परिसंपत्तियों/देनदारियों का परिशोधन एवं पूर्व अवधि समायोजन के कारण क्रमशः ₹ 35.01 करोड़, ₹ 20.59 करोड़, ₹ 2.35 करोड़ एवं ₹ 0.20 करोड़ की वृद्धि भी सम्मिलित है।
- ii. इंड एएस को अपनाए जाने के कारण बीएलएमसीएल के निवल मूल्य में ₹ 30.28 करोड़ की शुद्ध कमी दर्ज की गई। इसमें खान समापन प्रभारों के समायोजन एवं उधारियों पर लेन-देन लागत के परिशोधन के कारण क्रमशः ₹ 44.57 करोड़ एवं ₹ 0.13 करोड़ की कमी सम्मिलित थी। इसमें इंड एएस-12 के अनुसार आस्थगित करों की पहचान के कारण ₹ 14.42 करोड़ की वृद्धि भी सम्मिलित थी।
- iii. इंड एएस को अपनाए जाने के कारण आरआरवीपीएनएल के निवल मूल्य में ₹ 24.45 करोड़ की शुद्ध कमी दर्ज की गई। इसमें इंड एएस-8 के अनुसार पूर्व अवधि समायोजन एवं वर्तमान मूल्य पर लीजहोल्ड भूमि के पूंजीकरण के कारण क्रमशः ₹ 25.82 करोड़

एवं ₹ 2.15 करोड़ की कमी सम्मिलित थी। इसमें इंड एएस-16 के अनुसार कलपुर्जों का पीपीई में पूंजीकरण एवं इंड एएस 113 के अनुसार परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियों की पहचान के कारण ₹ 3.52 करोड़ की वृद्धि भी सम्मिलित थी।

- iv. इंड एएस को अपनाए जाने के कारण रीको के निवल मूल्य में ₹ 50.41 करोड़ की शुद्ध कमी दर्ज की गई। इसमें राजस्व पहचान⁶⁶ हेतु लेखांकन नीति में परिवर्तन, संदिग्ध ऋणों व अग्रिमों हेतु प्रावधानों के समायोजन एवं इंड एएस 19 के अनुसार परिभाषित लाभ योजना के मूल्यांकन में परिवर्तन के कारण क्रमशः ₹ 123.83 करोड़, ₹ 27.01 करोड़ एवं ₹ 0.90 करोड़ की कमी सम्मिलित थी। इसमें हानि परिसंपत्तियों का वर्तमान मूल्य पर वर्गीकरण, एनपीए पर उपार्जित ब्याज का परिशोधन, पूर्व अवधि मदों का समायोजन, लाभांश वितरण कर की वर्ष के दायित्व के रूप में पहचान, आस्थगित कर की पहचान में बदलाव एवं इंड एएस 109 के अनुसार सहायक/सहयोगी/संयुक्त उद्यमों में निवेश का उचित मूल्यांकन के कारण क्रमशः ₹ 4.43 करोड़, ₹ 18.54 करोड़, ₹ 1.10 करोड़, ₹21.02 करोड़, ₹39.72 करोड़ एवं ₹16.51 करोड़ की वृद्धि भी सम्मिलित थी।
- v. इंड एएस को अपनाए जाने के कारण जेएमआरसी के निवल मूल्य में ₹ 3.05 करोड़ की शुद्ध कमी दर्ज की गई। इसमें इंड एएस 19 (₹ 3.40 करोड़) के अनुसार कर्मचारी लाभ व्यय के समायोजन एवं इंड एएस 109 (₹ 0.03 करोड़) के अनुसार प्रतिभूति जमा की कटौती के कारण हुई कमी सम्मिलित थी। इसमें इंड एएस 109 के अनुसार मूल्यहास के समायोजन एवं आस्थगित राजस्व आय (देय प्रतिभूति जमा) की कटौती के कारण क्रमशः ₹ 0.33 एवं ₹ 0.05 करोड़ की वृद्धि भी सम्मिलित थी।
- vi. इंड एएस को अपनाए जाने के कारण केएससीएल के निवल मूल्य में ₹ 63.36 करोड़ की कमी दर्ज की गई। इसमें पूंजीगत आरक्षित निधि की शेष राशि को परियोजना व्यय हेतु सरकारी अनुदान निधि में हस्तांतरण (₹ 40.92 करोड़) एवं शुद्ध समायोजन (₹ 22.44 करोड़) के कारण कमी सम्मिलित थी।

निष्कर्ष

इंड एएस को अपनाए जाने के परिणामस्वरूप वित्तीय प्रतिवेदन ढांचे में बदलाव, ऐतिहासिक लागत पर मूल्यांकन की तुलना में उचित मूल्यांकन के उपयोग में बढ़ोत्तरी एवं कानूनी रूप की

66 आईजीएएपी के अंतर्गत, भूमि के आंवटन से राजस्व की पहचान परियोजना चरण की पूर्णता को ध्यान में रखे बिना की जाती थी जबकि इंड एएस के अंतर्गत इसकी पहचान तभी की जाती है जब परियोजना पूर्ण होने के उचित स्तर पर पहुँच जाती है।

तुलना में सार पर अधिक ध्यान केंद्रित किया गया। चयनित 10 सरकारी कंपनियों के लेखापरीक्षा विश्लेषण ने इंगित किया कि इंड एएस को अपनाए जाने का कर पश्चात लाभ (₹ 199.62 करोड़), राजस्व (₹ 94.99 करोड़), कुल परिसंपत्तियों (₹ 569.68 करोड़) एवं निवल मूल्य (₹ 434.64 करोड़) पर नकारात्मक संचयी प्रभाव पड़ा, जैसा कि इन सरकारी कंपनियों के वित्तीय विवरणों में दर्शाया गया था। इंड एएस को अपनाए जाने के संचयी प्रभाव में दो सरकारी कंपनियों (आरएसजीएल एवं आरएसजीएसएमएल) की कुल परिसंपत्तियों पर प्रभाव शामिल नहीं था क्योंकि इन कंपनियों ने अपने इंड एएस अनुपालन वित्तीय विवरणों में प्रभाव का ब्यौरा नहीं दिया था।

किए गए प्रमुख परिवर्तन परिसंपत्तियों/देनदारियों का ऐतिहासिक लागत मूल्यांकन के स्थान पर उचित मूल्यांकन, राजस्व पहचान की पद्धति में बदलाव, आस्थगित कर का लेखांकन, वित्तीय परिसंपत्तियों की क्षति, पूर्व अवधि की मदों का समायोजन, अमूर्त परिसंपत्ति का परिशोधन, 'पूँजीगत कार्य प्रगति पर' में समायोजन, प्रस्तावित लाभांश को रद्द करने एवं कलपुर्जों व मुख्य निरीक्षण के लिए मूल्यहास के समायोजन से संबंधित थे। राजकीय उपक्रमों के वित्तीय विवरणों में प्रकट किए गए परिवर्तनों को संबंधित राजकीय उपक्रम के निष्पादन एवं वित्तीय स्थिति का आंकलन करते समय उचित ध्यान दिया जाना चाहिए।

जयपुर
दिनांक 9 नवम्बर 2022

अर्चना गुर्जर
(अर्चना गुर्जर)
महालेखाकार
(लेखापरीक्षा-II), राजस्थान

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक 14 नवम्बर 2022


(गिरीश चंद्र मुर्मू)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

अनुबन्ध

अनुबंध -1.1

(पृष्ठ संख्या 3 पर अनुच्छेद संख्या 1.4 एवं पृष्ठ संख्या 17 पर 1.22 में संदर्भित)

राजकीय उपक्रमों के नवीनतम लेखों, जिनको 30 नवंबर 2021 को अन्तिम रूप दिया जा चुका था, के अनुसार संक्षिप्त वित्तीय स्थिति एवं कार्यकारी परिणाम

(₹ करोड़ में)

क्र. सं	राजकीय उपक्रम का नाम एवं प्रकार	नवीनतम अंतिम रूप दिये गये लेखों की अवधि	वर्ष जिसमें लेखों को अंतिम रूप दिया गया	ब्याज एवं कर से पूर्व शुद्ध लाभ/हानि (-)	शुद्ध लाभ/हानि (-)	टर्न ओवर	प्रदत्त पूँजी	नियोजित पूँजी	निवल मूल्य ⁶⁷	संचित लाभ / हानि(-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ए	ऊर्जा एवं पाँवर									
	सरकारी कंपनियाँ									
1	अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	2020-21	2021-22	2441.27	175.73	14721.73	10571.89	-2545.41	-17482.87	-28054.76
2	जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	2020-21	2021-22	2549.25	-660.75	20903.79	11447.43	-1973.26	-18119.18	-29533.09
3	जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	2020-21	2021-22	1513.59	-1731.68	17656.55	10636.97	-4640.79	-20859.63	-31496.60
4	राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड	2020-21	2021-22	3410.18	-1031.23	15484.74	10451.23	46941.71	5072.00	-5353.13
5	राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड	2020-21	2021-22	1281.77	105.39	3196.85	4656.57	15481.59	3366.68	-1289.89
6	राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड	2020-21	2021-22	0.08	0.00	23.15	50.00	50.00	50.00	0.00
7	राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड	2020-21	2021-22	27.57	20.22	107.10	12.94	227.47	227.47	214.53
8	छबड़ा ऊर्जा लिमिटेड (क्रम संख्या 4 की सहायक कम्पनी)	2020-21	2021-22	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	-0.05
9	धौलपुर गैस ऊर्जा लिमिटेड (क्रम संख्या 4 की सहायक)	2020-21	2021-22	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	-0.05

67 निवल मूल्य प्रदत्त पूँजी एवं मुक्त संचय एवं अधिशेष के योग में से संचित हानियाँ एवं आस्थगित राजस्व व्यय (डीआरई) को घटाकर प्राप्त किया गया है। राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड एवं जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के निवल मूल्य की गणना करते समय क्रमशः ₹33.52 करोड़ तथा ₹26.10 करोड़ के डीआरई को घटाया गया था।

	कम्पनी)									
10	गिरल लिग्नाइट ऊर्जा लिमिटेड (क्रम संख्या 4 की सहायक कम्पनी)	2020-21	2021-22	-94.21	-334.44	0.00	370.05	-1337.28	-1507.22	-1877.27
11	बांसवाड़ा तापीय ऊर्जा कम्पनी लिमिटेड (क्रम संख्या 5 की सहायक कम्पनी)	2020-21	2021-22	-0.06	-0.29	0.00	0.05	-10.16	-10.16	-10.21
12	बाड़मेर तापीय ऊर्जा कम्पनी लिमिटेड (क्रम संख्या 5 की सहायक कम्पनी)	2020-21	2021-22	-0.01	-1.53	0.00	0.05	-20.40	-20.40	-20.45
13	राजस्थान सोलरपार्क डेवलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (क्रम संख्या 7 की सहायक कम्पनी)	2020-21	2021-22	17.58	12.73	19.77	0.05	42.42	42.42	42.37
14	राजस्थान राज्य पेट्रोलियम निगम लिमिटेड (क्रम संख्या 17 की सहायक कम्पनी)	2019-20	2021-22	0.02	0.02	0.00	67.08	65.41	65.41	-1.67
15	राजस्थान राज्य गैस लिमिटेड (क्रम संख्या 14 की सहायक कम्पनी)	2020-21	2021-22	15.74	11.85	52.56	130.00	152.26	150.26	20.26
	कुल ए			11162.77	-3433.98	72166.24	48394.41	52433.56	-49025.22	-97360.01
बी	उद्योग एवं व्यापार क्षेत्र									
	सरकारी कंपनियां									
16	राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड	2020-21	2021-22	725.24	530.91	1194.71	210.19	2646.26	2646.26	2436.07
17	राजस्थान राज्य स्नान एवं स्निज लिमिटेड	2019-20	2021-22	177.25	137.35	902.93	77.55	2354.68	2354.68	2277.13
18	राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड	2020-21	2021-22	0.44	0.12	28.94	6.96	-9.83	-18.04	-25.00
19	राजस्थान राज्य हाथकरघा विकास निगम लिमिटेड	2018-19	2020-21	-0.63	-0.64	17.56	46.06	-0.95	-4.47	-50.53
20	बाड़मेर लिग्नाईट खनन कम्पनी लिमिटेड (क्रम संख्या 17 की सहायक संयुक्त कम्पनी)	2019-20	2021-22	207.30	2.02	846.14	20.00	1617.10	21.68	1.68
	सांविधिक निगम									
21	राजस्थान वित्त निगम	2020-21	2021-22	35.02	-0.12	88.15	160.73	196.96	45.93	-114.80
	कुल बी			1144.62	669.64	3078.43	521.49	6804.22	5046.04	4524.55

सी	वित्त क्षेत्र										
	सरकारी कंपनियां										
22.	राजस्थान राज्य ऊर्जा वित्त एवं वित्तीय सेवा निगम लिमिटेड	2020-21	2021-22	3.07	2.18	4.68	90.00	108.65	108.65	18.65	
23.	राजस्थान राज्य ब्रेवरेज निगम लिमिटेड	2020-21	2021-22	44.61	30.85	5559.57	2.00	105.13	105.13	103.13	
24.	राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड	2019-20	2020-21	87.35	57.11	1414.34	180.39	408.36	408.05	227.66	
	कुल सी			135.03	90.14	6978.59	272.39	622.14	621.83	349.44	
डी	कृषि, खाद्य एवं संबधित उद्योग क्षेत्र										
	सरकारी कंपनियां										
25.	राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड	2020-21	2021-22	19.28	10.25	266.92	7.59	148.31	148.31	140.72	
26.	राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड	2016-17	2019-20	6.87	3.51	475.17	50.00	96.51	86.73	36.73	
	अकार्यरत सरकारी कंपनियां										
27.	राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम लिमिटेड	2014-15	2017-18	-0.14	-1.46	0.00	6.01	-2.21	-48.82	-54.83	
	सांविधिक निगम										
28.	राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम	2019-20	2020-21	116.84	81.75	221.09	7.85	632.71	345.12	337.27	
	कुल डी			142.85	94.05	963.18	71.45	875.32	531.34	459.89	
ई	संस्कृति एवं पर्यटन क्षेत्र										
	सरकारी कंपनियां										
29.	राजस्थान राज्य होटल्स निगम लिमिटेड	2015-16	2019-20	-0.06	-0.10	1.69	2.16	-2.55	-6.55	-8.71	
30.	राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	2016-17	2020-21	-6.72	-6.76	61.11	21.95	-118.86	-129.86	-151.81	
	कुल ई			-6.78	-6.86	62.8	24.11	-121.41	-136.41	-160.52	
एफ	परिवहन क्षेत्र										
	अकार्यरत सरकारी कंपनियां										
31.	राजस्थान नागरिक उड्डयन निगम लिमिटेड	2019-20	2021-22	0.04	0.04	0.00	4.49	-1.82	-1.82	-6.31	
	सांविधिक निगम										

32.	राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम	2019-20	2020-21	-72.75	-217.06	1688.95	638.96	-3091.22	-4547.84	-5186.80
	कुल एफ			-72.71	-217.02	1688.95	643.45	-3093.04	-4549.66	-5193.11
जी	शहरी विकास क्षेत्र									
	सरकारी कंपनियां									
33.	जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड	2020-21	2021-22	-20.79	-60.17	4.53	1694.04	2046.81	1305.68	-388.36
34.	राजस्थान शहरी पेयजल सीवरेज एवं ढांचागत निगम लिमिटेड	2018-19	2021-22	4.90	3.55	69.01	48.67	1425.07	74.04	25.37
	कुल जी			-15.89	-56.62	73.54	1742.71	3471.88	1379.72	-362.99
एच	अन्य क्षेत्र									
	सरकारी कंपनियां									
35.	राजस्थान पुलिस आवास एवं निर्माण निगम लिमिटेड	2020-21	2021-22	2.60	1.88	4.27	1.00	6.47	6.47	5.47
36.	राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड	2020-21	2021-22	263.65	3.60	785.57	100.00	2976.53	246.58	146.58
37.	राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड	2019-20	2020-21	40.20	26.24	165.82	5.00	95.95	95.95	90.95
38.	राजस्थान भूतपूर्व सैनिक निगम लिमिटेड	2020-21	2021-22	6.14	6.10	160.23	5.00	31.26	31.26	26.26
39.	राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम लिमिटेड	2019-20	2020-21	12.99	7.36	840.28	5.00	63.00	51.73	46.73
40.	राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम	2020-21	2021-22	1.54	1.53	18.54	0.05	-13.00	-13.00	-13.05
	अकार्यरत सरकारी कंपनियां									
41.	राजस्थान जल विकास निगम लिमिटेड	2020-21	2021-22	0.04	0.03	0.00	1.27	-0.89	-0.89	-2.16
	कुल एच			327.16	46.74	1974.71	117.32	3159.32	418.1	300.78
	कुल योग (35 सरकारी कंपनियां)			12738.00	-2677.09	84988.25	50968.02	66418.46	-41505.94	-92414.34
	कुल योग (3 अकार्यरत सरकारी कंपनियां)			-0.06	-1.39	0.00	11.77	-4.92	-51.53	-63.3
	कुल योग (3 सांविधिक निगम)			79.12	-135.43	1998.19	807.54	-2261.55	-4156.79	-4964.33
	कुल योग (ए से एच) (41 राजकीय उपक्रम)			12817.05	-2813.91	86986.44	51787.33	64151.99	-45714.26	-97441.97

	सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियां									
41.	अजमेर स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2019-20 ⁶⁸	-	0.00	0.00	0.00	0.01	8.65	8.65	8.64
42.	जयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2019-20	2020-21	0.54	0.05	0.00	200.00	204.45	204.45	4.45
43.	कोटा स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2019-20	2020-21	0.00	0.00	0.00	200.00	208.23	208.23	8.23
44.	उदयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2019-20	2020-21	0.00	-0.02	0.00	200.00	199.88	199.88	-0.12
	कुल (सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य 4 कंपनियां)			0.54	0.03	0.00	600.01	621.21	621.21	21.20
	कुल योग (45 राजकीय उपक्रम)			12817.59	-2813.88	86986.44	52387.34	64773.20	-45093.05	-97420.77

68 अजमेर स्मार्ट सिटी लिमिटेड की वित्तीय स्थिति एवं कार्य परिणाम के आंकड़े कंपनी द्वारा प्रदान की गई जानकारी पर आधारित हैं क्योंकि इसके प्रथम खातों (2019-20) को 30.11.2021 तक अंतिम रूप नहीं दिया गया था।

अनुबंध-1.2

(पृष्ठ संख्या 5 पर अनुच्छेद संख्या 1.5 एवं पृष्ठ संख्या 16 पर 1.17 में संदर्भित)

राज्य सरकार द्वारा राजकीय उपक्रमों, जिनके लेखे बकाया हैं, में बकाया लेखों की अवधि के दौरान किये गये निवेश को दर्शाने वाला विवरण-पत्र

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राजकीय उपक्रम का नाम	लेखों को अन्तिम रूप दिये जाने तक की समयावधि	बकाया लेखों की समयावधि	प्रदत्त पूँजी	बकाया लेखों की अवधि के दौरान राज्य सरकार द्वारा किया गया निवेश		
					ऋण	सब्सिडी	कुल
अ	सरकारी कंपनियाँ						
1	राजस्थान राज्य हथकरघा विकास निगम लिमिटेड	2018-19	2019-20, 2020-21	46.06	0.00	1.05	1.05
2	राजस्थान शहरी पेयजल सीवरेज एवं ढाँचागत निगम लिमिटेड	2018-19	2019-20, 2020-21	48.67	0.00	0.00	0.00
3	राजस्थान राज्य स्वाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड	2016-17	2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21	50.00	0.00	0.00	0.00
4	राजस्थान राज्य स्नान एवं स्वनिज लिमिटेड	2019-20	2020-21	77.55	0.00	0.00	0.00
5	राजस्थान राज्य हॉटल्स निगम लिमिटेड	2015-16	2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21	2.16	0.00	0.00	0.00
6	राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	2016-17	2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21	21.95	11.50	0.00	11.50
7	बाड़मेर लिग्नाईट स्नान कम्पनी लिमिटेड	2019-20	2020-21	20.00	0.00	0.00	0.00
8	राजस्थान राज्य पेट्रोलियम निगम लिमिटेड	2019-20	2020-21	67.08	0.00	0.00	0.00
9	राजस्थान नागरिक उड्डयन निगम लिमिटेड	2019-20	2020-21	4.49	0.00	0.00	0.00
10	राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम लिमिटेड (अकार्यरत सरकारी कंपनी)	2014-15	2015-16, 2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21	6.01	0.20	0.00	0.20
11	राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम लिमिटेड	2019-20	2020-21	5.00	0.00	462.71	462.71
12	राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड	2019-20	2020-21	180.39	0.00	0.00	0.00

क्र. सं.	राजकीय उपक्रम का नाम	लेखों को अन्तिम रूप दिये जाने तक की समयावधि	बकाया लेखों की समयावधि	प्रदत्त पूँजी	बकाया लेखों की अवधि के दौरान राज्य सरकार द्वारा किया गया निवेश		
					ऋण	सब्सिडी	कुल
13	राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड	2019-20	2020-21	5.00	0.00	0.00	0.00
	योग अ			534.36	11.70	463.76	475.46
ब	सांविधिक निगम						
14	राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम	2019-20	2020-21	638.96	0.00	475.89	475.89
15	राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम	2019-20	2020-21	7.85	0.00	0.00	0.00
	कुल ब			646.81	0.00	475.89	475.89
स	सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियाँ						
16	अजमेर स्मार्ट सिटी लिमिटेड	लागू नहीं	2019-20, 2020-21	0.01	0.00	0.00	0.00
17	जयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2019-20	2020-21	200.00	0.00	0.00	0.00
18	कोटा स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2019-20	2020-21	200.00	0.00	0.00	0.00
19	उदयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2019-20	2020-21	200.00	0.00	0.00	0.00
	कुल स			600.01	0.00	0.00	0.00
	कुल योग (अ+ब+स)			1781.18	11.70	939.65	951.35

अनुबंध -1.3

(पृष्ठ संख्या. 17 पर अनुच्छेद संख्या 1.19 में संदर्भित)

31 मार्च 2021 को राजस्थान सरकार के वित्त लेखों एवं राजकीय उपक्रमों के अभिलेखों में पूँजी, ऋण एवं गारंटी के शेषों के अंतर को दर्शाने वाला विवरण पत्र

(₹ करोड़ में)

क्र. सं	राजकीय उपक्रम का नाम	राजकीय उपक्रम के अभिलेखों के अनुसार			राजस्थान सरकार के वित्त लेखों के अनुसार		
		प्रदत्त पूँजी	बकाया ऋण	प्रतिबद्ध गारंटी	प्रदत्त पूँजी	बकाया ऋण	प्रतिबद्ध गारंटी
1	2	3	4	5	6	7	8
1	राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड	6.33	0.00	0.00	6.33	0.64	0.00
2	राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड	210.19	5.37	0.00	193.69	5.37	0.00
3	राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड	100.00	0.00	2944.73	100.00	74.54	2944.73
4	राजस्थान शहरी पेयजल सीवरेज एवं ढांचागत निगम लिमिटेड	48.67	278.11	1364.63	33.51	0.00	1364.63
5	राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड	180.34	0.31	0.00	180.59	0.11	0.00
6	राजस्थान राज्य स्नान एवं स्निज लिमिटेड	77.54	0.00	0.00	77.56	0.00	0.00
7	राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम लिमिटेड	5.00	11.27	0.00	5.00	11.26	0.00
8	राजस्थान राज्य हॉटल्स निगम लिमिटेड	2.16	11.05	0.00	2.16	10.00	0.00
9	राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	21.95	49.50	0.00	21.94	49.50	0.00
10	राजस्थान वित्त निगम	128.31	1.03	226.00	128.31	1.26	226.00
11	राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम	612.13	630.37	725.00	612.13	630.37	675.00
12	राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम लिमिटेड	6.01	16.27	0.00	4.13	17.51	0.00
13	अजमेर स्मार्ट सिटी लिमिटेड	0.01	0.00	0.00	64.80	0.00	0.00
14	कोटा स्मार्ट सिटी लिमिटेड	100.00	0.00	0.00	65.40	0.00	0.00
15	अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	10571.89	1323.20	12519.96	10571.89	1248.87	12519.96
16	जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	11447.43	1596.95	13380.20	11447.43	1596.91	13380.20

क्र. सं	राजकीय उपक्रम का नाम	राजकीय उपक्रम के अभिलेखों के अनुसार			राजस्थान सरकार के वित्त लेखों के अनुसार		
		प्रदत्त पूँजी	बकाया ऋण	प्रतिबद्ध गारंटी	प्रदत्त पूँजी	बकाया ऋण	प्रतिबद्ध गारंटी
1	2	3	4	5	6	7	8
17	जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	10636.97	1155.01	14237.89	10636.97	1229.34	14237.89
18	राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड	4656.57	1063.02	6334.82	4691.04	1302.88	6334.82
19	राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड	10451.23	138.08	23602.76	10451.23	138.08	23082.66
	कुल	49262.73	6279.54	75335.99	49294.11	6316.64	74765.89

अनुबंध-1.4

(पृष्ठ संख्या 29 पर अनुच्छेद संख्या 1.31 में संदर्भित)

2000-01 से 2020-21 तक की अवधि हेतु राज्य सरकार द्वारा किए गये निवेश एवं निवेशित कोषों के वर्तमान मूल्य के विवरणों को वर्षवार दर्शाने वाला विवरण-पत्र

राज्य सरकार के निवेश के वर्तमान मूल्य की गणना के लिए धारणाएँ

- ब्याज मुक्त ऋण को राज्य सरकार द्वारा किया गया निवेश माना गया है क्योंकि ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा कोई भी ब्याज मुक्त ऋण नहीं चुकाए गए हैं। इसके अतिरिक्त, जिन प्रकरणों में ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों को दिए गए ब्याज मुक्त ऋण को इक्विटी में परिवर्तित किया गया था, इक्विटी में परिवर्तित ऋण की राशि को ब्याज मुक्त ऋण की राशि में से घटाकर उस वर्ष की इक्विटी में जोड़ा गया है।
- संबंधित वित्तीय वर्ष⁶⁹ के लिये सरकारी उधार पर ब्याज की औसत दर पीवी की प्राप्ति के लिए चक्रवृद्धि दर के रूप में अपनायी गई थी क्योंकि वे वर्ष के लिए निधियों के निवेश हेतु सरकार द्वारा वहन की लागत को दर्शाता है एवं इस प्रकार सरकार द्वारा किये गये निवेश पर प्रतिफल की न्यूनतम अपेक्षित दर के रूप में माना गया है।

(₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	वर्ष के आरम्भ में कुल निवेश का वर्तमान मूल्य	वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा निवेशित इक्विटी	वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा दिये गये ब्याज मुक्त ऋण	वर्ष के दौरान परिवर्तित ब्याज मुक्त ऋण ⁷⁰	उदय के अन्तर्गत दी गई सब्सिडी	वर्ष के दौरान कुल निवेश	सरकारी उधार पर ब्याज की औसत दर (प्रतिशत में)	वर्ष के अंत में कुल निवेश	वर्ष के अंत में कुल निवेश का वर्तमान मूल्य	वर्ष के लिए निधियों की लागत की वसूली के लिए न्यूनतम अपेक्षित प्रतिफल	वर्ष के लिए कुल अर्जन ⁷¹
--------------	--	--	--	--	-------------------------------	-------------------------	--	---------------------------	--	--	-------------------------------------

69 सरकारी उधार पर ब्याज की औसत दर संबंधित वर्ष के लिए राज्य वित्त (राजस्थान सरकार) पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदनों से ली गई थी, जिसमें ब्याज भुगतान के लिए औसत दर = ब्याज भुगतान / [(पूर्व वर्ष की राजकोषीय देयताएं + चालू वर्ष की राजकोषीय देयताएं) / 2] * 100।

70 2004-05 एवं 2009-10 के मध्य प्राप्त ब्याज मुक्त ऋण ₹ 1070 करोड़ को 2011-12 में इक्विटी में परिवर्तित किया गया, 2011-12 में प्राप्त ₹995 करोड़ को 2015-16 में इक्विटी में परिवर्तित किया गया एवं 2012-13 में प्राप्त ₹ 1000 करोड़ को 2014-15 (₹ 729.40 करोड़) एवं 2015-16 (₹ 270.60 करोड़) के दौरान जीओआर के बकाया के विरुद्ध समयोजन किया गया।

71 वर्ष के लिये कुल अर्जन जिन 32 एसपीएसईज में राज्य सरकार द्वारा धन का निवेश किया गया था में संबंधित वर्ष हेतु शुद्ध अर्जनों के योग (लाभ/हानि) को दर्शाता है। तथापि दो कंपनियों (आरवीयूएनएल एवं आरवीपीएनएल) एवं तीन राज्य डिस्कॉम्स (जेवीवीएनएल, एवीवीएनएल एवं जेडीवीवीएनएल) ने अपने वार्षिक लेखे 'न लाभ न हानि' के आधार पर तैयार किये तथा आय एवं व्यय के अंतर को 'राजस्व गैप के विरुद्ध राज्य सरकार से प्राप्य आर्थिक सहायता' के रूप में दर्शाया जब तक उन्होंने क्रमशः वर्ष 2008-09 से आगे एवं 2010-11 से लाभ/हानि दर्शाते हुए वाणिज्यिक लेखांकन सिद्धान्तों पर अपने वार्षिक लेखे तैयार करना प्रारंभ नहीं किया। अतः इन पांच कम्पनियों के लाभों/हानियों के संबंध में उस वर्ष से विचार किया गया जिसमें इन कंपनियों ने वाणिज्यिक लेखांकन सिद्धान्तों पर वार्षिक लेखे तैयार करना प्रारंभ किया।

i	ii	iii	iv	v	vi	vii =iii+iv+vi- v	viii	ix=ii+vii	$x=\{ix*(1+viii)/100\}$	$xi=\{ix*viii/100\}$	xii
राज्य सरकार द्वारा निवेश (उदय को निवेश माने बिना)											
1999-00 तक	-	412.44	36.80	-	-	449.24	10.40	1164.89	1286.04	-	-
2000-01	1286.04	383.14	-0.49	0.00	-	382.65	10.50	1668.69	1843.90	175.21	-57.52
2001-02	1843.90	363.20	-3.34	0.00	-	359.86	10.50	2203.76	2435.16	231.40	-45.32
2002-03	2435.16	344.48	-3.52	0.00	-	340.96	10.00	2776.12	3053.73	277.61	-17.91
2003-04	3053.73	417.22	-0.84	0.00	-	416.38	9.60	3470.11	3803.25	333.14	12.23
2004-05	3803.25	379.46	187.94	0.00	-	567.40	9.10	4370.65	4768.38	397.73	146.53
2005-06	4768.38	645.49	144.49	0.00	-	789.98	8.20	5558.36	6014.14	455.78	214.11
2006-07	6014.14	695.30	149.61	0.00	-	844.91	8.30	6859.05	7428.35	569.30	267.36
2007-08	7428.35	1070.50	149.15	0.00	-	1219.65	8.00	8648.00	9339.84	691.84	379.45
2008-09	9339.84	1339.87	249.31	0.00	-	1589.18	7.70	10929.02	11770.56	841.54	-1043.55
2009-10	11770.56	1299.56	169.28	0.00	-	1468.84	7.70	13239.40	14258.84	1019.44	-676.99
2010-11	14258.84	1744.24	-0.31	0.00	-	1743.93	7.70	16002.77	17234.98	1232.21	-21058.37
2011-12	17234.98	2891.34	989.21	1070.00	-	2810.55	7.70	20045.53	21589.03	1543.50	-19168.65
2012-13	21589.03	4661.61	1102.98	0.00	-	5764.59	7.40	27353.62	29377.78	2024.16	-11773.13
2013-14	29377.78	4722.17	132.30	0.00	-	4854.47	7.30	34232.25	36731.21	2498.96	-15413.39
2014-15	36731.21	4371.78	1443.63	729.40	-	5086.01	7.50	41817.22	44953.51	3136.29	-14866.61
2015-16	44953.51	9492.69	497.20	1265.60	-	8724.29	6.70	53677.80	57274.22	3596.42	-12222.56
2016-17	57274.22	4130.49	-811.32	0.00	-	3319.17	7.60	60593.39	65198.49	4605.10	-1395.49

वित्तीय वर्ष	वर्ष के आरम्भ में कुल निवेश का वर्तमान मूल्य	वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा निवेशित इक्विटी	वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा दिये गये ब्याज मुक्त ऋण	वर्ष के दौरान परिवर्तित ब्याज मुक्त ऋण ⁷⁰	उदय के अन्तर्गत दी गई सब्सिडी	वर्ष के दौरान कुल निवेश	सरकारी उधार पर ब्याज की औसत दर (प्रतिशत में)	वर्ष के अंत में कुल निवेश	वर्ष के अंत में कुल निवेश का वर्तमान मूल्य	वर्ष के लिए निधियों की लागत की वसूली के लिए न्यूनतम अपेक्षित प्रतिफल	वर्ष के लिए कुल अर्जन ⁷¹
i	ii	iii	iv	v	vi	vii =iii+iv+vi-v	viii	ix=ii+vii	x={ix*(1+viii)/100}	xi={ix*viii/100}	xii
2017-18	65198.49	3850.42	427.68	0.00	-	4278.10	7.30	69476.59	74548.38	5071.79	2057.58
2018-19	74548.38	3822.35	256.15	0.00	-	4078.50	7.30	78626.88	84366.64	5739.76	2893.35
2019-20	84366.64	2095.49	155.51	0.00	-	2251.00	7.10	86617.64	92767.49	6149.85	3550.08
2020-21	92767.49	403.49	61.56	0.00	-	465.05	6.60	93232.54	99385.89	6153.35	-2504.27
कुल		49536.73	5332.98	3065.00	-						
राज्य सरकार द्वारा निवेश (उदय को निवेश मानते हुये) (2016-20)											
2016-17	57274.22	4130.49	-811.32	0.00	9000.00	12319.17	7.60	69593.39	74882.49	5289.10	-1395.49
2017-18	74882.49	3850.42	427.68	0.00	12000.00	16278.10	7.30	91160.59	97815.31	6654.72	2057.58
2018-19	97815.31	3822.35	256.15	0.00	12000.00	16078.50	7.30	113893.81	122208.06	8314.25	2893.35
2019-20	122208.06	2095.49	155.51	0.00	13816.47	16067.47	7.10	138275.53	148093.09	9817.56	3550.08
2020-21	148093.09	403.49	61.56	0.00	0.00	465.05	6.60	148558.14	158362.98	9804.84	-2504.27
कुल		49536.73	5332.98	3065.00	46816.47						

अनुबंध 2.1

(पृष्ठ संख्या 38 पर अनुच्छेद 2.7 में संदर्भित)

राजकीय उपक्रमों के नाम, जिनमें सांविधिक लेखापरीक्षक ने एएस/इंड एएस की अनुपालना नहीं किए जाने को प्रतिवेदित किया, को दर्शानेवाला विवरण पत्र

क्र.सं.	राजकीय उपक्रम का नाम	वित्तीय विवरण का वर्ष	एएस/इंड एएस
1.	राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड	2020-21	इंड एएस 36, 12
2.	राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड	2020-21	इंड एएस 16, 28, 37, 110
3.	गिरल लिग्नाइट ऊर्जा लिमिटेड	2020-21	इंड एएस 36
4.	राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	2020-21	एएस 12
5.	अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	2020-21	एएस 10, 12, 16, 28, 29
6.	जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	2020-21	एएस 10, 12, 16, 28, 29
7.	जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	2020-21	एएस 3, 10, 12, 16, 28, 29
8.	राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड	2020-21	एएस 28, 29
9.	राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड	2020-21	एएस 18
10.	राजस्थान राज्य गैस लिमिटेड	2020-21	इंड एएस 12, 19, 115
11.	राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड	2021-21	एएस 29
12.	कोटा स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2019-20	इंड एएस 20
13.	राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम लिमिटेड	2019-20	एएस 12, 15, 28
14.	राजस्थान शहरी पेयजल सीवरेज एवं ढांचागत निगम लिमिटेड	2017-18	एएस 1, 18

अनुबंध 2.2

(पृष्ठ संख्या 39 पर अनुच्छेद 2.9 में संदर्भित)

राजकीय उपक्रमों के नाम, जिनके वित्तीय विवरणों पर प्रतिवेदन अवधि के दौरान सीएजी की टिप्पणियां जारी की गई थी, को दर्शाने वाला विवरण पत्र

क्र.सं.	राजकीय उपक्रम का नाम	वित्तीय विवरण वर्ष
1.	राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड	2020-21
2.	गिरल लिग्नाइट पावर लिमिटेड	2020-21
3.	अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	2019-20
4.	राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड	2019-20
5.	राजस्थान राज्य स्वान एवं स्वनिज लिमिटेड	2019-20
6.	राजकॉम्प इंफो सर्विसेज लिमिटेड	2019-20
7.	राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम लिमिटेड	2019-20
8.	जयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2019-20
9.	कोटा स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2019-20
10.	उदयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2019-20
11.	राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम	2019-20
12.	राजस्थान शहरी पेयजल सीवरेज एवं ढांचागत निगम लिमिटेड	2018-19

अनुबंध 2.3

(पृष्ठ संख्या 47 पर अनुच्छेद 2.14 में संदर्भित)

राजकीय उपक्रमों के नाम, जिन्हें प्रबंधन पत्र जारी किये गये थे, को दर्शाने वाला विवरण-पत्र

क्र.सं.	राजकीय उपक्रम के नाम	वित्तीय विवरण का वर्ष
1	गिरल लिग्नाइट पावर लिमिटेड	2020-21
2	धौलपुर गैस पावर लिमिटेड	2020-21
3	छबड़ा पावर लिमिटेड	2020-21
4	राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड	2020-21
5	राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम	2020-21
6	राजस्थान राज्य ऊर्जा वित्त एवं वित्तीय सेवा सेवा निगम लिमिटेड	2020-21
7	राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड	2020-21
8	राजस्थान जल विकास निगम लिमिटेड	2020-21
9	अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	2019-20
10	राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड	2019-20
11	राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम लिमिटेड	2019-20
12	उदयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2019-20
13	कोटा स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2019-20
14	राजकॉम्प इंफो सर्विसेज लिमिटेड	2019-20
15	राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड	2019-20
16	राजस्थान राज्य हथकरघा विकास निगम लिमिटेड	2018-19
17	राजस्थान शहरी पेयजल सीवरेज एवं ढांचागत निगम लिमिटेड	2017-18

अनुच्छेद 3.1

(पृष्ठ संख्या 52,53,58,59,61,63 एवं 64 पर अनुच्छेद संख्या 3.6, 3.7, 3.12, 3.13, 3.14, 3.17 एवं 3.18 में संदर्भित)

स्वतंत्र/महिला निदेशक/लेखापरीक्षा समिति/एनआरसी/ केएमपी की आवश्यकता एवं राजकीय उपक्रमों द्वारा आयोजित बोर्ड की बैठक/लेखापरीक्षा समिति की बैठक को दर्शाने वाला विवरण पत्र

क्र. सं	राजकीय उपक्रम का नाम	आवश्यकता		स्वतंत्र निदेशको की संख्या		आवश्यकता			बोर्ड बैठको की संख्या	लेखापरीक्षा समिति की बैठकों की संख्या
		स्वतंत्र निदेशक	महिला निदेशक	31.3.2020	31.3.2021	लेखापरीक्षा समिति	एनआरसी	केएमपी		
1	अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	हाँ	हाँ	शून्य	शून्य	हाँ	हाँ	हाँ	5	4
2	जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	हाँ	हाँ	शून्य	शून्य	हाँ	हाँ	हाँ	6	5
3	जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	हाँ	हाँ	शून्य	शून्य	हाँ	हाँ	हाँ	4	3
4	राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड ⁷²	हाँ	हाँ	1	शून्य	हाँ	हाँ	हाँ	7	6
5	राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड	हाँ	हाँ	शून्य	शून्य	हाँ	हाँ	हाँ	6	4
6	राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड	हाँ	नहीं	शून्य	शून्य	हाँ	हाँ	हाँ	5	3
7	राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड ¹	हाँ	नहीं	1	शून्य	हाँ	हाँ	हाँ	5	4
8	राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड	हाँ	हाँ	शून्य	शून्य	हाँ	हाँ	हाँ	4	1
9	राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड	हाँ	नहीं	शून्य	शून्य	हाँ	हाँ	नहीं	3	1
10	राजस्थान राज्य हथकरघा विकास निगम लिमिटेड	हाँ	नहीं	शून्य	शून्य	हाँ	हाँ	हाँ	1	एसी गठित नहीं की गई
11	राजस्थान राज्य ब्रेवरेज निगम लिमिटेड	हाँ	हाँ	2	2	हाँ	हाँ	नहीं	3	1
12	राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड	हाँ	हाँ	2	2	हाँ	हाँ	हाँ	3	2

⁷² क्रमांक 4 और 7 में केवल अगस्त 2020 तक स्वतंत्र निदेशक थे

क्र. सं.	राजकीय उपक्रम का नाम	आवश्यकता		स्वतंत्र निदेशको की संख्या		आवश्यकता			बोर्ड बैठको की संख्या	लेखापरीक्षा समिति की बैठकों की संख्या
		स्वतंत्र निदेशक	महिला निदेशक	31.3.2020	31.3.2021	लेखापरीक्षा समिति	एनआरसी	केएमपी		
13	राजस्थान राज्य ऊर्जा वित्त एवं वित्तीय सेवा निगम लिमिटेड	हाँ	नहीं	शून्य	शून्य	हाँ	हाँ	हाँ	4	1
14	राजस्थान राज्य स्याद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड	हाँ	हाँ	शून्य	शून्य	हाँ	हाँ	हाँ	3	1
15	राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड	हाँ	नहीं	शून्य	शून्य	हाँ	हाँ	नहीं	4	2
16	राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड	हाँ	हाँ	शून्य	शून्य	हाँ	हाँ	हाँ	4	1
17	राजस्थान शहरी पेयजल सीवरेज एवं ढांचागत निगम लिमिटेड	हाँ	नहीं	2	2	हाँ	हाँ	हाँ	2	2
18	राजस्थान राज्य स्नान एवं स्पनिज लिमिटेड	हाँ	हाँ	2	2	हाँ	हाँ	हाँ	1	0
19	राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	हाँ	नहीं	शून्य	शून्य	हाँ	हाँ	हाँ	3	1
20	राजकॉम्प इंफो सर्विसेज लिमिटेड	हाँ	नहीं	2	2	हाँ	हाँ	नहीं	4	1
21	राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम लिमिटेड	हाँ	हाँ	शून्य	शून्य	हाँ	हाँ	नहीं	4	2
22	जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड	हाँ	हाँ	1	1	हाँ	हाँ	हाँ	4	2
23	जयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड	हाँ	हाँ	शून्य	शून्य	हाँ	हाँ	हाँ	2	1
24	कोटा स्मार्ट सिटी लिमिटेड	हाँ	हाँ	शून्य	शून्य	हाँ	हाँ	हाँ	2	एसी गठित नहीं की गई
25	उदयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड	हाँ	हाँ	1	1	हाँ	हाँ	हाँ	1	1
26	राजस्थान भूतपूर्व सैनिक निगम लिमिटेड	हाँ	नहीं	शून्य	2 ⁷³	हाँ	हाँ	नहीं	4	2
27	राजस्थान पुलिस आवास एवं निर्माण निगम लिमिटेड	नहीं	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	3	लागू नहीं
28	राजस्थान राज्य हॉटल्स निगम लिमिटेड	नहीं	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	3	लागू नहीं
29	राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम ⁷⁴	नहीं	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	3	लागू नहीं

73 आईडी को दिसंबर 2020 में नियुक्त किया गया था और इसलिए, वर्ष के दौरान आयोजित चार वीओडी बैठकों में भाग नहीं लिया।

74 कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 25 (कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 8) के तहत निगमित कम्पनी।

क्र. सं	राजकीय उपक्रम का नाम	आवश्यकता		स्वतंत्र निदेशको की संख्या		आवश्यकता			बोर्ड बैठको की संख्या	लेखापरीक्षा समिति की बैठकों की संख्या
		स्वतंत्र निदेशक	महिला निदेशक	31.3.2020	31.3.2021	लेखापरीक्षा समिति	एनआरसी	केएमपी		
30	राजस्थान जल विकास निगम लिमिटेड	नहीं	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	4	लागू नहीं
31	राजस्थान नागरिक उड्डयन निगम लिमिटेड	नहीं	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	1	लागू नहीं
32	अजमेर स्मार्ट सिटी लिमिटेड	नहीं	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	3	लागू नहीं
33	बांसवाड़ा तापीय ऊर्जा कम्पनी लिमिटेड	नहीं	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	4	लागू नहीं
34	बाड़मेर तापीय ऊर्जा कम्पनी लिमिटेड	नहीं	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	4	लागू नहीं
35	छबड़ा ऊर्जा लिमिटेड	नहीं	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	4	लागू नहीं
36	धौलपुर गैस ऊर्जा लिमिटेड	नहीं	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	4	लागू नहीं
37	गिरल लिग्नाइट ऊर्जा लिमिटेड	नहीं	हाँ	लागू नहीं	लागू नहीं	नहीं	नहीं	हाँ	4	लागू नहीं
38	राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कम्पनी लिमिटेड	नहीं	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	5	लागू नहीं
39	राजस्थान राज्य पेट्रोलियम निगम लिमिटेड	नहीं	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	नहीं	नहीं	हाँ	1	लागू नहीं
40	बाड़मेर लिग्नाइट स्वनन कम्पनी लिमिटेड	नहीं	हाँ	लागू नहीं	लागू नहीं	नहीं	नहीं	हाँ	1	लागू नहीं
41	राजस्थान राज्य गैस लिमिटेड	नहीं	हाँ	लागू नहीं	लागू नहीं	नहीं	नहीं	हाँ	3	लागू नहीं

अनुबंध -3.2

(पृष्ठ संख्या 67 व 68 पर अनुच्छेद संख्या 3.22 एवं 3.23 में संदर्भित)

आंतरिक लेखापरीक्षा ढांचा

क्र. सं.	राजकीय उपक्रम का नाम	आंतरिक लेखापरीक्षा की आवृत्ति	आंतरिक लेखापरीक्षा की टिप्पणियाँ संबोधित की गईं
1.	अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	वार्षिक	निदेशक मंडल एवं लेखापरीक्षा समिति
2.	जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	वार्षिक	निदेशक (वित्त), प्रबंध निदेशक, निदेशक मंडल एवं लेखापरीक्षा समिति
3.	जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	वार्षिक	निदेशक मंडल एवं लेखापरीक्षा समिति
4.	राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड	व्यय लेखापरीक्षा वार्षिक आधार पर एवं राजस्व लेखापरीक्षा छमाही आधार पर	निदेशक मंडल एवं लेखापरीक्षा समिति
5.	राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड	वार्षिक	निदेशक (वित्त)
6.	राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड	तिमाही	निदेशक मंडल
7.	राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड	छमाही के आधार पर	वित्तीय सलाहकार एवं लेखापरीक्षा समिति
8.	राजस्थान राज्य ब्रेवरेज निगम लिमिटेड	तिमाही	महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा) एवं लेखापरीक्षा समिति
9.	राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड	तिमाही	वित्तीय सलाहकार एवं लेखापरीक्षा समिति
10.	राजस्थान राज्य ऊर्जा वित्त एवं वित्तीय सेवा निगम लिमिटेड	वार्षिक	प्रबंध निदेशक एवं लेखापरीक्षा समिति
11.	राजस्थान राज्य स्वाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड	2020-21 हेतु आंतरिक लेखापरीक्षक की नियुक्ति नहीं की गई	
12.	राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड	छमाही के आधार पर	लेखापरीक्षा समिति
13.	राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड	छमाही के आधार पर	प्रबंध निदेशक
14.	राजस्थान शहरी पेयजल सीवरेज एवं ढांचागत निगम लिमिटेड	2020-21 हेतु आंतरिक लेखापरीक्षक की नियुक्ति नहीं की गई	

क्र. सं.	राजकीय उपक्रम का नाम	आंतरिक लेखापरीक्षा की आवृत्ति	आंतरिक लेखापरीक्षा की टिप्पणियाँ संबोधित की गईं
15.	राजस्थान राज्य स्वान एवं स्वनिज लिमिटेड	वार्षिक	लेखापरीक्षा समिति
16.	राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम लिमिटेड	तिमाही	कार्यकारी निदेशक (वित्त)
17.	जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड	तिमाही	प्रबंध निदेशक को तिमाही एवं लेखा परीक्षा समिति को वार्षिक रूप से
18.	जयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड	वार्षिक	मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं लेखापरीक्षा समिति
19.	कोटा स्मार्ट सिटी लिमिटेड	तिमाही	मुख्य कार्यकारी अधिकारी
20.	उदयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड	तिमाही	मुख्य वित्तीय अधिकारी
21.	गिरल लिग्नाइट ऊर्जा लिमिटेड	वार्षिक	मुख्य अभियंता
22.	बाड़मेर लिग्नाईट खनन कम्पनी लिमिटेड	तिमाही	निदेशक मंडल
23.	राजस्थान राज्य गैस लिमिटेड	तिमाही	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी
24.	राजस्थान राज्य पेट्रोलियम निगम लिमिटेड	वार्षिक	वित्तीय सलाहकार

अनुबंध-4.1

(पृष्ठ संख्या 71 पर अनुच्छेद संख्या 4.1 में संदर्भित)

31 मार्च 2021 तक लागू भारतीय लेखा मानकों (इंड-एएस) की विस्तृत सूची

क्र. सं.	इंड-एएस संख्या	इंड-एएस का विवरण	टिप्पणी
1.	इंड-एएस 101	इंड एएस को प्रथम बार अपनाना	
2.	इंड-एएस 102	शेयर आधारित भुगतान	
3.	इंड-एएस 103	व्यावसायिक संयोजन	
4.	इंड-एएस 104	बीमा अनुबंध	
5.	इंड-एएस 105	बिक्री के लिए गैर-चालू परिसंपत्तियां एवं बंद परिचालन	
6.	इंड-एएस 106	स्वनिज संसाधनों की खोज एवं उनका मूल्यांकन	
7.	इंड-एएस 107	वित्तीय प्रपत्र: प्रकटन	
8.	इंड-एएस 108	परिचालन खंड	
9.	इंड-एएस 109	वित्तीय प्रपत्र	
10.	इंड-एएस 110	समेकित वित्तीय विवरण	
11.	इंड-एएस 111	संयुक्त व्यवस्थाएं	
12.	इंड-एएस 112	अन्य संस्थाओं में हितों का प्रकटन	
13.	इंड-एएस 113	उचित मूल्य माप	
14.	इंड-एएस 114	नियामक आस्थगन लेखा	
15.	इंड-एएस 115	ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व	लोपित (मार्च 2016) एवं फिर से अधिसूचित (मार्च 2018)
16.	इंड-एएस 116	पट्टा	अधिसूचित (मार्च 2019)
17.	इंड-एएस 1	वित्तीय विवरणों का प्रस्तुतिकरण	
18.	इंड-एएस 2	सूचीबद्ध सामान लेखांकन	
19.	इंड-एएस 7	नकदी प्रवाह का विवरण	

क्र. सं.	इंड-एएस संख्या	इंड-एएस का विवरण	टिप्पणी
20.	इंड-एएस 8	लेखांकन नीतियां, लेखा प्राक्कलनों परिवर्तन अनुमानों एवं त्रुटियां	
21.	इंड-एएस 10	रिपोर्टिंग अवधि के बाद की घटनाएँ	
22.	इंड-एएस 11	निर्माण अनुबंध	इंड एएस 115 द्वारा अधिक्रमित किया गया (मार्च 2018)
23.	इंड-एएस 12	आयकर	
24.	इंड-एएस 16	संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण	
25.	इंड-एएस 17	पट्टा	इंड एएस 116 (मार्च 2019) द्वारा प्रतिस्थापित
26.	इंड-एएस 18	राजस्व	इंड एएस 115 (मार्च 2018) द्वारा प्रतिस्थापित
27.	इंड-एएस 19	कर्मचारी लाभ	
28.	इंड-एएस 20	सरकारी अनुदानों का लेखा एवं सरकारी सहायता का प्रकटन	
29.	इंड-एएस 21	विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन के प्रभाव	
30.	इंड-एएस 23	उधार लेने की लागत	
31.	इंड-एएस 24	संबंधित पक्ष के संबंध में प्रकटन	
32.	इंड-एएस 27	पृथक वित्तीय विवरण	
33.	इंड-एएस 28	सहयोगी प्रतिष्ठानों एवं संयुक्त उद्यमों में निवेश	
34.	इंड-एएस 29	उच्च मुद्रास्फीतिशील अर्थव्यवस्थाओं में वित्तीय रिपोर्टिंग	
35.	इंड-एएस 32	वित्तीय प्रपत्र: प्रस्तुतिकरण	
36.	इंड-एएस 33	प्रति शेयर अर्जन	
37.	इंड-एएस 34	अंतरिम वित्तीय विवरण	
38.	इंड-एएस 36	परिसंपत्तियों की क्षतिग्रस्तता	
39.	इंड-एएस 37	प्रावधान, आकस्मिक दायित्व एवं आकस्मिक परिसंपत्तियां	
40.	इंड-एएस 38	अमूर्त संपत्तियां	
41.	इंड-एएस 40	निवेश संपत्ति	
42.	इंड-एएस 41	कृषि	

अनुबंध-4.2

(पृष्ठ संख्या 73 पर अनुच्छेद संख्या 4.4 और पृष्ठ संख्या 76 पर अनुच्छेद संख्या 4.6 में संदर्भित)

सरकारी कंपनियां, जिन्होंने भारतीय लेखा मानकों (इंड एएस) को अपनाया, लेखापरीक्षा में समीक्षा हेतु चयनित एवं इंड एएस को प्रथम बार अपनाए जाने पर विकल्पों/रियायतों का लाभ उठाए जाने की कंपनी वार स्थिति

क्र. सं.	सरकारी कंपनी का नाम	समीक्षा हेतु चयनित या नहीं	पीपीई/अमूर्त परिसंपत्ति (इंड एएस 16)		लीज का वर्गीकरण (इंड एएस 17)		पृथक वित्तीय विवरण (इंड एएस 27)		वित्तीय प्रपत्र (इंड एएस 109)	
			उचित मूल्य	वहनीय मूल्य	पारगमन दिनांक	भावी रूप से	लागत	इंड एएस 109 के अनुसार	लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य	अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य
चरण- I (2016-17)										
1	राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड	चयनित	-	हाँ	-	-	-	-	-	हाँ
2	बांसवाड़ा थर्मल पावर कंपनी लिमिटेड (एस नंबर 1 की सहायक कंपनी)	वाणिज्यिक गतिविधि शुरू नहीं होने के कारण चयनित नहीं	-	हाँ	-	-	-	-	-	-
3	बाड़मेर तापीय ऊर्जा कम्पनी लिमिटेड (क्रम संख्या 1 की सहायक कम्पनी)	किया गया	-	हाँ	-	-	-	-	-	-
4	राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड	चयनित	-	हाँ	-	-	-	-	-	हाँ

क्र. सं.	सरकारी कंपनी का नाम	समीक्षा हेतु चयनित या नहीं	पीपीई/अमूर्त परिसंपत्ति (इंड एएस 16)		लीज का वर्गीकरण (इंड एएस 17)		पृथक वित्तीय विवरण (इंड एएस 27)		वित्तीय प्रपत्र (इंड एएस 109)	
			उचित मूल्य	वहनीय मूल्य	पारगमन दिनांक	भावी रूप से	लागत	इंड एएस 109 के अनुसार	लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य	अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य
5	छबड़ा पावर लिमिटेड (एस नंबर 4 की सहायक कंपनी)	वाणिज्यिक गतिविधि शुरू नहीं होने के	-	हाँ	-	-	-	-	-	-
6	धौलपुर गैस ऊर्जा लिमिटेड (क्रम संख्या 4 की सहायक कम्पनी)	कारण चयनित नहीं किया गया	-	हाँ	-	-	-	-	-	-
7	गिरल लिग्नाइट ऊर्जा लिमिटेड (क्रम संख्या 4 की सहायक कम्पनी)	वाणिज्यिक गतिविधि बंद होने के कारण चयनित नहीं की गई	-	हाँ	-	-	-	-	-	हाँ
8	राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड	चयनित	-	हाँ	-	-	हाँ	-	-	हाँ
9	राजस्थान राज्य पेट्रोलियम निगम लिमिटेड (क्रम संख्या 8 की सहायक कम्पनी)	चयनित	-	हाँ	-	-	-	-	-	-
10	बाड़मेर लिग्नाइट खनन कम्पनी लिमिटेड (क्रम संख्या 8 की सहायक संयुक्त कम्पनी)	चयनित	-	हाँ	हाँ	-	-	-	-	-
11	राजस्थान राज्य गैस लिमिटेड (क्रम संख्या 9 की सहायक	चयनित	-	हाँ	-	-	-	-	-	-

क्र. सं.	सरकारी कंपनी का नाम	समीक्षा हेतु चयनित या नहीं	पीपीई/अमूर्त परिसंपत्ति (इंड एएस 16)		लीज का वर्गीकरण (इंड एएस 17)		पृथक वित्तीय विवरण (इंड एएस 27)		वित्तीय प्रपत्र (इंड एएस 109)	
			उचित मूल्य	वहनीय मूल्य	पारगमन दिनांक	भावी रूप से	लागत	इंड एएस 109 के अनुसार	लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य	अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य
	कम्पनी)									
12	राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड	चयनित	-	हाँ	हाँ	-	हाँ	-	-	हाँ
चरण -II (2017-18)										
13	जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड	चयनित	-	हाँ	-	-	-	-	-	हाँ
14	राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड	चयनित		हाँ	-	-	-	-	-	-
स्वेच्छा से अपनाना (2019-20)										
15	कोटा स्मार्ट सिटी लिमिटेड	चयनित	-	-	-	-	-	-	-	-

संक्षेप की शब्दावली	
एएससीएल	अजमेर स्मार्ट सिटी लिमिटेड
एवीवीएनएल	अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
बांसवाड़ा टीपीसीएल	बांसवाड़ा तापीय ऊर्जा कम्पनी लिमिटेड
बाड़मेर टीपीसीएल	बाड़मेर तापीय ऊर्जा कम्पनी लिमिटेड
बीएलएमसीएल	बाड़मेर लिग्नाइट स्वनन कंपनी लिमिटेड
सीपीएल	छबड़ा ऊर्जा लिमिटेड
डीजीपीएल	धौलपुर गैस ऊर्जा लिमिटेड
जीएलपीएल	गिरल लिग्नाइट ऊर्जा लिमिटेड
जेडीवीवीएनएल	जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
जेएमआरसीएल	जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड
जेएससीएल	जयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड
जेवीवीएनएल	जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
केएससीएल	कोटा स्मार्ट सिटी लिमिटेड
आरसीएसीएल	राजस्थान नागरिक उड्डयन निगम लिमिटेड
आरईएक्ससीओ	राजस्थान भूतपूर्व सैनिक निगम लिमिटेड
आरएफसी	राजस्थान वित्त निगम
रीको	राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड
आरआईएसएल	राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड
आरजेवीएनएल	राजस्थान जल विकास निगम लिमिटेड
आरएमएससीएल	राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम लिमिटेड
आरपीआईडीसीएल	राजस्थान पुलिस आवास एवं निर्माण निगम लिमिटेड
आरआरईसीएल	राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड
आरआरवीपीएनएल	राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड
आरआरवीयूएनएल	राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड
आरएसएआईसीएल	राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम लिमिटेड
आरएसबीसीएल	राजस्थान राज्य ब्रेवरेज निगम लिमिटेड
आरएसडीसीएल	राजस्थान सोलरपार्क डेवलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड
आरएसएफ एंड सीएससीएल	राजस्थान राज्य स्वाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड
आरएसजीएल	राजस्थान राज्य गैस लिमिटेड
आरएसजीएसएमएल	राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड
आरएसएचसीएल	राजस्थान राज्य होटल्स निगम लिमिटेड
आरएसएचडीसीएल	राजस्थान राज्य हाथकरघा विकास निगम लिमिटेड

आरएसआईसीएल	राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड
आरएसएलडीसी	राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम
आरएसएमएमएल	राजस्थान राज्य स्वान एवं स्वनिज लिमिटेड
आरएसपीसीएल	राजस्थान राज्य पेट्रोलियम निगम लिमिटेड
आरएसपीएफ एण्ड एफएससीएल	राजस्थान राज्य ऊर्जा वित्त एवं वित्तीय सेवा निगम लिमिटेड
आरएसआरडीसीसीएल	राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड
आरएसआरटीसी	राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम
आरएसएससीएल	राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड
आरएसडब्ल्यूसी	राजस्थान राज्य भंडार व्यवस्था निगम
आरटीडीसीएल	राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड
आरयूडीडब्ल्यूएस एण्ड आईसीएल	राजस्थान शहरी पेयजल सीवरेज एवं ढांचागत निगम लिमिटेड
आरयूवीएनएल	राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड
यूएससीएल	उदयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड

© भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in



<http://cag.gov.in/ag2/rajasthan/hi>